

# 47<sup>th</sup> Annual Report

BOOK POST



47वाँ  
वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25

**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.**  
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005  
CIN-U75132RJ1978SGC001781  
Tel-0141-2227317, 2227514, [www.rajseeds.rajasthan.gov.in](http://www.rajseeds.rajasthan.gov.in)



## राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN- U75132RJ1978SGC001781

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड़, जयपुर-302005

Tel- 0141-2227317, 2227514 , www.rajseeds.rajasthan.gov.in

## राजस्थान स्टेट सीड्स का निदेशक मण्डल:-

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पद	DIN/PAN (निदेशक पहचान संख्या / PAN)
01	श्रीमति मंजू राजपाल	अध्यक्ष	07825977
02	सुश्री चिन्मयी गोपाल	प्रबन्ध निदेशक	08411651
03	सुश्री चिन्मयी गोपाल	निदेशक	08411651
04	श्रीमति शुभम चौधरी	निदेशक	08684229
05	श्रीमति भारती दीक्षित	निदेशक	08528337
06	श्री कैलाश चन्द्र मीणा	निदेशक	10580082
07	श्री पी. के. पटनायक	निदेशक	08999583
08	श्री मुकेश कुमार जाट	निदेशक	08226422
09	डॉ० अरविन्द वर्मा	निदेशक	10271849
10	डॉ० विजय प्रकाश	निदेशक	09603437
11	श्री जगदीश मीणा	निदेशक	10944893
12	श्री बृजमोहन शर्मा	निदेशक	03408932
13	श्री जगदीश यादव	निदेशक	10944943
14	श्री ओम सिंह राठौड़	निदेशक	10984439

महाप्रबन्धक

कम्पनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

अंकेक्षक

डा. महेन्द्र कुमार शर्मा

श्री राकेश मामनानी

श्री हरि मोहन शर्मा

- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेशन रोड़, जयपुर  
मैसर्स धूत एण्ड एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर।

-: पंजीकृत कार्यालय :-

CIN- U75132RJ1978SGC001781

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड़, जयपुर-302005

Tel- 0141-2227317, 2227514 , www.rajseeds.rajasthan.gov.in

# राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

## विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या	
		हिन्दी	अंग्रेजी
1.	सूचना व टिप्पणियाँ	3-6	
2.	निदेशकों का प्रतिवेदन	7-26	
3.	साचिविक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन तथा साचिविक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन पर निदेशक का प्रत्युत्तर	48-52	
4.	अंकेक्षकों का प्रतिवेदन पर निदेशकों का प्रत्युत्तर	27-28	103
5.	अंकेक्षकों का प्रतिवेदन,	29-47	88-102
6.	तुलन-पत्र	53	104
7.	लाभ हानि खाता	54	105
8.	नकद प्रवाह विवरण पत्र	55	106
9.	अनुसूची ( तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता )	56-65	107-116
10.	लेखा-नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां	66-87	117-138
11.	महालेखा परीक्षक की टिप्पणी		

## राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN- U75132RJ1978SGC001781

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड, जयपुर-302005  
Tel- 0141-2227665, 2227514] Fax No. 0141-2227944, www.rajseeds.org

### 47वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सैतालीसवीं (47वीं) वार्षिक साधारण सभा, मंगलवार दिनांक 10.02.2026 को मध्याह्न 12:15 बजे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, टोंक रोड़, दुर्गापुरा जयपुर में निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन के उद्देश्य से होनी निश्चित की गई है:-

#### साधारण कार्य:-

01. 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के निदेशकों का प्रतिवेदन, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, साचिविक अंकेक्षक की रिपोर्ट, अंकेक्षित तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता तथा उस पर भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।
02. साम्य अंशों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश की घोषणा के निम्न प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:-  
“पारित किया जाता है कि निगम के निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक दिनांक 31.12.2025 के निर्णयानुसार 03.02.2026 (रिकॉर्ड डेट) को निगम के लेखों में उल्लेखित प्रदत्त साम्य अंश पूंजी पर 10 प्रतिशत की दर से वर्ष 2024-25 के लिए अंशधारियों को लाभांश दिये जाने का अनुमोदन किया जाता है”
03. वैधानिक अंकेक्षकों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नियुक्ति एवं फीस का निर्धारण करने हेतु निम्न प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:-  
‘पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के प्रावधानों के अंतर्गत निगम के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखों के अंकेक्षण कार्य हेतु वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स धूत एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर की वैधानिक अंकेक्षण फीस रूपये 1,65,000/- एवम् कर-अंकेक्षण फीस सहित कुल रूपये 2,30,000/- प्रति वर्ष पर नियुक्ति की जाती है।’  
‘आगे पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के प्रावधानों के अंतर्गत निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखों के अंकेक्षण कार्य हेतु वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स धूत एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर की वैधानिक अंकेक्षण फीस रूपये 35,000/- बढ़ाकर वैधानिक अंकेक्षण संशोधित फीस रूपये 1,65,000/- एवम् कर-अंकेक्षण फीस सहित कुल रूपये 2,30,000/- प्रति वर्ष पर नियुक्ति की जाती है।’
04. श्री कैलाश चन्द्र मीणा, निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
05. सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
06. डॉ० विजय प्रकाश, निदेशक रिसर्च, स्वामी केशवानन्द, आर.ए.यू., बीकानेर, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।

07. डॉ० अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम०पी०यू०ए०टी०, उदयपुर, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
08. श्री जगदीश मीणा, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
09. श्री बृज मोहन सैनी, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
10. श्री ओम सिंह राठौड़, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
11. श्री जगदीश यादव, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।

विशेष कार्य (साधारण प्रस्ताव):—

12. निम्न साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—

“पारित किया जाता है कि श्रीमती भारती दीक्षित, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

विशेष कार्य (विशेष प्रस्ताव):—

13. निगम की वर्तमान ऋण सीमा में बढ़ोतरी करने हेतु निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव को संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—

“पारित किया जाता है कि वर्तमान में चल रही रेग्यूलर सी०सी० लिमिट की राशि रूपये 140 करोड़ के अलावा 150 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सी०सी० लिमिट / ऋण लिया जाकर अब कुल सी०सी० लिमिट की राशि रूपये 290 करोड़ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।”

“आगे पारित किया जाता है कि बीज उत्पादक किसानों को भुगतान करने हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा धारा 180 (1)(ए) और (सी) के प्रावधानों तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक मण्डल को समय-समय पर निगम के कार्यों के लिये कार्यशील पूँजी ऋण लेने हेतु अधिकृत किया जाता है, बशर्ते है कि कार्यशील पूँजी पर लिये कुल सी०सी० लिमिट की राशि रूपये 290 करोड़ करने से अधिक ना हो।”

स्थान: जयपुर

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2025

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ह०

(राकेश मामनानी)

कम्पनी सचिव

## टिप्पणियाँ

1. जो सदस्य बैठक में सम्मिलित होने और मत देने के अधिकारी है, वे अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने तथा मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रतिपुरुष कर सकते हैं। प्रतिपुरुष को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रतिनिधी परिपत्र बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
2. अंशधारियों से आग्रह है कि तुरन्त अपने परिवर्तित पते की सूचना, यदि कोई हो, को निगम के पंजीकृत कार्यालय पर सूचित करें।
3. सदस्य जो कि निगम के खातों व कार्यकलापों सम्बन्धी कोई जानकारी चाहने के इच्छुक हो, से आग्रह है कि अपनी प्रश्नावली मीटिंग की तिथि से सात दिवस पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि चाही गयी जानकारी मीटिंग के समय उपलब्ध करायी जा सकें।

स्थान: जयपुर

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2025

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ह0

(राकेश माननानी)

कम्पनी सचिव

(M. No. F8834)

## सूचना का परिशिष्ट

### कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण

#### विषय वस्तु:- 13

श्रीमती भारती दीक्षित, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार को निदेशक मण्डल की 242वीं बैठक जो दिनांक 02.07.2025 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। श्रीमती भारती दीक्षित, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

#### विषय वस्तु:- 12

निगम की वर्तमान में कार्यशील पूँजी पर लिये गये ऋण की सीमा रुपये 140 करोड़ है, जैसा कि वार्षिक साधारण सभा के सदस्यो विदित है कि निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-28 में अपने बीज उत्पादन कार्यक्रम में वृद्धि करने के कारण निगम को अपने बीज उत्पादक किसानों को भुगतान हेतु तत्काल फण्ड की आवश्यकता थी, जिसके कारण निगम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से रुपये 150 करोड़ का अतिरिक्त सी0सी0 लिमिट/ऋण लेकर बीज उत्पादक किसानों को भुगतान की व्यवस्था की गई थी, जिस पर निदेशक मण्डल की 242वीं बैठक जो दिनांक 02.07.2025 को हुई में से अनुमोदन भी प्राप्त किया गया। इसके पश्चात् अब निगम की संशोधित ऋण की सीमा रुपये 290 करोड़ की सी0सी0 लिमिट हो गई है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 180 (1)(ए) और (सी) के प्रावधानों के अन्तर्गत निगम द्वारा अपनी कार्यशील पूँजी पर बढ़ाई गई उक्त ऋण सीमा राशि रुपये 290 करोड़ को अधिकृत करने तथा संशोधित करने का अधिकार निगम के सदस्यों के पास होता है अतः सदस्यों के समक्ष निगम की ऋण सीमा बढ़ाने का प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक/सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित निहित नहीं है।

स्थान:- जयपुर

दिनांक:- 31 दिसम्बर, 2025

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ह0

(राकेश मामनानी)

कम्पनी सचिव

(M. No. F8834)

## निदेशकों का प्रतिवेदन

माननीय सदस्यगण,

निगम के निदेशकगण को सैतालिसवाँ (47वाँ) वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसके साथ 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षित लेखों का विवरण, वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, एवम् अंकेक्षकों द्वारा दर्शाये गये विभिन्न बिन्दुओं के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

### 01.वर्ष के वित्तीय समीक्षा:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय परिणाम	(रु. लाखों में)	
	2024-25	2023-24
बिक्री	36770.96	23024.89
अन्य आय	324.73	380.12
कुल आय	37095.69	23405.01
कुल व्यय	34346.21	21214.25
लाभ/हानि/(+)/(−) कर से पूर्व	(+) 2749.49	(+) 2190.76
घटाइये: आयकर हेतु प्रावधान	762.67	601.55
कर पश्चात् लाभ(+)/हानि (−)	(+) 2031.54	(+) 1606.49

वर्ष 2024-25 में आयकर प्रावधान पश्चात् 2031.54 लाख रुपये का लाभ रहा जो गत वर्ष के लाभ 1606.49 लाख रुपये से 425.05 लाख रुपये अधिक है तथा संचित लाभ गत वर्ष तक के संचित लाभ 18,219.51 लाख रुपये से बढ़कर 20,175.10 लाख रुपये हो गये हैं, जो गत वर्ष से संचित लाभ से 2955.59 लाख रुपये अधिक है।

### 02.लामांश

आपके निदेशक निगम की चुकता पूँजी रुपये 759.30 लाख पर 10 प्रतिशत की दर से 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये 10 प्रतिशत की दर से रुपये 75,92,975/- रुपये लामांश दिये जाने की घोषणा करते हैं। निगम द्वारा उक्त लामांश हेतु रुपये 75,92,975/- के भुगतान का समायोजन वर्ष 2024-25 के लेखों में किया गया है।

### 03.वित्तीय स्रोत

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में निगम की पूँजी का संगठन निम्न प्रकार है:-

	(रुपये लाखों में)
राजस्थान सरकार	633.00
राष्ट्रीय बीज निगम	113.93
अन्य	12.37
<b>कुल योग</b>	<b>759.30</b>

#### 04. अंकेक्षण समिति

निगम की अंकेक्षण समिति का गठन निदेशक मण्डल की 137वीं बैठक जो दिनांक 29 मार्च, 2001 को हुई, में किया गया था। अंकेक्षण समिति की बैठक का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निदेशकों की ओर से संचरण द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये अंकेक्षण समिति के पुनर्गठन किया गया, जिसकी निदेशक मण्डल की 241वीं बैठक, जो दिनांक 07 अप्रैल, 2025 को हुई, में सर्वसम्मति से पुष्टि की गई थी। वर्तमान में अंकेक्षण समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1. सुश्री चिन्मयी गोपाल, कृषि विभाग	अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1)	सदस्य
4. श्री जगदीश मीणा, निदेशक	सदस्य
5. श्री बृजमोहन सैनी, निदेशक	सदस्य

अंकेक्षण समिति की समा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 17.12.2025 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सदस्यों द्वारा अंकेक्षण समिति की उपस्थिति इस प्रकार है-

अंकेक्षण समिति के सदस्यों का नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त, कृषि विभाग (12.09.2024 से निरन्तर)	1	1
श्रीमति निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक (23.02.2024 से 22.09.2025)	1	1
श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार (15.03.2024 से 03.02.2025)	1	1
श्री फतेह सिंह गुर्जर (29.12.2023 से 05.01.2025)	1	1

#### 05. सी0एस0आर0 समिति

निगम की Corporate Social Responsibility Committee का गठन निदेशक मण्डल की 192वीं बैठक जो दिनांक 23.12.2014 को हुई, में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशक मण्डल की 241वीं बैठक जो दिनांक 07 अप्रैल, 2025 को हुई, में Corporate Social Responsibility Committee का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में Corporate Social Responsibility Committee के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1. निगम के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1)	सदस्य
4. श्री ओम सिंह राठौड़, निदेशक	सदस्य
5. श्री जगदीश यादव, निदेशक	सदस्य

Corporate Social Responsibility Committee की बैठक वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो बैठक की गई थी, जो दिनांक 17.12.2024 तथा 30.12.2024 को रखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सदस्यों द्वारा Corporate Social Responsibility Committee की उपस्थिति इस प्रकार है-

Corporate Social Reasonability Committee के सदस्यों का नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री राजन विशाल (28.09.2024 से 22.11.2025 तक)	2	2
श्रीमति निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक (23.02.2024 से 22.09.2025)	2	2
श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार (15.03.2024 से 03.02.2025 तक)	2	2
श्री करण सिंह यादव (29.12.2023 से 30.12.2024)	2	1

#### 06. Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee

निगम की Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee का गठन निदेशक मण्डल की 196वीं बैठक जो दिनांक 22.09.2015 को हुई, में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशक मण्डल की 241वीं बैठक जो दिनांक 07 अप्रैल, 2025 को हुई, में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1. सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त, कृषि विभाग	अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1)	सदस्य
4. श्री जगदीश मीणा, निदेशक	सदस्य
5. श्री बृजमोहन सैनी, निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee की एक भी बैठक अपरहार्य कारणों द्वारा नहीं की जा सकी। आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त कमेटी की बैठक कर दी जावेगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत अन्य सूचना शून्य है।

#### 07. निदेशक मण्डल:-

वर्तमान में निदेशक मण्डल में माननीय श्रीमति मंजू राजपाल (21.11.2025 से निरन्तर) अध्यक्ष पद पर आसीन है तथा सुश्री चिन्मयी गोपाल (08.12.2025 से निरन्तर) प्रबन्ध निदेशक के पद पर आसीन है। सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त, कृषि विभाग (12.09.2024 से निरन्तर), श्रीमती, शुभम चौधरी, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग (08.12.2025 से निरन्तर), डॉ. भारती दीक्षित, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार (25.06.2025 से निरन्तर), श्री कैलाश चन्द्र मीणा निदेशक, निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (15.03.2024 से निरन्तर), श्री पी.के. पटनायक, ए.डी.जी.एम. (विपणन), नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (07.10.2023 से निरन्तर), श्री मुकेश कुमार जाट, क्षेत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (31.08.2022 से निरन्तर), डॉ. अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (28.06.2023 से निरन्तर), डॉ. विजय प्रकाश निदेशक रिसर्च, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (27.09.2024 से निरन्तर) तथा इनके अलावा अशासकीय निदेशक श्री जगदीश मीना (30.12.2024 से निरन्तर), श्री बृजमोहन सैनी (30.12.2024 से निरन्तर), ओम सिंह राठी (30.12.2024 से निरन्तर) तथा श्री जगदीश यादव (30.12.2024 से निरन्तर) निदेशक के पद पर आसीन है।

गत वर्ष में निदेशक मण्डल में श्री वैभव गालरिया (25.01.2024 से 30.09.2024 तक) तथा श्री राजन विशाल (30.09.2024 से 21.11.2025 तक) अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। श्रीमति निमिषा गुप्ता (23.02.2024 से 23.09.2025 तक), श्री राजेश कुमार चौहान (23.09.2025 से 30.10.2025 तक) तथा श्री दिनेश कुमार शर्मा (30.10.2025 से 08.12.2025 तक) प्रबन्ध निदेशक के पद पर आसीन रहे। श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार (15.03.2024 से 03.02.2025 तक), श्री शरद मेहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार (03.02.2025 से 25.06.2025 तक), श्री सुरेश कुमार ओला, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (09.09.2024 से 22.06.2025 तक) तथा अशासकीय निदेशक श्री गोपाल सिंह, (29.12.2023 से 09.07.2024 तक), श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (29.12.2023 से 30.12.2024), श्री फतेह सिंह गुर्जर (29.12.2023 से 30.12.2024) तथा श्री करण सिंह यादव (29.12.2023 से 30.12.2024) निदेशक के पद पर आसीन रहे।

अतः निदेशकों के कार्यकाल में उनके द्वारा दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद तथा प्रशंसा अभिलिखित करते हैं।

## 08. निदेशक मण्डल की बैठके

निदेशक मण्डल की वित्तीय वर्ष 2024-25 में चार बैठकें की गईं, जो दिनांक 26.06.2024, 27.09.2024, 17.12.2024 तथा 30.12.2024 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सदस्यों द्वारा निदेशक मण्डल की उपस्थिति इस प्रकार है:-

निदेशकों के नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री वैभव गालरिया (25.01.2024 से 30.09.2024 तक)	2	2
श्री राजन विशाल (30.09.2024 से 22.11.2025 तक)	2	2
श्रीमति निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक (23.02.2024 से 23.09.2025 तक)	4	4
श्री कन्हैयालाल स्वामी, आयुक्त, कृषि विभाग (07.10.2023 से 12.09.2024 तक)	1	1
सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त, कृषि विभाग (12.09.2024 से निरन्तर)	3	3
श्री लक्ष्मण सिंह कूड़ी, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (28.06.2023 से 30.06.2024 तक)	1	1
श्री सुरेश कुमार ओला, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग (09.09.2024 से 22.06.2025 तक)	3	3
श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार (15.03.2024 से 03.02.2025 तक)	4	4
श्री कैलाश चन्द्र मीणा निदेशक, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (15.03.2024 से निरन्तर)	4	3
श्री पी0के0 पटनायक, ए0डी0जी0एम0 (विपणन), नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (07.10.2023 से निरन्तर)	4	1
श्री मुकेश कुमार जाट, क्षेत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (31.08.2022 से निरन्तर)	4	3
डॉ0 पी0 एस0 शेखावत, निदेशक (12.05.2020 से 27.09.2024 तक)	1	0
डॉ0 विजय प्रकाश निदेशक रिसर्च, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (27.09.2024 से निरन्तर)	3	1
डॉ0 अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम0पी0यू0ए0टी0, उदयपुर (28.06.2023 से निरन्तर)	4	2
श्री गोपाल सिंह, अशासकीय निदेशक (29.12.2023 से 09.07.2024 तक)	1	1
श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अशासकीय निदेशक (29.12.2023 से 30.12.2024 तक)	4	4
श्री फतेह सिंह गुर्जर, अशासकीय निदेशक (29.12.2023 से 30.12.2024 तक)	4	4
श्री करण सिंह यादव, अशासकीय निदेशक (29.12.2023 से 30.12.2024 तक )	4	2

## 09. Directors' Responsibility Statement:-

In term of Section 134 of the Companies Act, 2013, the Directors would like to state that:

1. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
2. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company for the year at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for the period;
3. The directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities of the company.
4. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
5. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 10. ANNUAL RETURN

Pursuant to section 134(3)(a) and section 92(3) of the Act read with companies (Management and Administration) Rules 2014, the link of annual return of the company in Form MGT-7 is:-  
<http://www.rajseeds.org/>

## 11. SECRETARIAL STANDARD

The applicable Secretarial Standards, i.e. SS-1 and SS-2, relating to Meetings of the Board of Directors and General Meetings respectively, have been duly followed by the company.

## 12. निगम का संचालन:-

### ➤ आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन:-

वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत खरीफ 2024, रबी 2024-25 एवं जायद-24 में विभिन्न फसलों का आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन अन्तर्गत प्रमाणित क्षेत्र क्रमशः 3,253 एवं 39,082 हैक्टेयर रहा हैं। खरीफ 2024 में 99,225 क्विंटल प्रमाणित एवं 5,726 क्विंटल आधार बीज का उत्पादन किया गया। रबी 2024-25 में लगभग 4,00,557 क्विंटल प्रमाणित बीज व 29,890 क्विंटल आधार बीज का उत्पादन हुआ हैं। जायद-24 में 381 क्विंटल प्रमाणित एवं 30 क्विंटल आधार बीज प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 2024-25 में लगभग 5,35,809 क्विंटल बीज उत्पादन किया गया हैं।

### ➤ बीज गांव योजना प्रगति:-

एस.एम.एस.पी.-बीज गांव योजना के तहत वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत खरीफ 2024 में 10375.02 क्विंटल सोयाबीन, ज्वार, मूंग व मोठ बीज एवं रबी 2024-25 में 42569.58 क्विंटल गेहूं, सरसों, जौ व चना बीज वितरित किया गया। इस प्रकार वर्ष 2024-25 में एस.एम.एस.पी.-बीज गांव योजना अन्तर्गत कुल 52944.60 क्वि. बीज वितरित कर लाभान्वित किया गया।

➤ **फार्म ठेकों से आय:-**

राजसीड्स के अधीन 07 फार्मों के ठेके से वर्ष 2024-25 में राशि रु. 240.30 लाख की आय हुई है।

**राज्य के बाहर बीज उत्पादन कार्यक्रम:-**

जायद एवं खरीफ 2025 हेतु ज्वार, संकर बाजरा एवं संकर मक्का फसल के उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये रबी 2024-25 में राज्य के बाहर आन्ध्रप्रदेश व तेलंगाणा राज्यों की बीज उत्पादक संस्थाओं से अनुबन्धित बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत ज्वार एसएसजी सत्यचिन्हित बीज की 3,996.90 किं., संकर मक्का 55,392.70 किं. तथा संकर बाजरा 17,960.16 किं. प्रमाणित बीज, इस प्रकार कुल 77,349.76 किं प्रमाणित/सत्यचिन्हित बीज मात्रा का उत्पादन कराया गया है।

➤ **उत्पादन में निगम की मावी योजनाएँ :**

➤ राजस्थान में बीज उत्पादन एवं विपणन क्षेत्र में राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. का महत्वपूर्ण स्थान है। निगम गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में बीज उत्पादन बढ़ाने हेतु निगम द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

➤ प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुधार हेतु निगम द्वारा खरीफ एवं रबी में उत्पादित प्रमाणित बीजों का जी.ओ.टी. परीक्षण करवाया जाता है।

➤ **विधायन एवं भण्डारण :**

वर्तमान में निगम की 22 इकाईयां एवं पांच बीज विस्तार केन्द्र हैं। जिनकी कुल विधायन क्षमता 12.584 लाख किं. एवं कुल भण्डारण क्षमता 10.21 लाख किं. प्रतिवर्ष है।

➤ **विपणन:**

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि. द्वारा जायद एवं खरीफ 2024 में 146095 किं. एवं रबी 2024-25 में 218626 किं. बीजों का विक्रय किया गया है। इस प्रकार कुल 364721 किं. बीजों का विक्रय किया गया है। जायद एवं खरीफ 2025 में 160232 किं. बीज का विक्रय किया गया है। रबी 2025-26 में लगभग 331652 किं. बीजों का विक्रय किया जा चुका है।

खरीफ 2023 में मिनिकिट वितरण हेतु कृषि विभाग को बाजरा के 11093.525 किं., मक्का 11292.20 किं., मोठ 4000 किं. एवं जनजाति विभाग को मक्का के 9241.95 किं. बीज की आपूर्ति की गई। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिये हरी खाद हेतु डैचा मिनिकिट वितरण हेतु 5103.80 किं. बीज की आपूर्ति कृषि विभाग को की गई। रबी 2023-24 में कृषि विभाग को मिनिकिट वितरण हेतु सरसो के 7061.22 किं. बीज आपूर्ति किया गया। अटल भू-जल योजनान्तर्गत विभिन्न फसलों सरसों (89.40 किं.), मसूर (64.00 किं.), चना (6027.88 किं.) एवं तारामीरा (20.00 किं.) के मिनिकिट वितरण हेतु कुल 6201.08 किं.टल बीज आपूर्ति किया गया।

खरीफ सीजन 2024 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में कृषकों को निःशुल्क मिनिकिट वितरण हेतु कृषि विभाग को मक्का 38066.50 किं., मूंग 15999.32 किं., बाजरा 10830.01 किं., ज्वार 3307.76 किं. एवं मोठ 3999.72 किं. बीज आपूर्ति किया गया। डैचा बीज के मिनिकिट वितरण हेतु 23078.80 किं. बीज आपूर्ति किया गया।

रबी 2024-2025 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में कृषकों को सरसों प्रमाणित बीज के निःशुल्क मिनिकिट वितरण हेतु 14000.00 किं. बीज आपूर्ति किया गया।

अटल भू-जल योनान्तर्गत खरीफ 2024 में विभिन्न फसलों बाजरा (711.75 किं.), मूंग (956 किं.), ज्वार (440 किं.), ग्वार (879.64 किं.), उड़द (324.04 किं.), मोठ (300 किं.), सोयाबीन (496 किं.) एवं मक्का (50 किं.) के मिनिकिट वितरण हेतु कुल 4157.43 किं. बीज आपूर्ति किया गया। इसी क्रम में रबी 2024-25 में चना (7983.20 किं.), सरसों (396.94 किं.), तारामीरा (179.78 किं.) एवं मसूर (68.00 किं.) कुल बीज मात्रा 8627.92 किं. बीज की मिनिकिट वितरण हेतु कृषि विभाग को आपूर्ति की गयी।

अटल भू-जल योनान्तर्गत खरीफ 2025 में विभिन्न फसलों बाजरा (726.75 किं.), मूंग (972.00 किं.), ज्वार (440.00 किं.), ग्वार (772.40 किं.), उड़द (299.00 किं.), मोठ (300.00 किं.), सोयाबीन (801.68 किं.) एवं मक्का (50 किं.) के मिनिकिट वितरण हेतु कुल 4378.48 किं. बीज आपूर्ति किया गया।

### 13. भावी योजनाएँ :

#### ➤ विपणन:

#### (अ) निजी क्षेत्र:

राजसीड्स के बीजों की उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बीज अधिनियम 1966 के तहत सभी बीज अनुज्ञापन धारक विक्रेताओं के अधिकृत/प्रतिबद्ध विक्रेताओं के रूप में नियुक्ति को प्रावधान किये हुये है। राजस्थान के किसानों को प्रमाणित बीज दूर दराज के गाँव में सुगमता से प्राप्त होने के मामले में निजी विक्रेताओं एवं सहकारी संस्थाओं को राजसीड्स के विक्रेता के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में वर्ष 2025-26 में 22 प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्त किये गये है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 670 विक्रेता राजसीड्स से जुड़े हुए है। इससे राजसीड्स का विपणन तंत्र बीज व्यवसाय से संबंधित अन्य संस्थाओं से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ है।

#### (ब) सहकारी क्षेत्र:

केवीएसएस/जीएसएस सहकारिता विभाग के अधीन कार्य करती है। सहकारी विपणन तंत्र (के.वी.एस.एस.) का भी अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों जिनके पास वैध बीज अनुज्ञा पत्र है उन समितियों को राजसीड्स से जोड़ने के प्रयास किये गये। साथ ही सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के साथ बैठक/समन्वय स्थापित कर जिन सहकारी समितियों (केवीएसएस/जीएसएस) के पास बीज अनुज्ञा पत्र नहीं है, उन सहकारी समितियों को बीज अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर, राजसीड्स से जुड़कर बीज विक्रय किये जाने के प्रयास किये गये है। सहकारी संस्थाओं द्वारा भविष्य में इसे और बढ़ाने के निगम द्वारा प्रयास किये जा रहे है। सहकारी क्षेत्र के लगभग 873 सहकारी समितिया (के.वी.एस.एस./जीएसएस/लेम्पस) राजसीड्स से जुडी हुई है। वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर बीज सहकारी क्षेत्र के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

#### (स) राजसीड्स बीज विक्रय केन्द्र :-

बजट घोषणा वर्ष 2020-21 अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बीज वितरण आउटलेट स्थापना हेतु कृषि विपणन विभाग द्वारा निःशुल्क 200 भूखण्ड चरणबद्ध रूप से आवंटित किये जाने की घोषणा हुई। इसकी अनुपालना में कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 24 निर्मित परिसम्पत्तियां एवं 144

भूखण्डों का आवंटन प्राप्त किया जा चुका है। राजसीड्स को आवंटित 24 निर्मित परिसम्पत्तियों का नाम राजसीड्स बीज विक्रय केन्द्र रखते हुये विक्रय केन्द्रों के रूप में संचालन कर अनुदानित तथा गैर अनुदानित बीजों का विक्रय किया जा रहा है। बीज वितरण आउटलेट के वर्षभर संचालन के लिए कृषि विपणन विभाग से प्राप्त स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

#### (द) राजसीड्स बीज विक्रय केन्द्र :-

वर्तमान में मैसर्स आईटीसी लिमिटेड, जयपुर के साथ राशि रुपये 400 लाख के कारोबार हेतु गेहूँ बीज विपणन हेतु एम.ओ.यू. संपादित किया गया। फर्म द्वारा इसके तहत रुपये 420 लाख का कारोबार किया गया है।

#### 14. ऑडिटर द्वारा प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणी :-

##### ➤ वैधानिक अंकेषकों का प्रतिवेदन :-

अंकेषकों के प्रतिवेदन में उठाई गई आपतियों पर निदेशक मण्डल का प्रत्युत्तर परिशिष्ट "अ" अनुसार।

##### ➤ Secretarial Audit Report:-

साधिविक अंकेषकों के प्रतिवेदन में उठाई गई आपतियों पर निदेशक मण्डल का प्रत्युत्तर परिशिष्ट "ब" अनुसार।

#### 15. Independent Directors

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में Independent Directors की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस संदर्भ में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की कार्यवाही करने के लिये आवेदन प्राप्त करने का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बैठक से प्राप्त हो चुका है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

#### 16. Corporate Social Responsibility Policy

गत वित्तीय वर्षों में CSR Policy पर खर्च की जाने योग्य राशि अब निगम के पास CSR Policy पर व्यय की जाने वाली कोई भी राशि शेष नहीं बची है, किन्तु राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर, भीलवाड़ा को छात्रों के बैठने हेतु 200 टेबल कुर्सीयों तथा 2 कम्प्यूटर सैट खरीदने के लिये सी0एस0आर0 फण्ड से दी गई अग्रिम राशि रुपये 4,60,000/- में से उक्त संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाते हुये शेष राशि रू0 32,179/- का चैक उनके द्वारा वापस लौटा दिया गया है, जिसे निगम के सी0एस0आर0 फण्ड में पुनः जमा करवा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधान की गई CSR Policy पर व्यय की जाने योग्य राशि रू0 40,00,882/- का प्रावधान किया गया। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधान की गई उक्त राशि तथा राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर, भीलवाड़ा राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर, भीलवाड़ा से प्राप्त राशि रू0 32,179/- के पश्चात् अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम के पास CSR Policy पर व्यय की जाने योग्य राशि रू0 40,33,061/- उपलब्ध थी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम को CSR Policy पर व्यय करने के निम्नलिखित प्रस्तावों पर व्यय किये गये:-

01. श्री हरे कृष्णा बलराम सेवा ट्रस्ट, जयपुर द्वारा मवेशियों के स्वास्थ्य एवं पोषण में योगदान करने में सहायक आहार मशीन स्थापित करने के लिये निगम के सी.एस.आर. फण्ड से अंशदान उपलब्ध करवा TMR (Total Mixed Ration) Fodder Feeding Machine + Tractor की वास्तविक लागत रुपये 23,01,000/- बीज निगम के सी0एस0आर0 फण्ड से उपलब्ध करवाई गई। उक्त संस्था द्वारा उक्त उपकरण क्रय करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवा दिया है।

02. सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक न्याय संकुल, जामडोली, जयपुर परिसर में आवासित बालक-बालिकाओं के लिये उपलब्ध करवाई गई आवश्यक सामान की सूची में से सिवियर प्रोफाउण्ड आवासियों के लिये लगाये जाने वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे को पाँच वर्ष के वार्षिक रख-रखाव शुल्क (Annual Maintenance Charges) की सुविधा के साथ उक्त वर्णित आवश्यक सामान खरीदने का सुझाव देते हुये निगम के सी.एस.आर. फण्ड से उक्त उपकरणों की वास्तविक लागत तथा रुपये 17,50,000/- तक की राशि का अंशदान उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव की सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई, सी0एस0आर0 फण्ड से राशि रुपये 17.25 लाख अग्रिम उपलब्ध करवाये जा चुके हैं, जिसके क्रम में उक्त संस्था द्वारा उक्त उपकरणों के लिये राशि रुपये 15,75,306/- की उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बिल उपलब्ध करवाते हुये कम्प्यूटर क्रय करने कर शेष राशि रुपये 1,49,694/- के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बिल से शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राक्धान की गई CSR Policy पर व्यय की जाने वाली राशि रु0 में से सामाजिक न्याय संकुल, जामडोली, जयपुर को उपलब्ध करवाई गई राशि के पेटे राशि रुपये 25,000/- उक्त संस्था को देने के लिये निगम द्वारा कम्पनी अधिनियम के प्राक्धानों के अनुसार बैंक में पृथक खाता खोलकर उसमें डाले गये हैं, जो उक्त संस्था द्वारा कम्प्यूटर क्रय करने कर शेष राशि रुपये 1,49,694/- के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बिल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है।

इसके साथ ही गत वित्तीय वर्षों में CSR Policy पर खर्च की जाने योग्य राशि अब निगम के पास CSR Policy पर व्यय की जाने वाली कोई भी राशि शेष नहीं बची है।

- (अ) गत वित्तीय वर्षों में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लड सेन्टर, राजकीय सामान्य चिकित्सा, बून्दी को एक डार्ड इलेक्ट्रीकल ब्लड बैग ट्यूब सीलर-2 तथा एक डॉनर कोच उपकरणों को खरीदने के लिये बीज निगम के सी.एस.आर. फण्ड से अग्रिम राशि के रूप में राशि 2,28,310/- उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में उक्त संस्था से उपयोगिता का प्रमाण-पत्र तथा उपकरणों पर व्यय की सूचना प्राप्त की जा रही है।
- (ब) गत वित्तीय वर्षों में ग्राम पंचायत, पारोली, कोटडी, को कचरा निस्तारण के लिये एवं स्वच्छता बनाये रखने के लिये एक ओटोकीपर खरीदने के लिये अग्रिम राशि के रूप में राशि 10,00,000/- उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में उक्त संस्था से उपयोगिता का प्रमाण-पत्र तथा उपकरणों पर व्यय की कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।
- (स) गत वित्तीय वर्षों में कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर को इस क्षेत्र के मरीजों के उपचार एवम् चिकित्सा हेतु उपकरण एवम् सामुदायिक केन्द्र में मरीजों के बैठने के लिये बीज निगम के सी.एस.आर. फण्ड से अग्रिम राशि के रूप में 10,00,000/- उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में उक्त संस्था से उपयोग का प्रमाण-पत्र तथा उपकरणों पर व्यय की सूचना प्राप्त की जा रही है।
- (द) इन्टरनेशनल हॉर्टिकल्चर इन्नोवेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (IHITC) के सुदृढीकरण को किसानों को उद्यानिकी नवाचार एवं उद्यानिकी प्रशिक्षण आयोजित किए जाने एवं हाइटेक उद्यानिकी के प्रायोगिक प्रदर्शन आयोजित कर उन्नत बीज/पौध/तकनीक भी किसानों को उपलब्ध करवाने के साथ किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राज्य योजना आदि के तहत विभिन्न प्रकार के उद्यानिकी प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हेतु उक्त संस्थान पर किसानों को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु हॉस्टल, केंन्टीन, क्लासरूम एवं सेमीनार हॉल आदि भवन की मरम्मत कार्य करवाने तथा इन भवनों में लगे हुए विद्युत उपकरण, सेनेट्री

आईटम, कुलिंग सिस्टम, कम्प्यूटर सिस्टम, फर्नीचर आदि लगवाने हेतु बीज निगम के सी0एस0आर0 फण्ड से रुपये 50 लाख की राशि उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में इन्टरनेशनल हॉर्टिकल्चर इन्नोवेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (IHITC) की ओर से पत्रांक 4362 दिनांक 24.07.2025 का प्रेषित कर अवगत कराया कि संस्थान के हॉस्टल, डोरमेट्री तथा कम्प्यूटर क्रय के लिये रुपये 8 लाख व्यय किये गये हैं, जिनके बिल भी संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये हैं। उक्त संस्थान ने शेष राशि रुपये 42 लाख संस्थान की प्रमुख मरम्मत के लिये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को दिये गये हैं, जिनकी ओर से कार्य सम्पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बिल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है।

**17. TRANSFER TO RESERVES IN TERMS OF SECTION 134 (3) (J) OF THE COMPANIESACT, 2013**

The board does not propose any amount to carry to any specific reserves.

**18. CHANGES IN NATURE OF BUSINESS**

There are no significant changes had been made in the nature of the company during the financial year.

**19. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS OCCURRED BETWEEN THE DATE OF BALANCE SHEET AND THE DATE OF AUDIT REPORT**

No significant material changes and commitments have occurred between the date of the balance sheet and the date of the audit report.

**20. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS/ COURTS/ TRIBUNALS**

The significant and material orders passed by Regulators/Court/Tribunals against the company are as explained in the further sections of this annual report.

**21. ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

The Company has in place proper and adequate internal control systems commensurate with the nature of its business, size and complexity of its operations. Internal control systems comprising of policies and procedures are designed to ensure liability of financial reporting, timely feedback on achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedure, applicable laws and regulations, and that all assets and resources are acquired economically, used.

**22. SUBSIDIARY/ JOINT VENTURES/ ASSOCIATE COMPANIES AND THEIR PERFORMANCE**

There is no Subsidiary company or Joint Venture or Associate Companies of the Company.

**23. DEPOSITS**

During the financial year, Company has not accepted any type of deposits. Neither, any type of deposits of previous year is Unpaid or Unclaimed during the financial year.

**24. SHARE CAPITAL**

During the financial year, the Company had not issued any Equity Shares with Differential rights, any Sweat Equity Shares and any Employee Stock Options.

**25. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY, ABSORPTION, AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO**

A) Conservation of Energy: Nil

B) Technology Absorption: Nil

C) Foreign Exchange earnings and outgo:

The company has no foreign exchange earnings and outgo transactions during the current financial year.

**26. LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:-**

The Company has made following loans and Investments and has given following guarantees in compliance of section 186 of the Companies Act, 2013 during the financial year:- NIL

**27. CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES: -**

Details in Form No AOC-2 for transaction entered with the related parties at on arm length or non-arm length basis are NIL.

**28. RISK MANAGEMENT POLICY**

Risks are event, situation or circumstances which may lead to negative consequences on the company's businesses. Risk management is a structured approach to manage uncertainty. A formal enterprise-wide approach to Risk Management is being adopted by the company and key risks will now be managed within unitary framework. As a formal roll-out, all business divisions and corporate function will embrace risk management policy and guidelines, and make use of these in their decisions making. Key business risks and their mitigation are considered in the annual/strategic business plans and in periodic management reviews. The risk management process in our multi-business, multi-site operations, over the period of time will become embedded into the company's business systems and processes, such that our responses to risks remain current and dynamic.

**29. KEY MANAGERIAL PERSONNEL**

As of March 31, 2025, the following are the Key Managerial Personnel (KMP) of the Company as per Section 2(51) and 203 of the Act: -

Name of the person	Designation
Smt. Nimisha Gupta (23-02-2024 to 23-09-2025)	Managing Director
Sh. Rakesh Mamnani	Company Secretary

During the year under review, there is no change in the Key Managerial Personnel of the Company.

**30. POLICY ON NOMINATION & REMUNERATION**

Pursuant to Section 134(3)(e) and Section 178(3) of the Companies Act, 2013, the policy on the appointment of Board members including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and the policy on remuneration of directors, KMP and other employees is available on the website of the Company at <http://www.rajseeds.org/>.

**31. INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND –**

Rs. 1,19,782/- was transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year for the financial year 2016-17.

**32. REPORTING OF FRAUDS:**

There was no instance of fraud during the year under review, which required the Statutory Auditors to report to the Audit Committee and/or Board under Section 143(12) of the Act and Rules framed thereunder.

**33. VIGIL MECHANISM/WHISTLE BLOWER POLICY**

The Company has a Whistle Blower Policy and has established the necessary vigil mechanism for directors and employees in conformation with Section 177(9) of the Act, to report concerns about unethical behaviour. The link of the Policy is <http://www.rajseeds.org/>.

**34. Details of Remuneration to all the Directors:**

Details of remuneration paid to Directors for the year ended 31st March, 2025:

Name of the Director	Salary, allowance, perquisites and other benefits	Commission	Stock Option	Pension	Sitting Fees Paid	Notice period and severance fees
Smt. Nimisha Gupta (23-02-2024 to 23-09-2025)	30,35,533	-	-	-	-	-
Sh. Gopal Singh	-	-	-	-	2,000	-
Sh. Kailash Chandra Sharma	-	-	-	-	8,000	-
Sh. Karan Singh Yadav	-	-	-	-	6,000	-
Sh. Fateh Singh Gurjar	-	-	-	-	10,000	-
Sh. Rakesh Mamnani	16,98,276	-	-	-	-	-

**35. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013**

During the year 2024-25, the Company had a duly constituted Internal Complaints Committee in place as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992]. The information required under Section 21 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 is provided below:

a)	Committee formed as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992]	Yes
b)	No. of complaints received during the year	NIL
c)	No. of complaints disposed of during the year	NIL
d)	No. of cases pending for more than 90 days	NIL
e)	No. of workshops or awareness programmes against sexual harassment carried out	NIL

**36. PARTICULARS OF EMPLOYEES**

There is no employee in the Company whose particulars are required to be given under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

**37. OTHER DISCLOSURES**

- There was no revision of financial statements and Board's Report of the Company during the year under review;
- There has been no change in the nature of business of the Company as on the date of this report;
- No application has been made under the Insolvency and Bankruptcy Code; hence the requirement to disclose the details of application made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) during the year along with their status as at the end of the financial year is not applicable;
- The details of difference between amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions along with the reasons thereof. NIL

**आमार प्रदर्शन:**

भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम एवं जैविक उत्पादन संस्था, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, केन्द्रीय भण्डारण व्यवस्था निगम, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजफैड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ऐक्सिस बैंक लि. आदि के प्रति उनके सतत् सहयोग एवं परामर्श के लिये आपके निदेशक आभारी है। बीज उत्पादन कृषको अधिकृत बीज विक्रेताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा निगम को सतत् प्रश्रेय प्राप्त हुआ, के लिए भी निदेशकगण आमार प्रदर्शित करते है। और अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लगन एवं कठिन परिश्रम से किये गये कार्यों की सराहना करते है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान : जयपुर	ह0 (चिन्मयी गोपाल)	ह0 (ओम सिंह राठौड़)
दिनांक: 31 दिसम्बर, 2025	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक
	DIN 08411651	DIN 10984439

**टिप्पणियां:-**

1. जो सदस्य बैठक में सम्मिलित होने और मत देने के अधिकारी है, वे अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने तथा मत देने लिये किसी व्यक्ति को प्रति पुरुष नियुक्त कर सकते है। प्रतिपुरुष को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।
2. प्रतिनिधि परिपत्र बैठक के निर्धारित समय से कम 48 घण्टे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
3. अंशधारियों से निवेदन है कि तुरन्त अपने परिवर्तित पते की सूचना, यदि कोई हो, को निगम के पंजीकृत कार्यालय पर सूचित करें।
4. सदस्य जो कि निगम के खातों व कार्यकलापों सम्बन्धी कोई जानकारी चाहने के इच्छुक हो, से गुजारिश है कि अपनी प्रश्नावली बैठक की दिन से सात दिवस पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि चाही गयी जानकारी बैठक के समय उपलब्ध करायी जा सकें।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान : जयपुर	ह0 (चिन्मयी गोपाल)	ह0 (ओम सिंह राठौड़)
दिनांक: 31 दिसम्बर, 2025	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक
	DIN 08411651	DIN 10984439

**ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
(CSR) ACTIVITIES 2024-25**

**[Pursuant to Section 134(3) (o) of the Companies Act, 2013 and Rule 8 of  
the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014]**

**1. A brief outline of the CSR Policy of the Company-**

RSSCL's CSR policy shall be to ensure that CSR activities are not performed in isolation but that it be skilfully and tied woven into the fabric of the company's business strategy for overall value creation for all stakeholders. RSSCL believes that profitability must be complemented by a sense of responsibility towards all stakeholders with a view to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of the people, preferably in the immediate vicinity of the company's offices but at the same time ensure widespread distribution of its CSR activities befitting its status as a conscientious corporate citizen. The projects proposed to be undertaken may be in the area of Education, Health care, Sustainable livelihood, Infrastructure development, espousing social causes and Environmental protection etc.

**2. Composition of the CSR Committee, number of meetings held on 17-12-2024 and 30-12-2024 during the year;**

Name of Director	Designation	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
Shri Rajan Vishal * (28-09-2024 to 22-11-2025)	Chairman	02	02
Smt. Nimisha Gupta ** (23-02-2024 to 23-09-2025)	Managing Director	02	02
Sh. Tikamchand Bohra	Director	02	02
Sh. Karan Singh Yadav	Director	02	01

**Note:**

1. He was eligible to attend the two meetings of CSR Committee as he was resigned from the company on 22-11-2025 so he was eligible to attend the meeting which was held on 17-12-2024 and 30-12-2024 during the year.
2. She was eligible to attend the two meetings of CSR Committee as she was appointed as a Managing director of the company on 23-02-2024 so she was eligible to attend the meetings held on 17-12-2024 and 30-12-2024 during the year.

3. Provide the web link where the Composition of the CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company- <http://www.rajseeds.org/CSRPolicy.pdf>
4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8- not applicable.
- 5.
- Average net profits for the three immediately preceding years: Rs. 20,00,44,099/-
  - Two percent of the average net profit of the company as per section 135(5)- Rs. 40,00,882/-
  - Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years. – Rs. 32,179/- (received back from Rajkiya Mahavidhyalay Jahajpur, Bhilwara related with Financial Year 2023-24)
  - Amount required to be set off for the financial year if any. Nil
  - Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] Rs. 40,33,061/-
- 6.
- Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project)- Rs. 40,51,000/-
  - Amount spent in Administrative Overheads: N.A.
  - Amount spent on Impact Assessment: Not applicable
  - Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]. Rs. 40,51,000/-
  - CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135.		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
37,01,000/-	NIL*	-		-	

- The unspent amount of Rs. 3.50 lacs (Rs. 17.50 lacs – Rs. 14.00 lacs) has been deposited into the separate Bank Account of the Corporation in the month of April and accordingly the details of the above column have been filled. The same amount of Rs. 3.50 lacs were actually with the corporation as on the date of 31.03.2025.

**f) Excess amount for set-off, if any:**

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
(1)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	40,00,882/-
(2)	Total amount spent for the Financial Year	37,01,000/-
(3)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	-2,99,882/-
(4)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	32,179/-
(5)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	3,32,061/-

**7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:**

1	2	3	4	5	6	7	8	
Sl. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any	Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	Deficiency, if any	
					Amount (in Rs)	Date of Transfer		
1.	FY-1 (2021-22)	-	-	30,00,000	-	-	7,86,055	-
2.	FY-2 (2022-23)	-	-	-	-	-	41,76,694	-
3.	FY-3 (2023-24)	-	-	77,94,210	-	-	-1,66,107	

**8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No**

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if any	Name	Residential Address
N.A.							

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

**9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135:**

There was no suitable proposal for Corporate Social Responsibility for the Financial Year 2024-25.

Sd/-  
(Managing Director).

Sd/-  
(Chairman CSR Committee)

Date: 31-12-2025

## राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, परिशिष्ट "अ"

### अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 का प्रत्युत्तर

#### योग्य राय का आधार

1. अनुलग्नक 1 का पैरा संख्या 1 सम्मानित पक्षों से शेष राशि की पुष्टि मांगी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पार्टियां ज्यादातर सरकारी विभाग/पीएसयू/सहकारी समितियां आदि हैं। इसके अलावा, हम सभी पार्टियों/विक्रेता/आपूर्तिकर्ता आदि के साथ संतुलन की पुष्टि/समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। विविध देनदारों के जमा शेष को मिलान करते हुये सम्बन्धित के खाते में जमा कर दिया जावेगा।
2. अनुलग्नक 1 का पैरा संख्या-2 अधिकांश एमएसएमई ने इस संबंध में खुलासा प्रस्तुत नहीं किया है।
3. अनुलग्नक 1 का पैरा संख्या-3 तथ्यात्मक विवरण के लिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

#### ध्यानाकषण मामले

1. रिवोल्विंग फण्ड राशि रु. 2.60 करोड़ अकालग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कम्पनी को वर्ष 1995 में उपलब्ध करवाया गया था। उक्त राशि नोट नं.-3 में चालू दायित्व के अन्तर्गत दर्शा रखी है, जो कि सरकार के द्वारा मांग किये जाने पर वापस लौटा दी जावेगी।
2. लेखा मानक 28 के अनुसार 31.03.2025 को कोई स्थायी सम्पत्ति ईम्पेयरऐबल नहीं हैं। भविष्य में यदि कोई सम्पत्ति ईम्पेयरऐबल होने पर लेखा मानक 28 के अनुसार का अनुसरण कर लिया जायेगा।
3. यह लगातार चालू/चल रहे खाते हैं, जिनके लिए हम पुष्टि प्राप्त करने के लिये प्रयासरत है।

#### अन्य मामले

1. कम्पनी के द्वारा प्रारम्भ से ही लेखा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। लेखानीति एवं कार्य प्रणाली के अनुसार निगम द्वारा इकाईयों का वार्षिक रिपोर्ट/आर्थिक विवरण का भाग लाभ हानि खाता विवरण इकाईवार तैयार नहीं किया गया है। स्कन्ध स्थानान्तरण का मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए लाभ हानि तथा/या/कि गणना की जा सकती है लेकिन यह निगम के लेखों का हिस्सा नहीं है।

—अन्य मामलों के संबंध में तथ्यात्मक विवरण पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के निगम के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में—

(अ) (अ) निगम ने मुख्य रूप से मुख्यालय और इकाईयों में पुराने प्रारूप में पीपीई के रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। हम इसे नए प्रारूप के अनुसार अपडेट कर रहे हैं।

(ब) पीवी रिपोर्ट के अनुसार निगम की अनुपयोगी संपत्ति और अन्य वस्तुओं को चिह्नित किया गया है और पीवी रिपोर्ट में उचित खुलासा किया गया है। मूल्य में समायोजन संपत्ति की नीलामी और बिक्री के अधीन है।

(स) (द) उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई है। कंपनी को तदर्थ आधार पर मूल्यांकित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरित की गई है। सह करने के लिए का मूल्य शून्य है।

(ई) (एफ) तथ्यात्मक विवरण के लिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

(ii) से (vi) तथ्यात्मक विवरण के लिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है

(vii) (अ) सभी अविवादित वैधानिक कटौतियाँ सम्बन्धित विभागों में जमा करवा दी जाती हैं।

(ब) आयकर विभाग में विवादित मामलों से सम्बन्धित राशि विवाद होने के कारण जमा नहीं करवाई गई है।

(viii) से (XX) तथ्यात्मक विवरण के लिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक :- अनुलग्नक 1. ब., स, एवं द तथ्यात्मक विवरण के लिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अंकेक्षण रिपोर्ट

## सदस्यों को

## राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (यहां बाद में निगम के रूप में संदर्भित) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है। वर्ष समाप्त हो गया, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 को निगम के मामलों की स्थिति, उसके लाभ और समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें। उस तारीख पर।

योग्य राय का आधार

हम नीचे वर्णित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर गलत बयानों के प्रभाव और अज्ञात गलत बयानों के संभावित प्रभाव, जो भौतिक हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से व्यापक नहीं हैं।

- (i) जैसा कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक I के पैरा 1 में बताया गया है, शेष राशि की पुष्टि नहीं करने और व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम और अन्य देनदारियों आदि के समाधान की प्रक्रिया का पालन नहीं करने के संबंध में।
- (ii) जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 22 द्वारा अपेक्षित विवरणों की गैर-पहचान और प्रकटीकरण के संबंध में इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध I के पैरा 2 में बताया गया है।
- (iii) जैसा कि इस ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्सर-। के पैरा 3 में बताया गया है, यह जानकारी लाइफ इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 2024-2025 के लिए ग्रेच्युटी और ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम की लायबिलिटी के एक्युअरियल वैल्यूएशन के बारे में मिली है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हमारी रिपोर्ट, हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार निगम से

स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### ध्यानाकर्षण मामले

हम वित्तीय विवरणों से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं

1. अन्य दीर्घकालिक देनदारियों के संबंध में बैलेंस शीट के नोट नंबर 3 को देखें, जिसमें सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए 260 लाख रुपये का रिर्वॉल्विंग फंड शामिल है, कंपनी ने उनके उपयोग के लिए अलग खाता नहीं रखा है। इसलिए, हम इसके उपयोग पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि कंपनी के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
2. कंपनी ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर नोट्स के नोट नंबर-ए के पैरा नंबर 14 में कहा है कि प्रबंधन ने लेखांकन मानक - 28 के अनुसार परिसंपत्तियों की हानि के बारे में बैलेंस शीट की तारीख की समीक्षा की है। हालांकि, कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की क्षति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और मूल्यांकन के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई क्षति हानि बिना मूल्यांकन के रह गई है या इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। लेखांकन मानक - 28 संपत्ति की हानि के अनुसार।
3. पैरा नं. देखें। विविध देनदारों, लेनदारों, ऋण और अग्रिम, सुरक्षा जमा, वर्तमान देनदारियों, बकाया देनदारियों, कृषि विभाग के पास जमा और बीज बैंकों के साथ परिक्रामी निधि के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर नोट्स के नोट संख्या-सी के 41 विषय हैं सुलह पर पुष्टि और आवश्यक समायोजन के लिए कंपनी ने एसए 505 (संशोधित)-बाहरी की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है पुष्टिकरण, इसके अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

### अन्य मामला

1. एक इकाई से दूसरी इकाई (आईयूटी) में इन्वेंटरी के हस्तांतरण के लिए लेखांकन प्रविष्टियां ऐसे हस्तांतरण के लिए मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखे बिना केवल मात्रा के लिए की जा रही हैं। यह प्रथा पिछले वर्षों से चली आ रही है। इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों की लाभप्रदता निर्धारित नहीं की जा सकी। इन अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

### वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी।

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार

का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है। या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि उसे भौतिक रूप से गलत बताया गया है।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों में लागू कार्यों का वर्णन करना होगा।

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में निगम की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रख रखाव भी शामिल है। उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं। गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन निगम की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने या करने का इरादा नहीं रखता है। कार्रवाई बंद कर दें, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एररएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रणकी समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं और (पप) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।



**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम श्में देते हैं अनुलग्नक एए, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण।

### अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि

- हमने इस ऑडिट रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में बताए गए मामलों को छोड़कर, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं।
- हमारी राय में, नियम 11(जी)।
- इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों से मेल खाते हैं।
- हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है। वर्णित मामले के प्रभावों और संभावित प्रभावों को छोड़कर योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर, -5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की वस्तुएं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन), -10 (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण), एएस-29 (प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति) जैसा कि ऊपर और इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध 1 में बताया गया है।
- एक सरकारी निगम होने के नाते, अधिसूचना संख्या के अनुसार। भारत सरकार द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं हैं।



- र) निगम के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक डी में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- ल) एक सरकारी निगम होने के नाते, अधिसूचना संख्या के अनुसार। भारत सरकार द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।
- व) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यताएं उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में बताई गई हैं। खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3)(बी) के तहत रिपोर्टिंग पर उपरोक्त पैराग्राफ (बी) और नियम 11 के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ (एफ) vi में बताए गए हैं। (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014।
- ट) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार।
- अ) निगम को डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि नहीं हुई।
- ब) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- स) (i) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में बताए गए अनुसार के अलावा, कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी से) निगम द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाईयों को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) भी शामिल हैं, को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ को अन्य स्रोत या प्रकार के फंड मिलेंगे, क्या, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देना या निवेश करना या निगम द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएँ (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करती हैं।
- (ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए अनुसार के अलावा, निगम को किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि निगम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें और
- (iii) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिस से हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन), जैसा कि ऊपर (अ) और (ब) के तहत दिया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।



**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

- द) वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए निगम द्वारा 75,92,975/- रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया गया है।
- य) हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच और हमें दी गई जानकारी शामिल है, निगम के पास संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। निगम ने कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम 2014 के नियम 11 (जी) के तहत ऑडिट ट्रेल और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- र) एक्ट की धारा 143(5) के अनुसार, हम "एनेक्सर-ब और स" में, कंपनी के संबंध में भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल द्वारा जारी निर्देशों में बताई गई बातों पर एक स्टेटमेंट देते हैं।

**धूत एंड एसोसिएट्स के लिए**  
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**  
**FRN-002145C**

**ह.**  
**दीक्षांत सोगानी**  
**साझेदार**  
**सदस्यता संख्या-400831**  
**स्थान-जयपुर**  
**तारीख -31.12.2025**

**UDIN-26400831TMLDMS1995**

नोट:- सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवार में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।



**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के रिपोर्ट अनुसूची-अ के अनुसार****(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में**

- (अ) (अ) निगम ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए नहीं रखे हैं।
- (ब) निगम ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
- (ब) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का हर साल सभी संपत्तियों को कवर करने के लिए डिजाइन किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम में प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में, निगम के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हालाँकि हमारी राय के अनुसार उनके द्वारा अपनाया गया तरीका विश्वसनीय नहीं है। विभिन्न इकाइयों से प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की सूची के अनुसार – संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की कुछ वस्तुओं को अनुपयोगी के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन निगम ने ऐसे अनुपयोगी के संबंध में न तो कोई खुलासा किया है और न ही मूल्य में कोई समायोजन किया है। अचल संपत्तियां।
- (स) अलवर को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां निगम पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के शीर्षक विलेख निगम के नाम पर रखे गए हैं और दुर्गापुरा इकाइयों के दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं हैं इसलिए हम इनके संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। जयपुर में स्थित प्रशासनिक भवन की अचल संपत्तियों के अन्य शीर्षक विलेख, जैसा कि खातों के नोट्स पैरा संख्या में बताया गया है। (21 ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों के नोट्स के नोट नंबर-सी को निगम के नाम पर नहीं रखा गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

तुलन पत्र में दिखाया गया	सम्पत्ति का विवरण	सकल मूल्य	टाइटल किसके नाम से है	टाइटल डीड प्रमोटर/निदेशक या कर्मचारी है क्या	सम्पत्ति कब है उसकी तिथि	कम्पनी के नाम से नहीं होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण	भूमि व भवन प्रशासनिक भवन	रु. 53.54 लाख	राज्य सरकार कृषि विभाग	एजेसी को प्रमोटर राज्य सरकार	वित्तीय वर्ष 1989-90	राज्य सरकार से स्वतंत्र संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।

- (द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(डी) के तहत रिपोर्टिंग निगम पर लागू नहीं है।
- (य) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए निगम को खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। 1988 (45 व 1988) और उसके तहत बनाए गए नियम।

**(iii) इन्वेंटरी के संबंध में**

- (अ) निगम इन्वेंट्री का उचित रिकॉर्ड बनाए रख रहा है। प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संयंत्र एवं मशीनरी की संपार्श्विक सुरक्षा। परीक्षण जांच के आधार पर सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण कंपनी के खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

**(iii) दिए गए ऋण के संबंध में**

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने न तो कोई निवेश किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है। वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को। तदनुसार, खंड 3(iii)(ए), 3(iii)(बी), 3(iii)(सी), 3(iii)(डी), 3(iii)(ई) और 3(iii)(एफ) के प्रावधान आदेश निगम पर लागू नहीं होते हैं।

**(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में**

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

**(v) सार्वजनिक जमा के संबंध में**

निगम ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के तहत कवर की गई जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (अ) लागू नहीं होता है।

**(vi) लागत रिकॉर्ड के संबंध में**

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए निर्धारित नहीं किया है।

**(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में**

(अ) निगम माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। उपयुक्त प्राधिकारियों को देय कोई अन्य वैधानिक।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, उप-खंड (ए) में उल्लिखित कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो। निम्नलिखित को छोड़कर



**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

क्र.सं.	नाम	अवधि	जहाँ बकाया है	सकल मांग राशि	मांग के अधीन जमा राशि/आयकर विभाग द्वारा समायोजित राशि	राशि जमा नहीं करवाई गई
1.	आयकर	2017-18	CIT Appeals -I Jaipur	146.12	146.12	NIL
2.	आयकर	2017-18	CIT Appeals -I Jaipur & High Court of Rajasthan	18.59	NIL	18.58
3.	आयकर	2020-21	CIT Appeals -I Jaipur	2.27	2.27	NIL

### (viii) अघोषित आय के संबंध में

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने आय के तहत कर निर्धारण में किसी भी लेनदेन को सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं था। वर्ष के दौरान आय के रूप में कर अधिनियम, 1961।

### (IX) ऋण की अदायगी के संबंध में

- (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।
- (द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम की बैलेंस शीट की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई कोई भी धनराशि निगम द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की गई है।
- (य) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित है) में कोई निवेश नहीं रखता है। तदनुसार, खंड 3(ix)(e) लागू नहीं है।



**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

(र) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम किसी भी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित है) में कोई निवेश नहीं रखता है। तदनुसार, खंड 3(ix)(f) लागू नहीं है।

**(x) आईपीओ / ईपीओ / ऋण वित्त के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के संबंध में**

(अ) निगम ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। साल के दौरान। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(बी) लागू नहीं होता है।

**(xi) धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के संबंध में**

(अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान निगम द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा निगम पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (ऑडिट और) के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा दायर नहीं की गई है। केंद्र सरकार के साथ लेखापरीक्षक) नियम, 2014।

(स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम को कोई किसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

**(xii) निधि कंपनी के संबंध में**

निगम कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii)(ए), 3(xii)(बी) और 3(xii)(सी) लागू नहीं होता है।

**(xiii) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में**

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है, जैसा कि आवश्यक है। लागू लेखांकन मानक।

**(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संबंध में**

(अ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, निगम के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है।

(ब) हमने ऑडिट अवधि के लिए आज तक जारी निगम की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।

**(xv) गैर नकद लेनदेन के संबंध में**

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के



**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

### (xvi) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 451ए के अनुपालन के संबंध में

- (अ) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, निगम को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं होता है।
- (ब) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। 1934. तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(बी) लागू नहीं होता है।
- (स) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, निगम एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(सी) लागू नहीं होता है।
- (द) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

(xvii) हमारी जांच के आधार पर, निगम को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

### (xviii) वैधानिक लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के संबंध में

वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

### (xix) दायित्व को पूरा करने में किसी भी भौतिक अनिश्चितता के संबंध में

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और हमारी जांच के आधार पर धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि निगम बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। एक अवधि के भीतर गिरना बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। निगम जब भी उनका बकाया होगा।

### (xx) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत अव्ययित राशि के संबंध में

हमारी जांच के आधार पर निगम पर धारा 135 का प्रावधान लागू है।



Dhoot & Associates  
Chartered AccountantsF-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

- (अ) कॉर्पोरेशन ने साल के लिए CSR ऑब्लिगेशन का पूरा प्रोविजन नहीं किया है। हालाँकि, इसका असर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ज्यादा नहीं है।
- (ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, चल रहे प्रोजेक्ट्स के अलावा, कॉर्पोरेशन ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रोविजन के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर, कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट एक फंड में बिना खर्च की गई राशि ट्रांसफर कर दी है, सिवाय निम्नलिखित के संबंध में

Financial year*	Amount unspent on CSR activities "other than Ongoing Projects" Rs.	Amount Transferred to Fund specified in Sch. VII within 6 months from the end of the Financial Year	Amount Transferred after the due date (specify the date of deposit)
2022-2023	1,700	NIL	NIL
2023-2024	3,33,892/-	NIL	NIL
Total	3,35,592/-		

(\*चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए, जिसके लिए राशि खर्च नहीं की गई है)

- (स) कॉर्पोरेशन के पास कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत कोई चालू प्रोजेक्ट नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के पैराग्राफ 3(20)(ब) लागू नहीं होते हैं।
- (द) कॉर्पोरेशन को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह क्लॉज लागू नहीं होता है।

धूत एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN-002145C

ह.

दीक्षांत सोगानी

साझेदार

सदस्यता संख्या-400831

स्थान-जयपुर

तारीख -31.12.2025

UDIN-26400831TMLDMS1995

नोट:- सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवार में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।



**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

## अनुलग्नक – I – 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड जयपुर की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित

1. नोट संख्या 3 (अन्य दीर्घकालिक देनदारियां) नोट संख्या 6 (व्यापार देय), नोट संख्या 7 (अन्य वर्तमान देनदारियां), 23 (अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति) नोट संख्या 11 (व्यापार प्राप्य) नोट के संदर्भ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संख्या 13 (अल्पकालिक ऋण और अग्रिम), निगम ने उनके शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है खातों की पुस्तकों में एक विशेष दिन और इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले शेषों के समाधान से लेकर अन्य दीर्घकालिक देनदारियां, व्यापार देय, अन्य वर्तमान देनदारियां, अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति, व्यापार प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम की कोई प्रक्रिया नहीं की गई। आदि, जिनकी अंतिम पुष्टि समाधान हमारे प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकता है, इसलिए, अनिश्चितता के कारण हम ऐसे अग्रिमों/बकाया की वसूली की सीमा के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। शामिल।
2. हम वित्तीय विवरण के नोट नंबर 6 का संदर्भ लेते हैं जहां निगम ने एमएसएमई पर प्रकटीकरण के संबंध में कहा है कि "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006" के प्रावधानों के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आपूर्तिकर्ताओं की पहचान आधारित है। प्रबंधन को उनकी स्थिति का ज्ञान। 31 मार्च, 2023 या 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कोई बकाया नहीं है। हालांकि, निगम ने सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की पहचान के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं। इकाई द्वारा सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की पहचान न करने और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18 के तहत देय ब्याज के लिए प्रावधान न करने और वर्तमान रिपोर्टिंग में एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 22 के अनुसार आवश्यक विवरणों का खुलासा न करने के कारण वर्ष के साथ-साथ पिछले रिपोर्टिंग वर्ष में लाभ को अधिक बताने और व्यापार देयध्यालू देनदारियों को कम बताने का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।
3. हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नोट नंबर 18 एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, बैलेंस शीट के नोट नंबर 13 शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेज और महत्वपूर्ण अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंट्स के नोट्स के पैरा नंबर 27 (अ) और 27(ब) का हवाला देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिले ग्रेच्युटी और ग्रुप लीव एनकैशमेंट के एक्युअरियल वैल्यूएशन में अकाउंट्स की किताबों और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी डिमांड लेटर की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए एक अलग कंट्रीब्यूशन राशि बताई गई है। सही एक्युअरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट न होने के कारण हम चालू वर्ष के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज राशियों पर टिप्पणी करने और चालू वर्ष की स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

घूत एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

**FRN-002145C**

ह.

दीक्षांत सोगानी

साझेदार

सदस्यता संख्या-400831

स्थान-जयपुर

तारीख -31.12.2025

**UDIN-26400831TMLDMS1995**

नोट:- सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवार में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।



Dhoot & Associates  
Chartered AccountantsF-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा  
परीक्षक द्वारा जारी निर्देश  
अनुसूची बी**

क्र.सं.	सामान्य निर्देश	रिमाकर्ष
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में खातों की किताबें बनाए रखी जाती हैं, हालांकि स्टॉक रजिस्टर मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाता है। इसके अलावा, जैसा कि हमें बताया गया है, रिकॉर्ड के लिए बैक अप सिस्टम मौजूद नहीं है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बढ़े खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	ऋणदाता द्वारा ऋणों का कोई पुनर्गठन और माफी/बढ़े खाते में नहीं डाला गया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्य है। या इसकी एजेंसियों का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	निगम राज्य सरकार से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) के लिए अलग-अलग खाता बही बनाए रखता है। या इसकी एजेंसियों। हालांकि, निगम ने उत्पादन और विपणन सब्सिडी को छोड़कर नियम और शर्तों/योजना विवरण उपलब्ध/प्रदान नहीं किया था, इसलिए हम उचित लेखांकन या धन (अनुदान/सब्सिडी आदि) के उपयोग के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

**धूत एंड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट**

FRN-002145C

ह.

दीक्षांत सोगानी

साझेदार

सदस्यता संख्या-400831

स्थान-जयपुर

तारीख -31.12.2025

UDIN-26400831TMLDMS1995



नोट:- सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवार में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
द्वारा जारी निर्देश  
अनुसूची-सी**

क्र.सं.	कंपनी/सेक्टर विशिष्ट दिशा-निर्देश (उप-दिशा-निर्देश)	टिप्पणी
1.	क्या वित्तीय वर्ष के अंत में मानक उद्योग प्रथाओं के अनुसार खड़ी फसलों/पेड़ों का भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन किया गया था?	निगम के पास कोई खड़ी फसल/पेड़ नहीं है। जैसा कि हमें बताया गया है, उत्पादन योजना के अनुसार अपेक्षित पैदावार के लिए खेतों/बीज उत्पादकों पर खेती के तहत फसल का भौतिक सत्यापन किया जाता है। खड़ी फसलों के मूल्यांकन के लिए निगम के पास कोई नीति नहीं है।
2.	क्या भौतिक सत्यापन में पाई गई कमी/अधिकता के समायोजन के बाद स्टॉक रिकॉर्ड के आधार पर बीज, पैकिंग/प्रमाणीकरण सामग्री और अन्य वस्तुओं का स्टॉक उपलब्ध है और क्या पुराने स्टॉक की गुणवत्ता में गिरावट पर उचित विचार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ओवरवैल्यूएशन हो सकता है। भंडार?	निगम मैन्युअल रूप से स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रख रहा है। जैसा कि बताया गया है, निगम में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने की प्रथा है और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए फिट/अनफिट स्टॉक पर विचार किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार कम/खराब स्टॉक, यदि कोई हो, को खातों की पुस्तकों में समायोजित कर दिया जाता है।
3.	क्या कंपनी के पास लाभार्थियों को ऋण/सब्सिडी/कृषि इनपुट और कृषि मशीनरी के वितरण और लाभार्थियों से ब्याज, यदि कोई हो, सहित उसकी (ऋण) वसूली के लिए एक प्रभावी तंत्र है?	जैसा कि हमें बताया गया है कि बीजों से संबंधित सब्सिडी सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार वितरित की गई है।

घृत एंड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
FRN-002145C

ह.  
दीक्षांत सोगानी  
साझेदार  
सदस्यता संख्या-400831  
स्थान-जयपुर  
तारीख -31.12.2025  
UDIN-26400831TMLDMS1995



नोट:- सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवार में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट अनुलग्नक "डी"

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (निगम) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो निगम की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है।, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं।

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है।
2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं और
3. निगम की उन संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जिनमें कोई सामग्री हो सकती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण अपर्याप्त हो सकता है। खराब हो सकता है।

**राय**

हमारी राय में, निगम के पास योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31,2025, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा

**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

धूत एंड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

**FRN-002145C**

ह.

दीक्षांत सोगानी

साझेदार

सदस्यता संख्या-400831

स्थान-जयपुर

तारीख -31.12.2025

**UDIN-26400831TMLDMS1995**



नोट:- सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवार में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

परिशिष्ट "ब"**REPLY OF SECRETARIAL AUDIT REPORT 2024-25**

Reply of observation of Secretarial Auditor mention in is Secretarial Audit Report for financial year 2024-25 as follow:-

1. I to VI being statement of facts needs no comments.
2. Pointwise reply of observation of Secretarial auditor mention in is Secretarial Audit Report in Point number VII:-
  - a) The process of Appointment of Independent Director under section 149 of Companies Act 2013 is under process. The point noted to be future compliance.

**Date: 31-12-2025**

**By order of Board of Directors**  
**Sd/-**  
**(Managing Director)**



**S RAMESH & ASSOCIATES**  
**COMPANY SECRETARIES**  
B-4, Om Shree Tower,  
Near Lotus Dairy, Opp. J P Phatak  
Sehkar Marg, Jaipur-302015  
Mobile No: 9829829410  
E-mail: [csrkshivan@gmail.com](mailto:csrkshivan@gmail.com)

**FORM NO. MR-3**  
**SECRETARIAL AUDIT REPORT**  
**FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31-03-2025**

(Pursuant to the Section 204(1) of the Companies Act, 2013 read with Rule No. 9 of The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014)

**TO,**

**THE MEMBERS**

**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED,**  
**3rd Floor, Pant Krishi Bhawan,**  
**Janpath, Jaipur-302005**

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED** (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the **RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st Day of March, 2025**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED** for the Financial Year ended on **31st Day of March, 2025**, according to the provisions of:

1. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
2. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (SCRA) and the rules made there under; (**AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE**)
3. The Depositories Act, 1996 and the regulations and Bye-Laws framed thereunder; (**AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE**)
4. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extend to Foreign Direct Investment, overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (**AS THE COMPANY HAS NOT DONE ANY FOREIGN INVESTMENT NOR HAS ACCEPTED ANY INVESTMENT FROM FOREIGN AS DISCLOSED BY THE COMPANY**)



**S RAMESH & ASSOCIATES**  
**COMPANY SECRETARIES**  
 B-4, Om Shree Tower,  
 Near Lotus Dairy, Opp. J P Phatak  
 Sehkar Marg, Jaipur-302015  
 Mobile No: 9829829410  
 E-mail: srkshbvnani@yahoo.in

5. The following Regulations and guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act):-
- The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of shares and Takeovers) Regulations, 2011; **(AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE)**
  - The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; **(AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE)**
  - The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; **(AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE)**
  - The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999; **(AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE)**
  - The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; **(AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE)**
  - The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **(AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE)**
  - The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and **(AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE)**
  - The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(AS THE COMPANY IS UNLISTED COMPANY CLAUSE NOT APPLICABLE)**
6. The Seed Act, 1996 and rules there under is a specific other law and rules as applicable on the Company.

We have also examined compliance with the applicable clause of the following:

- The Secretarial Standards with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- The Company has not entered into Listing Agreement with any Stock Exchanges.

We have not examined Financial Laws, Cost Audit related records and necessary Rules, as the same has been audited by other independent Professionals.

During the period under review, the company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observation:

- The Board of Directors of the company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors except that the Company has not appointed Independent Directors in the



**S RAMESH & ASSOCIATES**  
**COMPANY SECRETARIES**  
B-4, Om Shree Tower,  
Near Lotus Dairy, Opp. J P Phatak  
Sehkar Marg, Jaipur-302015  
Mobile No: 9829829410  
E-mail: csrkshtvnanis@yahoo.in

Company pursuant to provisions of section 149 of the Companies Act, 2013 but as on the date of report, since the company is a State Government owned Company, it has pursued Government of Rajasthan for appointment of Independent Directors on its Board.

Subject to our above observation mentioned at para no. 1, I further report that,

1. The Board of Directors of the company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
2. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
3. Majority decision was taken unanimous by Board and no dissenting views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

**DATE: 31.12.2025**

**PLACE: JAIPUR**

**FOR S RAMESH & ASSOCIATES**

**Sd/-**

**RAMESH KUMAR SHIVNANI**

**COMPANY SECRETARY**

**M. NO.: FCS 7374**

**CP NO.: 6873**

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "ANNEXURE-A" and forms an integral part of this report.



**S RAMESH & ASSOCIATES**  
**COMPANY SECRETARIES**  
B-4, Om Shree Tower,  
Near Lotus Dairy, Opp. J P Phatak  
Sehkar Marg, Jaipur-302015  
Mobile No: 9829829410  
E-mail: csr.kshivnani@yahoo.in

---

**“ANNEXURE A”**

**To,**  
**THE MEMBERS**  
**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED,**  
**3rd Floor, Pant Krishi Bhawan,**  
**Janpath, Jaipur-302005**

Our report of even date is to be read with the following clarification and explanation:

1. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on the test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed, provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation/ information / confirmation about compliance of laws, rules and regulations and happenings of events etc.
5. The compliance of provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

**DATE: 31.12.2025**

**PLACE: JAIPUR**

**FOR S RAMESH & ASSOCIATES**

**Sd/-**

**RAMESH KUMAR SHIVNANI**

**COMPANY SECRETARY**

**M. NO.: FCS 7374**

**CP NO.: 6873**

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 राष्ट्रीय कार्यालय (राज्य) भवन, एन.डी. रोड, जयपुर, जयपुर-302006  
 CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 061781  
 www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2127665, 3217514  
 प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च 2025

विवरण		श्रेणी नं.	वर्ष 2024-2025 को	वर्ष 2023-2024 को
L	सामान्य और दायित्व			
1	अंशधारियों की निधि			
	(अ) अंश पूंजी	1	750.30	750.20
	(ब) आरक्षित निधि एवम् अधिकोश	2	20,175.10	18,219.51
	(स) अंश वास्तु के विस्तृत प्राप्य रूपसे			-
			<b>20,934.40</b>	<b>18,978.80</b>
2	अंश पूंजी के विस्तृत बकाया कावरेज राशि			-
3	गैर धारक दायित्व			
	(अ) रक्षित लम्बी अवधि की		-	-
	(ब) बैलेंस कर दायित्व (नेट)		-	-
	(स) अन्य लम्बी अवधि के दायित्व	3	1,912.12	1,912.12
	(द) लम्बी अवधि के प्राक्कान	4	-	0.35
			<b>1,912.12</b>	<b>1,912.47</b>
4	भारत दायित्व			
	(अ) रक्षित छोटी अवधि की	5	-	-
	(ब) व्यापारिक देयताएँ			
	(क) कुल बकाया राशि सूत्र एवं लघु उद्यमों के	6	3,150.55	1,050.51
	(ख) कुल बकाया देयता लेनदारों की सूत्र एवं लघु उद्यमों के			
	(स) अन्य भारत दायित्व	7	7,831.63	6,080.56
	(द) छोटी अवधि के प्राक्कान	8	1,487.28	996.28
			<b>12,469.46</b>	<b>9,615.35</b>
	<b>योग</b>		<b>35,315.98</b>	<b>30,508.62</b>
8	सम्पत्तियाँ			
1	मान-भारत सम्पत्तियाँ			
	(अ) सम्पत्ति प्लान्ट्स एवं औजार			
	(i) टैन्डरिबल सम्पत्तियाँ प्लान्ट्स एवं औजार	9	2,659.43	2,809.11
	(ii) इन्वेंटॉरिबल सम्पत्तियाँ			
	(iii) पूंजीगत स्वयं प्रगतिशील		-	76.96
	(ब) मान-भारत विनियोग			-
	(स) स्थापित (डिपॉजिट) कर सम्पत्तियाँ (सूत्र)	22	305.25	245.18
	(द) लम्बि अवधि के ऋण एवं अधिन			
	(ई) अन्य मान-भारत सम्पत्तियाँ	23	19.63	19.85
			<b>2,984.31</b>	<b>3,151.10</b>
2	भारत सम्पत्तियाँ			
	(अ) भारत विनियोग			
	(ब) अन्तिम सहायता	10	3,491.16	7,243.82
	(स) व्यापारिक प्राप्ति	11	9,781.02	6,978.70
	(द) नकद और नकद तुल्य	12	2,773.84	1,442.90
	(य) ऋण और अधिन छोटी अवधि की	13	18,192.71	11,589.75
	(र) अन्य भारत सम्पत्तियाँ	14	112.95	120.35
			<b>32,331.67</b>	<b>27,355.52</b>
	<b>योग</b>		<b>35,315.98</b>	<b>30,508.62</b>
	वित्तीय प्रयत्न को सहजगत्त लेख विधियों से कार्यालय नोट नं. 24 के अनुसार जो कि इन विवरण प्रयत्नों के अन्तर्गत कर बकाये वाले हैं उनका हिसाब है।	24		

ह. राकेश मामनानी  
 कम्पनी सचिव  
 M-No. F8834

ह. हरि मोहन शर्मा  
 वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)

ह. महेन्द्र कुमार शर्मा  
 महा प्रबन्धक

ह. ओम सिंह राजौड़  
 निदेशक  
 DIN No. 10984439

ह. विन्मयी गोपाल  
 प्रबन्धक निदेशक  
 DIN No. 08411651

ह. मंजू राजपाल  
 अध्यक्ष  
 DIN No. 07825977

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृष्ठक प्रतिवेदन के अन्वयधीन कृते घृत एण्ड एसोसियेटेड्स चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स FRN No. 002145C



स्थान : जयपुर  
 दिनांक : 31.12.2025  
 UDIN: 26400831TMLDMS1995

ह. सीए दीक्षांत सोमानी  
 (भागीदार)  
 M. No. 400831

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 राष्ट्रीय कार्पोरेट सूची में सूचीकृत, प्लान सुविधा प्राप्त, प्रजान, प्रजान-200005  
 CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
 www.rajseeds.org, e-mail- corajseeds@gmail.com, Tel-0141-2327665, 2227514  
 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत - 31 मार्च 2025

		रुपये में		
	विवरण	नोट नं.	वर्ष 2024-2025 को	वर्ष 2023-2024 को
III	क्रियाओं से पैमाने (नोट)	15	36,770.86	23,024.89
III	अन्य आय	16	324.73	380.12
III	कुल आय (III+III)		37,095.59	23,405.01
IV	व्यय			
	(अ) वित्तियोग व्यय की लागत		-	-
	(ब) स्टॉक ट्रेड की लागत	17 III	22,858.75	16,232.30
	(स) पूर्ण माह, कार्य प्रगतिशील और व्यापार के स्टॉक में बदलाव	17 IV	3,871.92	-1,419.02
	(द) कार्रवाई के-रिजिस्टर्ड व्यय	18	1,408.16	1,522.09
	(इ) वित्तीय लागत	19	808.65	316.71
	(ए) सीएसआर व्यय	20	40.01	34.51
	(सि) डाय और लॉजिस्टिक्स व्यय	9	190.40	210.26
	(डि) अन्य व्यय	21	5,370.28	4,317.33
	कुल व्यय		34,346.21	21,314.23
V	असाई इतिहास नदे, अन्य विविध नदे, व्याज, टेक्स से पूर्व (ई.सी.आई.टी.) (3-4)		2,749.48	2,190.78
VI	असाधारण नदे		-	-
VII	लाभ/(हानि) अन्य विविध नदे और कर से पूर्व (5-8)		2,749.48	2,190.78
VIII	अन्य विविध नदे		-	-
IX	लाभ/(हानि) कर से पूर्व (7-8)		2,749.48	2,190.78
X	विभिन्न वर्ग की आय/(व्यय)	19 (II)	44.72	17.20
XI	लाभ/(हानि) प्राप्त क्रियाओं से (9-14)		2,794.21	2,208.04
XII	कर व्यय			
	(अ) प्राप्त वर्ग का कर		820.00	585.00
	(ब) विभिन्न वर्ग का कर		2.74	-
	(स) डेफर्रेड कर	22	-80.07	16.55
XIII	लाभ/(हानि) प्राप्त क्रियाओं से (11-12)		2,031.84	1,608.49
XIV	अप्राप्त क्रियाएं			
	(I) लाभ/(हानि) अप्राप्त क्रियाओं से (अन्य पूर्व)		-	-
	(II) असाधारण/असाधारण के निष्कारण से/अप्राप्त क्रियाओं के कार्रवायों का संतुलन		-	-
	(III) लॉजिस्टिक्स/लागव (अप्राप्त) कर व्यय अप्राप्त क्रियाओं से		-	-
	(IV) असाधारण गतिविधियों अप्राप्त क्रियाओं से		-	-
	(V) लाभ/(हानि) असाधारण के विवेक से कार्रवायों का संतुलन		-	-
XV	लाभ/(हानि) अप्राप्त क्रियाओं से (14(I) ± 14(II) ± 14(III))		-	-
	कुल अप्राप्त क्रियाएं		-	-
XVI	लाभ/(हानि) वर्ष के विषय (13-14)		2,031.84	1,608.49
स	असाधारण इतिहास (र. प्रत्येक)			
	(अ) कुल		267.32	211.39
	आवृत्त क्रियाएं		267.32	211.39
	(ब) कार्रवायुद्ध		267.32	211.39
	आवृत्त क्रियाएं		267.32	211.39
	(ग) कुल क्रियाएं		267.32	211.39
XVII	असाधारण इतिहास (अन्य विविध नदों को छोड़कर हुए) र. प्रत्येक			
	(अ) कुल		267.32	211.39
	आवृत्त क्रियाएं		267.32	211.39
	(ब) कार्रवायुद्ध		267.32	211.39
	आवृत्त क्रियाएं		267.32	211.39
	(ग) कुल क्रियाएं		267.32	211.39
	विवरण प्रत्येक को पदावली लेख विवरणों का संतुलन नोट नं. 24 से अनुसरण की कि इन विवरण प्रत्येक को संतुलन पर कार्य करने पर ही अपना किया है।	24		

ह. राकेश मामनानी  
 कम्पनी सचिव  
 M-No. F8834

ह. हरि मोहन शर्मा  
 वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)

ह. महेन्द्र कुमार शर्मा  
 महा प्रबन्धक

ह. ओम सिंह राजौड़  
 निदेशक  
 DIN No. 10984439

ह. विन्मयी गोपाल  
 प्रबन्धक निदेशक  
 DIN No. 08411651

ह. मंजू राजपाल  
 अध्यक्ष  
 DIN No. 07825977

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अग्रणी  
 कृते घृत एण्ड एसोसियेट्स  
 चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स  
 FRN No. 002145C



स्थान : जयपुर  
 दिनांक : 31.12.2025  
 UDIN: 26400831TMLDMS1995

ह. सीए दीक्षांत सोमानी  
 (मागीदार)  
 M. No. 400831

**राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय-पूणे, महाराष्ट्र, पिन कोड 411 004, फोन नं. 2222000  
 CIN NO. U75122 RJ 1978 SGC 881781  
 www.rsjseeds.org, e-mail- rcs@seeds@gmail.com, Tel-8141-2227885, 2227524

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण पत्र**

राशि ₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
<b>(अ) (अ) परिचालन प्रक्रिया से नकद प्रवाह</b>		
शुद्ध लाभ कर एव अंतराधान मद से पूर्व	2,794.21	2,208.94
समायोजन :		
समायोजन :		
अतिरिक्त आसन्न प्रस्ताव/भंडार प्रति विधेय वर्ष को	190.40	210.26
आस/अनोपलब्ध होने वाले प्रस्ताव/भंडार	-	-
असंगत लाभ	-2.04	-25.38
असंगत एवं वित्तीय लाभ	608.69	316.71
शुद्ध लाभ अंतराधान	235.37	60.57
पूर्व वर्ष से सम्बन्धित लाभ		
<b>कार्यवाही पूर्व की परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ</b>	<b>3,029.62</b>	<b>3,170.31</b>
विभिन्न वेतनपूर्ति में (अधीनस्थ)/भंडार	-3,060.60	-2,093.49
स्टॉक में (अधीनस्थ)/भंडार	3,752.67	428.39
आस एवं अतिरिक्त में (अधीनस्थ)/भंडार	-4,572.65	-3,321.54
असंगत एवं अन्य वेतनपूर्ति में (अधीनस्थ)/भंडार	2,366.08	246.76
<b>परिचालन से नकद अंतराधान</b>	<b>2,312.33</b>	<b>-3,126.65</b>
करों का भुगतान	234.73	-
<b>परिचालन प्रक्रिया से शुद्ध नकद</b>	<b>1,977.38</b>	<b>-3,126.65</b>
<b>(ब) (ब) विनियोजन प्रक्रिया से नकद प्रवाह</b>		
स्वायत्त परिवर्तनपूर्ति का प्रवाह	-40.71	-36.55
पूर्ववर्तित करों का प्रतिकूल प्रवाह	77.18	0.53
स्वायत्त परिवर्तनपूर्ति के विधेय से	-0.35	-53.39
असंगत प्रवाह	2.04	25.38
<b>विनियोजन प्रक्रिया से शुद्ध नकद</b>	<b>38.15</b>	<b>-64.63</b>
<b>(स) (स) वित्तीय प्रक्रिया से शुद्ध नकद का उपयोग</b>		
असंगत पूर्व की प्रक्रिया	0.01	-
आस एवं अतिरिक्त	-75.90	-77.50
असंगत एवं अतिरिक्त	-608.69	-316.71
<b>नकद एवं नकद से असाधन में शुद्ध अधीनस्थ/भंडार</b>	<b>-684.58</b>	<b>-393.81</b>
<b>नकद एवं नकद से असाधन में शुद्ध अधीनस्थ/भंडार (असंगत-संगत)</b>	<b>1,392.94</b>	<b>-3,480.39</b>
वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद से असाधन नकद एवं बैंक शेष	1,662.90	5,126.79
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद से असाधन नकद एवं बैंक शेष	1,773.84	1,642.90

नोट- नकद एवं नकद से असाधन में अंतराधान नहीं हुआ क. 7.82/- आस (पूर्व वर्ष में 7.88/- आस) आसों की राशि भी और क. 0.99/- आस (पूर्व वर्ष में राशि क. 0.99/- आस) अंतराधान खातों में सन्निहित है जो कि अन्तर्गत के अंतराधान से लिये अंतराधान नहीं है।

विवरण	राशि रुपये लाखों में वर्ष	राशि रुपये लाखों में निष्पत्ता वर्ष
<b>1. नकद एवं नकद से असाधन में अंतराधान</b>		
अंतराधान से असाधन	0.19	0.24
परिचालन प्रक्रिया से असाधन (अधीनस्थ)	-	450.00
शेष बैंकों के असाधन		
शुद्ध अंतराधान से असाधन	2,773.05	302.56
अंतराधान से असाधन	-	600.00
अंतराधान से असाधन	-	-
<b>वार्षिक अंतराधान से असाधन</b>	<b>2,773.05</b>	<b>1,442.90</b>

विवरण	वर्ष		अंतराधान	
	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024
परिचालन प्रक्रिया से शुद्ध नकद	1,977.38	(3,236.65)	-	-
विनियोजन प्रक्रिया से शुद्ध नकद	38.15	(64.63)	-	-
वित्तीय प्रक्रिया से शुद्ध नकद	-684.58	-393.81	-	-
<b>अंतराधान से असाधन</b>	<b>1,392.94</b>	<b>(3,685.09)</b>	-	-

ह. साकेरा मामनानी, कम्पनी सचिव, M-No. F8834  
 ह. हरि मोहन शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)  
 ह. महेन्द्र कुमार शर्मा, महा प्रबन्धक  
 ह. ओम सिंह राजौड़, निदेशक, DIN No. 10984439  
 ह. विन्मयी गोपाल, प्रबन्धक निदेशक, DIN No. 08411651  
 ह. मंजू राजपाल, अध्यक्ष, DIN No. 07825977

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृष्ठक प्रतिवेदन के अन्तर्गत  
 कृते घृत एण्ड एसोसियेटेड्स  
 चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स  
 FRN No. 002145C



स्थान : जयपुर  
 दिनांक : 31.12.2025  
 UDIN: 26400831TMLDMS1995

ह. सीए दीक्षांत सोमानी  
 (भागीदार)  
 M. No. 400831

## राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय/प्राथमिक नौजिल, पन्ना कृषि भवन, जलन्धर, जायपुर-302005  
CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

www.rajseeds.org, e-mail- rajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514  
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 1 अंशद्वैती

₹ लाखों में

	विवरण	प्रारम्भिक शेयर	जाड़ियों	घटाये	अंतिम शेयर
	<b>अधिकृत पूँजी:</b>				
	3900000 साम्य अंश प्रत्येक 100 रुपये	3900.00	-	-	3900.00
	100000 अविभाज्य अंश प्रत्येक 100 रुपये	100.00	-	-	100.00
	<b>निर्गमित पूँजी:</b>				
	849543 साम्य अंश प्रत्येक 100 रुपये	849.54	-	-	849.54
	अभिव्यक्त और पूर्ण इवत पूँजी	-	-	-	-
	759976 साम्य अंश प्रत्येक 100 रुपये	759.98	-	-	759.98
घटकर	बकाया नींग राशि	0.88	-	0.01	0.88
घटकर	बाका अंश	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>759.29</b>		<b>0.01</b>	<b>759.30</b>

\* बकाया नींग राशि 882 (पूर्व वर्ष के 870) साम्य अंशों पर

## (A) अंशों का वितरण

अंशों की संख्या	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	अंशों की संख्या	₹ लाखों में	अंशों की संख्या	₹ लाखों में
<b>साम्य अंश</b>				
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	7,59,976.00	759.98	7,59,976.00	759.98
निर्गमित अंश की वर्ष के दौरान	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	7,59,976.00	759.98	7,59,976.00	759.98
<b>अविभाज्य अंश</b>				
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	-	-	-	-
निर्गमित अंश की वर्ष के दौरान	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	-	-	-	-

## (B) 5 प्रतिशत से अधिक अंशधारियों की सूची

5 प्रतिशत से अधिक अंशधारियों के नाम जो कि तुरन्त पत्र में नीचे दिखाई गई है।

क्र.सं.	अंश धारियों के नाम	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की	अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की
1	राजस्थान राज्य सरकार के पास	6,33,900.00	83.37%	6,33,000.00	83.37%
2	राष्ट्रीय बीज निगम गई दिल्ली	1,13,930.00	15.00%	1,13,930.00	15.00%
	<b>योग</b>	<b>7,46,930.00</b>	<b>98.37%</b>	<b>7,46,930.00</b>	<b>98.37%</b>

## (III) साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध

क्र.सं.	अंश धारियों के नाम	अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की	प्रतिशत में बदलाव वर्ष के दौरान
1	राजस्थान राज्य सरकार के पास	6,33,000.00	83.37%	-
2	राष्ट्रीय बीज निगम गई दिल्ली	1,13,930.00	15.00%	-
	<b>योग</b>	<b>746930.00</b>	<b>98.37%</b>	<b>-</b>

## साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध

## (IV)

साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध सम्पन्नी के पास साम्य अंश धेनी के अंश अधिकतम 100 % प्रति अंश धे कि निर्गमित एवं अभिव्यक्त है। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश के 200 रुपये अंश के लिये योग्य है। साम्य अंशों के धारक संभालक मन्कड के द्वारा प्रस्तावित समाप्त अंशगी वार्षिक सभाधरण समा में अंशधारकों के अनुमोदन के लख, अन्तर्नि समाप्त के अखण्ड सम्पत्ति के रूप में होने की स्थिति में शेयर सम्पत्तियों में से उनके पास धारित साम्य अंशों की संख्या एवं चुकानी गयी राशि के अनुपात में प्राप्त करने के योग्य है।



## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 2 आरक्षित निधि एवं अधिपत्र

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
<b>(अ) पूंजी आरक्षित निधि</b>		
प्रारम्भिक शेष	0.45	0.45
जोड़िये: अतिरिक्त वर्ष के दौरान	-	-
घटाये: उपयोग/स्थानान्तरण वर्ष के दौरान	-	-
अन्तिम शेष	0.45	0.45
<b>(ब) सामान्य आरक्षित निधि</b>		
प्रारम्भिक शेष	0.17	0.17
जोड़िये: लाभ/हानि की बचत का स्थानान्तरण	-	-
घटाये: उपयोग/स्थानान्तरण वर्ष के दौरान	-	-
बोनस अंश जारी	-	-
अन्य	-	-
अन्तिम शेष	0.17	0.17
<b>(स) बचत/(कमी) लाभ एवं हानि प्रयोजनों में</b>		
प्रारम्भिक शेष	18,218.89	16,688.33
जोड़िये: लाभ/(हानि) वर्ष के लिये	2,031.54	1,606.49
घटाये: आयकर मांग पूर्व वर्षों की	-	-
जोड़िये: आयकर रिफण्ड/अधिक प्राप्तमान रिटर्न बैंक पिछले वर्षों का	-	-
घटाये: सामान्य अंशधारियों को लाभांश बटाने के लिये प्रस्तावित	75.93	75.93
अन्तिम शेष	20,174.48	18,218.89
<b>योग</b>	<b>20,175.10</b>	<b>18,219.51</b>

नोट 3 अन्य दीर्घकालीन धाकित्व

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) कृषि विभाग के जमा	18.14	18.14
(ii) सुखा ग्रस्त क्षेत्र हेतु रिटोलविंग फण्ड	260.00	260.00
(iii) सीड बैंक हेतु रिटोलविंग फण्ड	8.62	8.62
(iv) माल के लिए लेनदार (लिटिगेशन में)	1,613.85	1,613.85
(v) ए.जी.पैरा के विरुद्ध देय ब्याज	10.97	10.97
(vi) विविध लेनदार अन्य के लिए	0.54	0.54
<b>योग</b>	<b>1,912.12</b>	<b>1,912.12</b>

नोट 4 दीर्घकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
<b>(अ) कर्मचारी के बनेफिट के लिए प्रावधान</b>		
(i) ग्रुप प्रोव्यूिटी स्कीम हेतु प्रावधान	-	0.35
(ii) अवकाश नकदी करण हेतु प्रावधान	-	-
<b>योग</b>	<b>-</b>	<b>0.35</b>



## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 5 अल्पकालीन ऋण

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) नकद साख प्राथमिक सुझाव: वर्तमान और भविष्य सहित संपूर्ण वर्तमान परिस्थितियों का दृष्टिकोण। संपादित सुझाव: संयंत्र और नवीनरी का दृष्टिकोण ₹ 8.25 करोड़.	-	-
योग	-	-

नोट 6 व्यापारिक देयताएँ

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(ए) रूझ एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	-
(बी) रूझ उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया रूझ, लघु और मध्यम उद्यम के कारण व्यय/खरीद के लिए देय व्यापारिक देयताएँ व्यापार देय (विविध लेनदार)	3,150.55	1,858.51
योग	3,150.55	1,858.51

Refer Ageing at Note No. (41)B

नोट 7 अन्य चालू दायित्व

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) भुगतान नहीं हुआ लाभांश	7.82	7.89
(ii) अन्य भुगतान योग्य	-	-
(i) खर्चों के लिए विविध लेनदार	1,015.57	512.82
(ii) अन्य के लिए विविध लेनदार	767.81	738.44
(iii) पूंजीगत माल के लिए विविध लेनदार	20.21	21.41
(iv) अदत्त दायित्व	570.89	698.80
(v) अनुदान अग्रिम	249.67	249.67
(vi) सरकार को खपती योग्य अनुदान	1,084.02	1,067.10
(vii) केंद्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत अनुदान	-	-
(viii) ग्राहकों से बीज एवं अन्य के विरुद्ध	14.79	14.79
(ix) बीज उत्पादकों का जमा शेष	186.81	369.92
(x) विविध देनदारों का जमा शेष	1,181.24	754.58
(xi) डीलर्स आपूर्तिकर्ताओं, कान्ट्रैक्टर्स एवं थोक विक्रेताओं की जमा अमानत	1,030.17	824.13
(xii) अमानत राशि एवं सिक्केरिटी राशि का प्रावधान	-	-
(xiii) प्राथमिक विकास अन्तर्गत (केंद्रीय अन्तर्गत)	1,694.25	1,694.25
(xiv) स्टाफ को अधिन आरक्षित अच्छे माने गये	8.29	8.78
योग	7,831.63	6,960.56

नोट 8 अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) प्रावधान		
(i) आचकर हेतु प्रावधान	1,406.00	917.00
(ii) साम्य लाभांश एवं कर हेतु प्रस्तावित प्रावधान	75.93	75.93
(iii) सी.एस.आर. हेतु प्रावधान	6.35	3.38
योग	1,487.28	996.29



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005  
 CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
 www.rajseeds.org, e-mail- carajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514  
 सम्पत्ति प्लॉट और औजार

नोट 9

₹ लाखों में

Sr.No.	विवरण	सकल ऋण			झास (AMORTIZATION)					नेट ऋण		
		1 अप्रैल 2024 को शेष	बढ़ोतरी	घटोतरी	31 मार्च 2024 को	वर्ष के दौरान	बढ़ोतरी/घटोतरी वर्ष के दौरान	कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रभाव	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक		
	डेनोबल सम्पत्ति											
1	पट्टी होल्ड	28.42	-	-	-	-	-	-	-	-	28.42	28.42
2	लिल होल्ड	289.14	-	-	-	-	-	-	-	-	289.14	289.14
3	संयंत्र यन्त्र	1,485.70	-	-	825.06	81.01	-	-	887.87	-	587.83	656.94
4	संयंत्र एवं मशीनरी	1,403.64	6.38	-	1,180.96	30.28	-	-	1,211.28	-	186.74	222.60
5	फर्नीचर एवं जुलनर	171.45	8.07	-	141.94	6.28	-	-	148.22	-	31.30	29.51
6	अन्य धाहन	7.93	-	-	7.93	7.54	-	-	7.54	-	0.39	0.39
7	कार्यालय उपकरण	52.19	0.41	-	52.99	47.84	-	-	48.81	-	3.60	4.35
8	गोचाम	2,031.26	-	-	2,031.26	894.85	-	-	95.27	-	1,081.14	1,136.41
9	स्टॉक फ्युटर	82.33	-	-	82.33	38.21	-	-	1.17	-	22.96	24.12
10	स्टील अस्ट्र	1,072.17	-	-	1,072.17	873.09	-	-	9.40	-	983.06	98.08
11	कम्प्यूटर	78.82	14.42	-	93.04	67.63	-	-	7.80	-	17.71	11.09
12	मोटर कार	76.36	11.44	-	87.79	71.74	-	-	2.54	-	13.51	4.61
13	कार्यालय यन्त्र	537.72	-	-	537.72	228.08	-	-	15.18	-	241.24	311.64
14	प्रशासनिक भवन	53.54	-	-	53.54	44.19	-	-	0.45	-	44.84	9.35
15	भार्न पर जुआँ	2.26	-	-	2.26	2.26	-	-	-	-	0.00	0.00
	योग	7,352.72	40.71	-	7,393.43	4,543.88	-	-	190.40	-	4,734.02	2,658.11
	सी. डब्ल्यू.आई.पी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.96
	पिछले वर्ष की	7,316.87	36.05	-	7,352.72	4,333.34	-	-	210.26	-	4,543.62	2,983.33



## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

www.rajseeds.org, e-mail- carajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

नोट 9 सम्पत्तियों प्लॉट और लौजार (लगातार)

विवरण			
इस और अमाईटोजेशन लगातार क्रियाओं से सम्बन्धित			
विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	
इस और अमाईटोजेशन वर्ष के लिये टैरिफिबल सम्पत्तियों पर नोट 9 के अनुसार	190.40	210.28	
Depreciation and amortisation relating to continuing operations	190.40	210.28	

नोट 10 रहितियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) प्रमाणित बीज	1,011.73	4,121.78
(ब) आधार व प्रजनक बीज	196.22	420.35
(स) न्यून आकार एवं अनुउपयुक्त बीज	338.76	936.92
(द) रॉ बीज एवं विधायित बीज	73.61	11.65
(रे) विधायन, रासायनिक एवं पैकिंग सामग्री	1,870.83	1,751.58
(ल) पत्तिहनाधीन सामग्री	-	1.55
योग	3,491.15	7,243.82

नोट 11 व्यापारिक प्राप्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
1. (अ) अविवादित व्यापारिक प्राप्तियाँ	11,290.74	8,230.14
(i) रक्षित अच्छे माने गए		
(ii) अरक्षित मूने गए		
(ब) खराब साख वाली प्राप्तियाँ	-	-
(i) रक्षित अच्छे माने गए		
(ii) अरक्षित मूने गए		
(ग) खराब साख वाली प्राप्तियाँ	-	-
(i) रक्षित अच्छे माने गए		
(ii) अरक्षित मूने गए		
योग (I)	11,290.74	8,230.14
(II) व्यापारिक प्राप्तियों के लिए प्राक्धान	1529.72	1,251.44
योग (I-II)	9,761.02	6,978.70

Refer Ageing at Note No. (41) C



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 12 नकद और नकद तुल्य

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) हस्तगत रोकड़	0.19	0.34
(ब) शेब बैंको के पास		
(i) चालू खाते में	1,796.46	141.20
(ii) नकद साख सीमा खाता	988.28	242.48
(iii) संग्रहण खाते में	0.99	0.99
(सी) एकडीआर 12 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है	-	600.00
(स) इयरमाकूड खातों में		
अनपेड लागू खाता	7.92	7.89
(द) परिवहनशील अन्तरण (रेसीटेंस)	-	450.00
<b>योग</b>	<b>2,773.84</b>	<b>1,442.90</b>

(ii) शेब बैंको के पास - अन्य इयरमाकूड खातों में सम्मिलित ₹ 7.92/- लाख (31 मार्च 2024 को ₹ 7.89/- लाख) जो की रिपेटरियेशन पर रोक है।

नोट 13 अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) बीज उत्पादकों को अग्रिम	7,310.72	4,781.50
घटाइये : अग्रिम के लिये प्राक्धान	64.55	107.46
	<b>7,246.17</b>	<b>4,674.04</b>
(ब) पूर्वदत्त व्यय-अरक्षित अच्छे माने गये	71.89	20.14
	<b>71.89</b>	<b>20.14</b>
(स) सरकारी विभाग के पास शेब अरक्षित अच्छे माने गये		
(i) सरकार से वसूली योग्य अनुदान	7,336.07	5,698.16
(ii) अग्रिम आयकर	1,136.81	793.98
(iii) टी. सी. एस.	25.45	25.75
(iv) वादकरण के अन्तर्गत जमा	9.12	8.87
(v) आयकर वसूली योग्य	139.00	135.45
	<b>8,646.45</b>	<b>6,662.20</b>
(र) विविध लेनदार डेबिट शेब अरक्षित, अच्छे माने गये घटाइये-प्राक्धान	28.84	30.89
	6.82	6.82
	<b>22.02</b>	<b>24.07</b>
(ल) अन्य अग्रिम/ वसूली योग्य अरक्षित, अच्छे माने गये	206.18	189.30
<b>योग</b>	<b>16,192.71</b>	<b>11,569.75</b>



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 14 अन्य चालू सम्पत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) एफडीआर पर उद्धृत ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं	0.08	2.19
(ब) उद्धृत फार्म आय/ अन्य आय	112.87	118.16
<b>योग</b>	<b>112.95</b>	<b>120.35</b>

नोट 15 आय क्रियाओं से

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
<b>उत्पादों की बिक्री :</b>		
(i) प्रमाणित बीज	29,529.05	18,098.19
(ii) आधार एवं प्रजनक बीज	1,882.72	1,349.17
(iii) रुई	0.00	-
(iv) निलामी बिक्री	2,221.70	1,017.12
(v) विपणन एवं एन.एफ.एस.एम अनुदान	3,137.50	2,560.42
<b>योग</b>	<b>36,770.96</b>	<b>23,024.89</b>

नोट 16 अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) ब्याज से आय (रिफर नोट (i) नीचे )	2.04	25.38
(ब) अन्य नान ऑपरेटिंग आय (रिफर नोट (ii) नीचे )	322.68	354.73
<b>योग</b>	<b>324.73</b>	<b>380.12</b>

नोट (i)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
<b>ब्याज से आय सम्मिलित:</b>		
<b>बैंकों से ब्याज :</b>		
बचत खातों पर	1.36	21.58
अन्य ब्याज	0.68	3.80
<b>योग - ब्याज आय</b>	<b>2.04</b>	<b>25.38</b>

नोट (ii)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
<b>अन्य नोन ऑपरेटिंग आय सम्मिलित:</b>		
फार्म से आय	238.00	226.85
राशियों की वसूली	26.84	15.08
अनुष्ठानिक फीस	0.86	0.34
अन्य प्राप्ति	15.98	7.97
बीज बैंक अनुदान का पूलमरफ	27.82	100.89
विधान सभा की निलामी	13.19	3.81
<b>कुल अन्य नोन ऑपरेटिंग आय</b>	<b>322.68</b>	<b>354.73</b>



## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 17 अ व्यापारिक माल की क्रय

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
प्रमाणित बीज	24,534.80	17,847.27
री बीज	728.41	85.32
आधार एवं प्रजनक बीज	2,712.53	1,787.70
अन्य खर्च	7.52	9.67
घटाईये : उत्पादन के लिए अनुदान	(5,124.31)	(3,477.50)
योग	22,858.75	16,232.36

नोट 17 ब पूर्ण माल, कार्य प्रगतिशील और व्यापार के स्टॉक में बदलाव

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
स्वाम्य वर्ष के अंत में	1,620.32	5,492.24
स्वाम्य वर्ष के प्रारम्भ में	5,492.24	4,073.22
नेट (बढ़त)/ घटत	3,871.82	(1,419.02)

नोट 18 कर्मचारियों बेनिफिट खर्च

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
वेतन एवं भत्ते	1,226.94	1,255.57
पेंशन अंशदान	24.61	33.80
सिक्यूरिटी खर्च	0.01	0.01
सिक्यूरिटी राहत कोष में अंशदान	7.88	8.40
सिवरीज खर्च	0.08	0.25
एल. आई. सी. प्लान प्रोव्यूदी	7.50	24.24
नियोक्ता का भविष्य निधि में अंशदान	100.88	105.10
अपकाश नकदीकरण	13.20	79.43
कर्मचारियों को अनुग्रह राशि	8.93	5.43
स्टॉक वेतनकोष	16.13	9.88
प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों को	2.01	-
योग	1,406.16	1,522.09

नोट 19 वित्तीय खर्च

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) ब्याज खर्च:		
(i) ऋण पर	608.69	316.71
योग	608.69	316.71

नोट 19 (1)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	(ii) पिछले वर्ष का विवरण (नेट)	
पिछले वर्ष के खर्च		
(i) टैक्सलिग एवं ट्रांसपोर्टेशन	4.74	-
(ii) विप्रायन	-	2.71
(iv) अगिक ठेकेदार को भुगतान	-	16.14
(vi) पेट्रोल एवं डीजल व्यय	-	0.40
(vii) वाहनो का रख-रखाव	-	0.16
(viii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	-	4.49
योग	4.74	23.91
पिछले वर्ष की आय		
(i) अगिक प्रबंधन रिटर्न बैंक	49.46	41.20
योग	49.46	41.20
नेट	(44.72)	(17.29)



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

## नोट 20 अन्य खर्च

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
सी.एस.आर. में योगदान	40.01	34.51
योग	40.01	34.51

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान/प्रावधान		
वैधानिक अंकेक्षण फीस	1.60	1.30
कर अंकेक्षण फीस	0.65	0.65
वैधानिक अंकेक्षणों को यात्रा भत्ता	0.40	1.06
योग	2.65	3.01

## नोट 21 अन्य खर्च

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
श्रमिकों एवं श्रमिक ठेकदारों को मजदूरी	680.46	680.60
विधायन एवं अटार्नी व्यय	89.67	94.18
विधायन एवम् पैकिंग सामग्री का उपयोग	1,493.82	1,867.49
शायरी की मरम्मत एवम् रख रखाव	66.92	40.62
परीक्षण एवम् प्रमाणीकरण खर्च	265.88	201.86
बिजली व पानी	95.78	85.50
फार्मर्स खर्च	5.36	0.05
यात्रा व्यय (निदेशकों के खर्च एवं सिटिंगे फीस सम्मिलित)	29.21	36.46
काक, सार एवम् टेलीफोन	6.35	10.89
विज्ञापन	93.72	46.19
बीमा	19.10	2.20
पुस्तक एवम् पत्रिकाएँ	0.56	0.82
फिराया, कर व दर	30.87	30.23
मनोरंजन	10.98	6.49
अंकेक्षणों को भुगतान	2.65	3.01
फाईलिंग शुल्क	2.17	3.46
मुद्रण एवम् लेखन सामग्री	37.45	49.50
बिजली व पानी	4.88	10.36
मरम्मत एवम् अनुसंधान (अन्य)	92.79	55.61
वाहनों की मरम्मत एवम् अनुसंधान	70.59	72.81
ए.पी.एम. एवम् अन्य सभा व्यय	6.27	7.85
कार्यालय व्यय	19.96	25.62
स्टेट रजिस्ट्रार फर्म में अंशदान	15.19	15.19
सुरक्षा प्रहरी व्यय	311.71	277.61
आन्तरिक अंकेक्षण शुल्क	3.75	3.87
दैनिक व्यय एवम् पेशेवर शुल्क	49.42	45.36
ठेकेदार को भुगतान (ऑफिसर/डाइरेक्टर/सहायक)	125.75	102.41
बीजो का परिवहन, उताराई, फटाई आदि	664.74	470.24
मरम्मत व्यय	130.32	122.29
संवर्धन एवम् प्रचार व्यय	30.11	83.01
कालिपुरी	0.00	1.05
बैंक प्रभार	1.06	4.00
मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान		-
विविध देगदारों एवं ऋण एव अग्रिम की तरफ डुबत ऋण अपलिखित कर प्रावधान खूबत	235.37	60.57
ऋण अपलोखन	457.35	-
योग	5,370.28	4,317.33



## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005 CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781  
www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

### नोट 22 डेफर्ड टैक्स (दायित्व)/सम्पत्ति

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
नेट डेफर्ड कर (दायित्व) सम्पत्ति वर्ष के प्रारम्भ में	245.18	261.73
जोड़िये/घटाये :- डेफर्ड कर प्रभाव वर्ष के दौरान कर प्रभाव जिन पर डेफर्ड टैक्स दायित्व बनता है। स्थाई सम्पत्तियों पर बुक शेफ टैक्स का अन्तर डेफर्ड जिस पर कर के लिये डेफर्ड कर दायित्व का कर पर प्रभाव @ 29.12 प्रतिशत	(43.92)	(47.48)
कर का प्रभाव डेफर्ड कर सम्पत्तियों के लिये ग्रेज्यूटी एवं अन्य कर्मचारियों के लिये प्रावधान दुबत ऋण एवं अग्रिम के लिये प्रावधान आयकर एक्ट 1981 की धारा 40 (अ) (i), 43 ब के अन्तर्गत डिस्तअलाइन्स स्थाई सम्पत्ति पर टैक्स शेष का अन्तर डेफर्ड कर सम्पत्ति का टैक्स पर प्रभाव	(12.79)	(13.82)
	14.83	(89.93)
	235.37	60.57
	72.86	(2.72)
शुद्ध डेफर्ड कर (दायित्व)/सम्पत्ति वर्ष के अन्त में	305.25	245.18
कुल रिवर्सल डेफर्ड कर सम्पत्ति का	60.07	(16.55)

### नोट 23 अन्य नॉन चालू सम्पत्तियों

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
सरकार से वसूली योग्य अनुदान	2.17	2.17
सरकार के पास जमा अमानत राशि	17.46	17.67
योग	19.63	19.85



## नोट "24" महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ :

### (अ) कम्पनी के बारे में सूचना :-

भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की मदद से राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई एवं इसके दूसरे चरण के तहत राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड दिनांक 28 मार्च 1978 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत केन्द्र सरकार एवं राजस्थान की राज्य सरकार ओर स्थानीय किसानों की संयुक्त होल्डिंग के साथ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापना की गई। कम्पनी ने व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिनांक 26 मई 1978 से अपना व्यवसाय शुरू किया। हमारी कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या U75132RJ1978SGC001781 है। केन्द्र सरकार और राजस्थान की सरकार एवं स्थानीय किसान कम्पनी के शुरूआती सदस्य थे।

### (ब) लेखा नीतियाँ :-

- वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :-** निगम के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी और कंपनियों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार लेखांकन के संचयी आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किए गए हैं। कार्यवाही करना। 2013 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं।
- अनुमानों का उपयोग:-** प्रस्तुत अवधि के वित्तीय विवरण में सामान्यतया: प्रचलित लेखा सिद्धान्तों के आवश्यकता अनुसार प्रबन्धन द्वारा अनुमान मानते हुए आय एवं व्यय का प्रभाव एवं इस दिन के वित्तीय विवरण सम्पतियों एवं दायित्व मय संदिग्ध दायित्व को लिया गया है। वास्तविक एवं अनुमानित परिणाम के अन्तर को उस अवधि में लिया जाता है, जिसमें परिणाम मालूम हो।
- सम्पति प्लॉट एवं औजार :-** स्थायी सम्पतियों (राज्य सरकार से प्राप्त मुफ्त भूमि के अलावा) को लागत पर, या निर्माण लागत या पुस्तक मूल्य में से संचित ह्रास एवं इम्पेयरमेन्ट यदि कोई हो तो घटाते हुए लिया जाता है।
- ऋण लागत:-** कम्पनी ने बैंक से कार्यशील पूँजी के लिये लिमिट ली हुयी है। ऋण लागत को अवधि में खर्च के रूप में लिया गया है, जिस अवधि में खर्चा हुआ है।
- स्टॉक:-**

### (अ) बीज:-

- प्रमाणित और आधार बीजों का मूल्य अपने वित्तीय वर्ष के 30 जून को निर्धारित स्थिति रिपोर्ट (फिट/अनफिट) के आधार पर मुख्य लागत या औजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

### मूल लागत की गणना :-

- बीजों के स्वयं के उत्पादन के मामले में :- प्राइम लागत में हर 3 साल में एक बार निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य और प्रसंस्करण ओवरहेड शामिल होते हैं।



ब) प्रत्यक्ष निजी आपूर्तिकर्ताओं से बीज की खरीद के मामले में – प्राइम लागत में खरीद मूल्य और पैकिंग सामग्री और खरीद व्यय के रूप में 3: शामिल है।

स) ऐसे मामलों में जहां स्वयं के उत्पादन और प्रत्यक्ष खरीद में स्टॉक का पृथक्करण संभव नहीं है – प्राइम लागत उपरोक्त (ए) और (बी) दोनों के औसत पर निकाली जाती है।

- (2) प्रजनक बीजों का मूल्य सब्सिडी, यदि कोई हो, घटाकर खरीद लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया गया है। निगम की उत्पादन नीति के अनुसार ब्रीडर बीज को खुले बाजार में नहीं बेचा जाना चाहिए, इसलिए इस मूल्यांकन के लिए बाजार मूल्य निगम की नीति के अनुसार निर्धारित किया जाता है?
- (3) रॉ बीजों का मूल्यांकन क्रय दर पर किया गया है।
- (3) अस्वीकृत बीजों का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, जो प्रबंधन द्वारा तय किए गए संबंधित मंडी के अनाज की मंडी दरों का 85 प्रतिशत होता है।
- (4) कम आकार के बीजों का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, जो प्रबंधन द्वारा तय किए गए अनुसार संबंधित मंडी के अनाज की मंडी दरों का 60 प्रतिशत होता है।
- (5) कॉटन बीजों प्रमाणित, आधार, रॉ तथा कॉटन लिन्ट (सह उत्पाद) का मूल्यांकन अनुमानित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर किया गया है।
- (ब) पैकिंग एवं विधायन सामग्री का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया गया है। इसके अलावा उपयोग/अमानक माल, जिनकी वसूली योग्य मूल्य का पता उस समय लगता है, जबकि उनको निलाम किया जाता है।
- (स) इकाईयों के द्वारा स्टॉक रजिस्टर मैनुवेल संधारित किया जाता है।
- (द) बिजनेस के खास नेचर की वजह से नेट रियलाइजेबल वेल्यू तय नहीं की जा सकती, इसलिए कॉर्पोरेशन की पॉलिसी के अनुसार स्टॉक वेल्यूएशन के लिए मार्केट प्राइज को माना गया है।
- (इ) बैलेंस शीट की तारीख को स्टॉक/इनवेंट्री का बीमा नहीं करवाया गया था।

## 6. ह्रास :-

- (अ) सिंगल शिफ्ट के आधार पर उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास लगाया गया है।
- (ब) वर्ष के दौरान कुछ प्रसंस्करण संयंत्रों ने कुछ दिनों के लिए दोहरी पाली में काम किया है। यह समयबद्ध उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार बीजों की स्ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। हालांकि, निगम ने इन प्रसंस्करण संयंत्रों पर केवल एकल पाली के आधार पर मूल्यह्रास लगाया है।
- (स) वर्ष के दौरान जोड़ी गई, निपटाई गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास स्थापना की वास्तविक तिथि और वर्ष के दौरान उपयोग/निपटान के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है। उपयोग में लाये जाने की तिथि का अर्थ वह दिन है जिस दिन संपत्ति अर्जित की जाती है और उपयोग में लायी जाती है।

(द) खरीद के वर्ष में व्यक्तिगत रूप से 5000 /- रुपये से कम मूल्य वाली संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है। यह नीति पिछले कई वर्षों से चली आ रही है।

#### 7. रेवन्यू :-

- (अ) समस्त प्रकार के बीजों की बिक्री को लेखों में बिक्री कर, जीएसटी, मण्डी कर एवं व्यापारिक छूट के अतिरिक्त दर्शायी गई है। कृषि विभाग से प्राप्त विपणन अनुदान को बिक्री का हिस्सा माना गया है।
- (ब) सीएसएस अनुदान :- 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अनुदान का पूर्णभरण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अनुदान की राशि प्रमाणित बीज की बिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है।
- (स) कृषि विभाग से प्राप्त विपणन और एनएफएसएम सब्सिडी को बिक्री/राजस्व का हिस्सा माना गया है।
- (द) कृषि विभाग से प्राप्त उत्पादन पर सब्सिडी को खरीद से कम कर दिया गया है।

#### 8. क्रय :-

- अ) उत्पादन योजना के अनुसार किए गए बीज के उत्पादन को तब ध्यान में रखा जाता है जब बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) से प्रमाणित अंकुरण रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है और उसके संबंध में अन्य संबंधित औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। खरीद की लागत का हिसाब निगम की अनुमोदित खरीद नीति के अनुसार किया जाता है।
- ब) बीज उत्पादकों/उत्पादकों को संयंत्र में वितरित बीजों के एवज में दी गई अग्रिम राशि खरीद की पहचान/हिसाब लेने के बाद समायोजित की जाती है।
- स) कंपनी द्वारा बीज की प्राप्ति पर बीजों की सीधी खरीद का हिसाब लगाया जाता है।
- द) कच्चे बीज (मौसमी खरीद) को संबंधित मौसमों के लिए निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार निगम द्वारा प्राप्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ढेंचा, तिल और मक्का के बीज कच्चे आधार पर खरीदे जाते हैं।

#### 9. विधायन एवं पैकिंग सामग्री का उपयोग :-

- (अ) विधायन एवं पैकिंग सामग्री के उपयोग का समायोजन प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान की गई क्रय को जोड़ते हुये कम्पनी के पास वर्ष के अन्त में उपलब्ध भौतिक अन्तिम स्टॉक को घटाने के पश्चात प्राप्त शेष के आधार पर किया गया है।
- (ब) वर्ष के दौरान क्रय किये गये स्टोर व स्पेयर्स का उपभोग मान लिया है।

10. विक्रय/क्रय की दरों में यदि कोई विवाद होने पर उनका लेखों में समायोजन निपटारा होने वाले वर्ष में किया गया है।

#### 11. कर्मचारी परिलाम :-

(अ) ग्रेच्युटी:-



भुगतान के संचालन हेतु कम्पनी द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। ट्रस्ट द्वारा जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2008-09 में नकद एक्यूमेलेथिन सामूहिक प्रावधायी एवं पॉलिसी के बजाय वर्ष 2008-09 में सामूहिक प्रावधायी एवं नकद एक्यूमेलेथिन पॉलिसी ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल है। और कम्पनी के द्वारा प्रिमियम की राशि का भुगतान किया जाता है।

**(ब) अवकाश नकदीकरण:-**

कम्पनी के द्वारा जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण कम सुरक्षा पॉलिसी ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल हैं, और कम्पनी के द्वारा प्रिमियम की राशि का भुगतान किया जाता है।

**12. अनुदान-सहायतार्थ :-**

- (अ) स्थाई सम्पत्ति विशेष हेतु प्राप्त सहायतार्थ पूंजीगत अनुदान को उपयोग के वर्ष में ही सम्बन्धित स्थायी सम्पत्ति की मूल लागत में से घटाया गया है।
- (ब) कृषि विभाग से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य उत्पादन अनुदान का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन के आधार पर किया गया है।
- (स) कृषि विभाग से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य विपणन अनुदान का लेखांकन अनुदान के योग्य प्रमाणित बीजों की वास्तविक बिक्री सम्बन्धित उप निदेशक (कृषि) से प्रमाणन के आधार पर किया गया है।
- (द) भारत सरकार से प्राप्त सीड बैंक योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण लागत प्रतिपूर्ति का लेखांकन कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के वर्ष में किया गया है।
- (य) कृषि विभाग से प्राप्त बीज उपचार के लिये अनुदान का समायोजन राशि प्राप्त होने वाले वर्ष में किया जाता है।

**13. डैफर्ड कर सम्पत्ति/दायित्व :-**

कर लाभ एवं बुक लाभ के समायांतर के लिए डैफर्ड टेक्स का लेखांकन तुलन पत्र की तिथि को कर की दरों एवं लागू होने वाले कानूनों या होने जा रहे कानूनों का प्रयोग करते हुये किया गया है। डैफर्ड कर, सम्पत्तियाँ जो कि उस उचित निश्चितता की सीमा तक बनाई गई है कि वह सम्पत्तियाँ भविष्य में लेखांकित होगी।

- 14. सम्पत्तियों की हानि :-** सम्पत्तियों के पेटे से राशि प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में समीक्षा कर रहे है। अगर वहां कोई है तो वह हानि आन्तरिक/बाह्य कारकों पर आधारित है। जब सम्पत्ति की वसूली योग्य राशि हानि से अधिक है तो परिसम्पत्ति की पहचान होती है। परिसम्पत्ति की हानि को लाभ-हानि खाते में उसी वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में सम्पत्ति पर हानि होती है। यदि वसूली योग्य राशि का अनुमान में बदलाव होता है तो पूर्व लेखांकन अवधि में हानि के रूप में पहचान होती है।

**15. आय प्रति अंश :-**

क्र.सं.	विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
1.	साम्य अंशधारियों के लिये ऐक्यूटरूबेलेट आयें।	₹.20,31,52,536/-	₹. 16,06,48,984/-
2.	अंशों की संख्या	759976	759976
3.	आय प्रति अंश	267.32	211.39

(स) लेखों पर टिप्पणी :-

16. दिनांक 31.03.2025 संदिग्ध दायित्व राशि जो प्रावधान नहीं की गई :-

(1) निम्नलिखित संदिग्ध मागों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
(अ)	अन्य- विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन कार्य करने वाले श्रमिक, बीज उत्पादक, जो कि उपयुक्त न्यायालय / फोरम्स में लम्बित है।	रु. 25,56,62,171/-	रु.25,80,59,771/-
(ब)	आयकर (विभिन्न निर्धारित वर्ष)	रु. 1,66,98,220/-	रु. 1,69,44,020/-

(2) मेसर्स पी.आर. एंटरप्राइजेज, मेसर्स द्वारका प्रसाद, मेसर्स जे.के. का मुकदमा। एग्रीजेंटिक्स और मेसर्स गौरी शंकर जूट मिल्स लिमिटेड, क्रमशः माननीय न्यायालय और मध्यस्थ के समक्ष लंबित हैं। इस समय ब्याज का पता नहीं लगाया जा सकता है इसलिए केवल मूल मांग राशि को आकस्मिक देनदारी के रूप में लिया गया है।

(3) दिनांक 31.03.2025 तक कैपिटल अकाउंट्स पर अलग-अलग ग्रांट / सब्सिडी या अन्य तरीकों से पूरे किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की अनुमानित रकम शून्य रुपये है (पिछले साल 76.96 लाख रुपये)।

17. कराधान :-

वैट, आयकर, जीएसटी जैसे विभिन्न राजस्व कराधान कानूनों के संबंध में जिन देनदारियों पर विवाद चल रहा है, उन्हें आकस्मिक देनदारी के तहत प्रकट किया जाता है, उन्हें अंतिम रूप देने और निपटान के वर्ष में खातों की पुस्तकों में हिसाबध्यानता दी जाएगी।

18. टुथफुल लेबल बीज और निगम के स्वामित्व वाले फार्म पर उत्पादित बीज और किसानों को अनुबंध के आधार पर पट्टे पर दिए जाने वाले बीज भी सभी प्रकार के प्रमाणित बीजों की खरीद, बिक्री और समापन स्टॉक में शामिल हैं।

19. फार्म में उत्पादन से आय में लीज किराया एवं अन्य विविध फार्म उत्पादन की बिक्री सम्मिलित है।

20. राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को स्थानान्तरित संयंत्र व मशीनरी एवं भवन का मूल्यांकन तदर्थ आधार पर किया गया है एवं कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित भूमि को शून्य मूल्य पर लिया गया है। उपरोक्त पर मूल्य ह्रास तदर्थ मूल्य पर चार्ज किया गया है।

21. 53.26 लाख रु. राशि का पूंजिगत कार्य प्रगतिधीन से स्थायी परिसम्पत्ति सकल ब्लाक (प्रशासनिक भवन) वर्ष 1989-90 में स्थानान्तरित किया गया है ऐसे भवन का अधिग्रहण एवं कब्जा कम्पनी द्वारा कर लिया गया है। कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार से स्वत्व संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।

21(अ) इमूविबल सम्पत्ति जिसका टाइटल कम्पनी के नाम से नहीं है। उसका विवरण:-

तुलन पत्र में दिखाया गया	सम्पत्ति का विवरण	सकल मूल्य	टाइटल किसके नाम से है	टाइटल डीड प्रमोटर/निदेशक या कर्मचारी है क्या	सम्पत्ति कब है उसकी तिथि	कम्पनी के नाम से नहीं होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण	भूमि व भवन प्रशासनिक भवन	रु. 53.54 लाख	राज्य सरकार कृषि विभाग	एजेसी को प्रमोटर राज्य सरकार	वित्तीय वर्ष 1989-90	राज्य सरकार से स्वत्व संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।



## 22. रिलेटेड पार्टी डिस्कलोजर:-

निगम के संबंधित पक्षों के नाम इस प्रकार हैं :-

	निगम में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्ति और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति
अ	श्री वैभव गैलरिया, अध्यक्ष (01.04.2024 से 30.09.2024)
ब	श्री राजन विशाल, अध्यक्ष (01.10.2024 से 31.03.2025)
स	श्रीमती निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक (01.04.2024 से 31.03.2025)
द	श्री राम लाल मीणा, महा प्रबन्धक (01.04.2024 से 31.03.2025)
य	श्री मन मोहन मीणा, वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त) (01.04.2024 से 20.01.2025)
र	श्री हरि मोहन शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त) (20.01.2025 से 31.03.2025)
ल	श्री राकेश ममनानी, कंपनी सेक्रेटरी (01.04.2024 से 31.03.2025)
	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति
	ऐसे उद्यम जिनमें ऊपर वर्णित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित है

\*\*पैरा संख्या 9 के ICAI द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 के अनुसार अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पक्ष के संबंधों और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

## 23. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:-

विवरण	निगम में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्ति और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति	ऐसे व्यक्तिगत और कुंजी प्रबंधन व्यक्तिगत कुंजी के रिश्तेदार	ऐसे उद्यम जिनमें ऊपर वर्णित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित है **	कुल दिनांक 31.03.2025 तक	कुल दिनांक 31.03.2024 तक
प्रबंधकीय पारिश्रमिक/वेतन टीए सहित					
अध्यक्ष	श्री धीरज गुर्जर			-	15,93,032/-
अध्यक्ष	श्री वैभव गैलरिया			-	-
अध्यक्ष	श्री राजन विशाल			-	-
प्रबन्ध निदेशक	श्री जसवन्त सिंह			-	27,61,980/-
प्रबन्ध निदेशक	श्री ललित कुमार			-	1,03,405/-
प्रबन्ध निदेशक	श्रीमती निमिषा गुप्ता			30,35,533/-	2,80,881/-
महा प्रबन्धक	श्री के.सी. मीणा			-	25,11,530/-
महा प्रबन्धक	श्री रामलाल मीणा			31,15,963/-	2,40,736/-
वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	श्री मन मोहन मीणा			17,97,805/-	20,20,789/-
वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	श्री हरि मोहन शर्मा			2,78,749/-	-
कम्पनी सचिव	श्री राकेश मामनानी			16,98,276/-	15,39,608/-
कुल				99,26,326/-	1,10,51,961/-



सविदात्मक दायित्वों के तहत वेतन और अन्य देय राशि के भुगतान के अलावा प्रमुख प्रबंधन व्यक्तिगत या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

## 24. अंकेषकों को वर्ष के दौरान भुगतान का विवरण :-

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025 को	समाप्त वर्ष 31.03.2024 को
1.	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	₹. 1,60,000/-	₹. 1,30,000/-
2.	कर अंकेक्षण शुल्क	₹. 65,000/-	₹. 65,000/-
3.	खर्च पुनर्गण एवं जीएसटी	₹. 40,500/-	₹. 1,05,728/-
	योग	₹. 2,65,500/-	₹. 3,00,728/-

25. आई.डी.बी.आई के द्वारा टी.डी.सी. प्रमाण पत्र रु. 53,630 /- गलती से वर्ष 1999-2000 में दो बार जारी कर दिया जो कि विविध लेनदारों अन्य में चालू दायित्व शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया है।
26. वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2008-09 कम्पनी ने राज्य नवीनीकरण कोष में अंशदान नहीं किया है क्योंकि राजकीय उपक्रम विभाग के द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं दी गई है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा अंश पूंजी का 2 प्रतिशत या 20 लाख रुपये जो भी कम हो की मांग प्राप्त हुई है। इसलिये कम्पनी के द्वारा रु. 15,18,595 /- का प्रावधान कर दिया गया है। (पिछले वर्ष 15,18,578 /-)
27. (अ) कम्पनी के द्वारा अवकाश नकदीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण कम सुरक्षा पॉलिसी वर्ष 2007-08 के दौरान ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्धारित दायित्व वर्ष 31.03.2025 निम्न प्रकार से है:-

अवकाश नगदीकरण			
विवरण	राशि (रुपये)	राशि (रुपये)	राशि (रुपये)
पॉलिसी नम्बर	333442	104005517	104003019
मान्यताये			
बट्टा दर	7.25%	7.25%	7.25%
वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%
दिनांक 31.03.2025 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य			
वर्ष के शुरू में दायित्वों वर्तमान मूल्य	22201327.00	758127.00	12279348
ब्याज लागत	1609596.00	54964.00	890253
वर्तमान सेवा लागत	250392.00	39305.00	725462
देय लाभ	(4669572.00)	0.00	(4736)
दायित्वों पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	1039648.00	46940.00	1304968
वर्ष के अन्त में दायित्वों वर्तमान मूल्य	20431391.00	899336.00	15195295
दिनांक 31.03.2025 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का उचित मूल्य	-	-	-

वर्ष के शुरु में दायित्वों उचित मूल्य	21368634.00	712971.00	13286362.41
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	1619237.03	65156.24	1094706.85
अंशदान	2943090.30	133838.28	2379468.97
देय लाभ	(4669572)	0.00	(4736)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	21261389.68	911965.52	16755802.23
कोष स्थिति	-	-	-
बैलेन्स शीट में दिखायी गई राशि	-	-	-
वर्ष के अन्त में दायित्वों उचित मूल्य	20431391.00	899336.00	15195295.00
वर्ष के अन्त में योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	21261389.68	911965.52	16755802.23
बैलेन्स शीट में दिखाये गये कुल सम्पत्ति/ दायित्व	829998.68	12629.52	1560507.23
लाभ हानि खाते में दिखाये जाने वाले खर्च	-	-	-
चालू सेवा लागत	250392.00	39305.00	725462.00
ब्याज लागत	1609596.00	54964.00	890253.00
पूँजीगत सम्पत्तियों पर आय	(1619237.38)	(65156.24)	(1094706.85)
वर्ष में शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/ हानि की पहचान की गई	1039648.00	46940.00	1304968.00
लाभ हानि खाते में दिखाये जाने वाले खर्च	1280399.00	76053.00	1825976.00

## अवकाश नगदीकरण 31.03.2024

विवरण	राशि (रुपये)	राशि (रुपये)	राशि (रुपये)
पॉलिसी नम्बर	333442	104005517	104003019
मान्यतायें			
बट्टा दर	7.25%	7.25%	7.25%
केतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%



दिनांक 31.03.2024 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य			
वर्ष के शुरु में दायित्वों वर्तमान मूल्य	25,840,585.00	627,293.00	10,544,863.00
ब्याज लागत	1,873,442.00	45,479.00	764,503.00
वर्तमान सेवा लागत	258,604.00	36,037.00	706,029.00
देय लाभ	(8,433,379.00)	(58.72)	(313,199.00)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,662,075.00	49,377.00	577,152.00
वर्ष के अन्त में दायित्वों वर्तमान मूल्य	22,201,327.00	758,127.28	12,279,348.00
दिनांक 31.03.2024 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का उचित मूल्य			
वर्ष के शुरु में दायित्वों उचित मूल्य	24,105,109.00	545,506.00,	8,651,892.78
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	1,860,005.08	49,435.32	799,234.34
अंशदान	3,836,898.92	118,088.40	4,148,434.29
देय लाभ	(8,433,379.00)	(58.72)	(313,199.00)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	21,368,634.00	712,971.00	13,286,362.41
कोष स्थिति			
बैलेन्स शीट में दिखायी गई राशि			
वर्ष के अन्त में दायित्वों उचित मूल्य	22,201,327.00	758,127.00	12,279,348.00
वर्ष के अन्त में योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	21,368,634.00	712,971.00	13,286,362.41
बैलेन्स शीट में दिखाये गये कुल सम्पत्ति/दायित्व	(832,693.00)	(45,156.00)	1,007,014.41
लाभ हानि खाते में दिखाये जाने वाले खर्चें			
चालू सेवा लागत	258,604.00	36,037.00	706,029.00
ब्याज लागत	1,873,442.00	45,479.00	764,503.00
पूँजीगत सम्पत्तियों पर आय	(1860,005,.08)	(49,435.32)	(799,234.34)
वर्ष में शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि की पहचान की गई	2,662,075.00	49,377.00	577,152.00
लाभ हानि खाते में दिखाये जाने वाले खर्चें	2,934,116.00	81,458.00	1,248.450.00

(ब) कम्पनी के द्वारा वर्ष 2008-09 में भारतीय जीवन बीमा निगम से गुप ग्रेच्युटी क्रम एश्योरेंस पॉलिसी के बजाय गुप ग्रेच्युटी कैश अक्च्यूमलेशन स्कीम पॉलिसी ली गई है, जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्धारित दायित्व वर्ष 31.03.2025 निम्न प्रकार से है:-



ग्रुप ग्रेच्युटी			
विवरण	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)
पॉलिसी नम्बर	<b>104005514</b>	<b>63080</b>	<b>104003020</b>
मान्यतायें			
बट्टा दर	7.25%	7.25%	7.25%
वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%
दिनांक 31.03.2025 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य			
वर्ष के शुरु में दायित्वों वर्तमान मूल्य	695277.00	32295657.00	16624499.00
ब्याज लागत	50408.00	2341435.00	1205276.00
वर्तमान सेवा लागत	64560.00	663539.00	1198678.00
देय लाभ	0.00	(8419013.00)	(4195)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(7959)	(2006869)	353482.00
वर्ष के अन्त में दायित्वों वर्तमान मूल्य	802286.00	24874749.00	19377740.00
दिनांक 31.03.2025 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का उचित मूल्य	-		
वर्ष के शुरु में दायित्वों उचित मूल्य	815725.01	30227046.65	18537326.06
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	65300.60	1913509.58	1465343.49
अंशदान	54819.26	3569164.60	1571427.46
देय लाभ	0.00	(8419013.00)	(4195.00)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-		
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	935844.90	27290707.83	21569902.01
कोष स्थिति	-		
बैलेन्स शीट में दिखायी गई राशि	-		
वर्ष के अन्त में दायित्वों उचित मूल्य	802286.00	24874749.00	19377740.00
वर्ष के अन्त में योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	935844.90	27290707.83	21569902.01
बैलेन्स शीट में दिखाये गये कुल सम्पत्ति / दायित्व	133558.90	2415958.83	2192162.01
लाभ हानि खाते मे दिखाये जाने वाले खर्चें	-		
चालू सेवा लागत	64560.00	663539.00	1198678.00
ब्याज लागत	50408.00	2341435.00	1205276.00
पूँजीगत सम्पत्तियों पर आय	(-65300.63)	(1913509.58)	(1465343.49)
वर्ष में शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि की पहचान की गई	(7959)	(2006869)	353482.00
लाभ हानि खाते मे दिखाये जाने वाले खर्चें	41708.00	15405.00	1292093.00

ग्रुप ग्रेच्युटी 31.03.2024			
विवरण	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)
पॉलिसी नम्बर	104005514	63080	104003020
मान्यताये			
बट्टा दर	7.25%	7.25%	7.25%
वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%
दिनांक 31.03.2024 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य			
वर्ष के शुरू में दायित्वों वर्तमान मूल्य	617,636.00	44,635,680.00	15,318,753.00
ब्याज लागत	441,779.00	3,236,087.00	1,110,610.00
वर्तमान सेवा लागत	48,507.00	1,060,689.00	1,318,590.00
देय लाभ	-	(15,985,866.00)	(148,931.00)
दायित्वों पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	(15,645.00)	(650,933.00)	(974,523.00)
वर्ष के अन्त में दायित्वों वर्तमान मूल्य	695,277.00	32,295,657.00	16,624,499.00
दिनांक 31.03.2024 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का उचित मूल्य			
वर्ष के शुरू में दायित्वों उचित मूल्य	687,125.05	43,404,216.60	13,571,247.24
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	55,887.21	2,808,696.05	1,154,524.43
अंशदान	72,712.75	-	3,960,485.39
देय लाभ	-	(15,985,866.00)	(148,931.00)
दायित्वों पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	815,725.01	30,227,046.65	18,537,326.06
कोष स्थिति	120,448.01	30,227,046.65	1,912,827.06
बैलेन्स शीट में दिखायी गई राशि			
वर्ष के अन्त में दायित्वों उचित मूल्य	695,270.00	32,295,657.00	16,624,499
वर्ष के अन्त में योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	815,725.01	30,227,046.65	18,537,326.06
बैलेन्स शीट में दिखाये गये कुल सम्पत्ति/दायित्व	120,448.01	(2,068,610.35)	1,912,827.06
लाभ हानि खाते में दिखाये जाने वाले खर्च			
चालू सेवा लागत	48,507.00	1,060,689.00	1,318,590.00
ब्याज लागत	44,779.00	3,236,087.00	1,110,610.00
पूजीगत सम्पत्तियों पर आय	(55,887.21)	(2,808,696.05)	(1,154,524.43)
वर्ष में शुद्ध बीमाकिक (लाभ)/हानि की पहचान की गई	(15,645.00)	(650,933.00)	(974,530.00)
लाभ हानि खाते में दिखाये जाने वाले खर्च	21,754.00	837,147.00	300,153.00



28. ओ. पी. पी. योजना के तहत प्राप्त फार्मों के विकास हेतु अनुदान एवं यू.एन.डी.पी. योजना में प्राप्त फण्ड के अन्तर्गत कम्पनी नोडल ऐजेन्सी की तरह कार्य कर रही है।
29. लाभांश:- रूपयें 75,92,975 /- का प्रावधान किया गया है। (पूर्व वर्ष में राशि रु. 75,92,891 /-)
- 30 नकद एवं नकद तुल्य :-**
- (अ) राशि रु. 99000 /- (गत वर्ष 99000) नगद एवं बैंक शेष (चालू अरिक्तियाँ) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया है जो कि बैंक एम टी. (मनी ट्रान्सफर) के माध्यम से कम्पनी की ईकाइयों द्वारा उसके प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित राशि से सम्बन्धित है और वर्ष 1982-83 से 1986-87 के दौरान संग्रहण खाते में उन बैंकों की प्राप्तकर्ता शाखाओं के द्वारा 31 मार्च 2025 तक पावती नहीं की। कम्पनी द्वारा 2000-01 में उक्त वसूली के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के विरुद्ध सिविलसूट दायर किया लेकिन वर्ष 2003-04 के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा दावा खारीज कर दी गई है, जिसके लिये द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई है। निर्णय अभी लम्बित है।
- (ब) कम्पनी अवधि पार बैंक को (जो कि पार्टी के द्वारा नहीं लगाये गये) उनको डैड बैंक में स्थानान्तरित करती है।
- 31. लीज पर फार्म :-**
- (अ) राज्य सरकार के द्वारा कृषि फार्म भूमि पूर्व के वर्षों में लीज-होल्ड आधार पर आवंटित किये गये थे। लीज रेंट का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा नहीं किये जाने के कारण कम्पनी के द्वारा लीज रेंट का दायित्व लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है।
- (ब) कम्पनी के द्वारा फार्म के विकास पर किये गये खर्चों को लाभ हानी खाते से चार्ज किया गया है। चाहे वह रेवन्यू या खर्चा हों।
32. निगम ने डाउटफुल रिसेवेबल्स के लिए 2,78,27,979 /- रुपये (पिछले साल 57,92,776 /- रुपये) का प्रोविजन किया है और 42,91,104 /- रुपये राइट बैक किए हैं जो रिकवर हो गए हैं (पिछले साल 2,64,356 /- रुपये सीड प्रोअर को दिए गए एडवांस से)। इस साल के लिए डाउटफुल रिसेवेबल्स के लिए नेट प्रोविजन 2,35,36,875 /- रुपये (27827979 - 4291104) (पिछले साल 60,57,132 /- रुपये) को नोट नंबर 21 अन्य खर्चों में दिखाया गया है।
33. निगम 3 साल से ज्यादा पुराने देनदारों और बीज उगाने वालों के लिए प्रावधान बना रहा है, जिन्हें संदिग्ध माना जा रहा है। कॉर्पोरेशन पिछले सालों के संदिग्ध कर्जों के लिए नियमित रूप से प्रावधान बनाने की यह प्रक्रिया अपना रहा है। इसके अलावा, जो देनदार वसूल नहीं हो सकते, उन्हें मैनेजमेंट द्वारा पहचाने जाने वाले साल में राइट ऑफ कर दिया गया है।
34. भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा जारी "आय पर कर के लिए लेखाकंन" के सम्बन्ध में लेखा मानक-22 (AS-22), जिसे बनाना दिनांक 01.04.2002 से आवश्यक हुआ है, महत्वपूर्ण समय में अन्तर का संचय कर प्रभाव परिणामस्वरूप डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियों एवं दायित्व एवं उन मदों जिनके कारण ये अन्तर उत्पन्न हुये, का विवरण निम्न है :-

विवरण	डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) 01.04.2024 को	चालू वर्ष (चार्ज) / जमा	डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) 31.03.2025 को
अ. डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ	(3,06,942)	----	(3,06,942)
-अवकाशनकदीकरण	3,97,69,622	6853938	4,66,23,560
- डुबत ऋण	(1,46,894)	(10,290)	(1,57,184)
- ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान			
योग (अ)	3,93,15,786	68,43,648	4,61,59,434
ब डैफर्ड टैक्स (दायित्व) / सम्पत्तियाँ	(1,34,61,364)	(12,78,831)	(1,47,40,195)
- ग्रास	(13,35,939)	4,42,210	(8,93,729)
स्टेट नवीनीकरण कोष			
योग (ब)	(1,47,97,303)	(8,36,621)	(1,56,33,924)
शुद्ध डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) (अ)+(ब)	2,45,18,483	60,07,027	3,05,25,510

35. (अ) निदेशक कृषि लिफ्ट सिंचाई :-  
लिफ्ट सिंचाई हेतु रु. 6.06 लाख पत्रांक एफ 4 (2) बजट/प्लान/89-90/22 दिनांक 6.04.1989 के द्वारा दिनांक 07.06.1989 को राशि प्राप्त हुई। राशि रु. 5.93 लाख अभी तक भी उपयोग किये जाने है।
- (ब) बाजरा बीज के लिए उत्पादन अनुदान :-  
निजी बीज उत्पादकों के द्वारा हाईब्रिड बाजरा बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग के द्वारा जारी स्वीकृति पत्रांक एफ (24)(277)/डीए/आरकेवीवाई/2010-11/15569-578 दिनांक 28.03.2011 के द्वारा राशि रु. 307.35 लाख की राशि दी गई थी जो कि अभी तक उपयोग नहीं हो पाई है। इसलिए इसे अनुदान वापसी योग्य सरकार को चालू दायित्व के अन्तर्गत दिखाया गया है।
36. वर्ष 2006-07 के दौरान रु. 6.26 लाख विभिन्न कृषकों को अच्छी गुणवत्ता का बीज विक्रय करने की वजह से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, जो कि मै0 रियल मार्केटिंग जलना एवं मै0 साईं सीड्स कारपोरेशन, आन्ध्रप्रदेश के द्वारा सप्लाई किया गया था। निगम द्वारा इन आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक 21.05.07 को रु. 27.33 लाख का दावा किया गया। अनिश्चितता के कारण इसको खातों में नहीं लिया गया। न्यायालय के पास अभी तक इस केस का निर्णय लम्बित है।
37. उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र नहीं है जिन पर निगम का बकाया है, जो 31 मार्च 2025 तक 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है। यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जानी आवश्यक है। कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है।
38. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 1,19,739.70 रुपये की बिना चुकाई गई डिविडेंड राशि को साल के दौरान इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है। (पिछले साल 2,49,994 रुपये)।
39. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर नीती के पेटे राशि रु. 40,00,882/- का प्रावधान वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा किया गया है। (पूर्व वर्ष राशि रु. 34,51,409/-)

## (A) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कम्पनी एक्ट की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियां

		2024-25	2023-24
(a)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,	40,00,882/-	34,51,409/-
(b)	किए गए व्यय की राशि,	3,35,592/-	44,70,102/-
(c)	वर्ष के अंत में कमी,	37,01,000/-	75,86,219/-
(d)	पिछले वर्षों की कुल कमी,	6,35,474/-	3,35,292/-
(e)	कमी का कारण,	अनुपयोग के कारण राशि वापस प्राप्त हो गयी है।	अनुपयोग के कारण राशि वापस प्राप्त हो गयी है।
(f)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति,	समाज कल्याण	समाज कल्याण
(g)	संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, ई. जी., प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	N/A	N/A
(h)	जहां एक संविदात्मक दायित्व में शामिल होने से उत्पन्न दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाली गतिविधियों को अलग से दिखाया जाना चाहिए।	-	-



40. विगत वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के आंकड़ों के तुलनीय बनाने के दृष्टिकोण से जहाँ आवश्यक हो को पुनः ग्रुपिंग/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गणना की गई है।
41. विविध देनदार, लेनदार, ऋण एवं अग्रिम, सिक्यूरिटी जमा, चालू दायित्व, अदत्त दायित्व, कृषि विभाग के पास जमा, रिवोल्विंग फण्ड एवं बीज बैंक को उनके पुस्तक मूल्यों पर लिया गया है। सम्बन्धित से पुष्टि/मिलान किया जाना लम्बित है।
- (अ) 1613 लाख रुपये की राशि को मुकदमेबाजी के तहत माल के लिए विविध लेनदारों के रूप में वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया है, जो जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड से संबंधित है। इस मुद्दे के संबंध में एक कानूनी मामला चल रहा है और जिसकी स्थिति अभी भी वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर में लंबित है।

**(ब) व्यापारिक देयताएं आयुवार सारांश****31.03.2025**

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(I) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	1736.01	802.41	344.60	267.53	3150.55
(iii) विवादाग्रस्त बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त बकाया अन्य	-	-	-	-	-

**31.03.2024**

(I) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	802.41	344.60	267.53	243.97	1658.51
(iii) विवादाग्रस्त बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त बकाया अन्य	-	-	-	-	-

**(स) व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य आयुवार सारांश**

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)					योग (रु. लाखों में)
	06 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
<b>31.03.2025</b>						
(I) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	8149.54	822.14	360.66	428.68	-	9761.02
(ii) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	1529.72	1529.72
(iii) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	-	-



विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)					योग (रु. लाखों में)
	06 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
<b>31.03.2024</b>						
(i) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	4924.83	1105.06	428.68	520.12	-	6978.69
(ii) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	1251.44	1251.44
(iii) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	-	-

**42. अनुदान उपयोग का विवरण:-**

		31.03.2025	31.03.2024
अ	पूँजीगत अनुदान		
1.	इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान (गोदाम)		-
2.	सीड बैंक अनुदान (गोदाम)		-
ब	आयगत अनुदान		
1.	उत्पादन अनुदान	51,24,31,375/-	34,77,49,815/-
2.	विपणन अनुदान (NFSM+RKVY)	31,37,49,600/-	25,60,42,770/-
3.	सी.एस.एस. (GOI + State Govt.)	18,29,96,972/-	8,88,56,392/-
4.	सीड बैंक की व्यवस्था	27,81,560/-	1,00,68,619/-

43. आंकड़ों को निकटतम लाखों में अंकित किया गया है।

44. निगम के पास 31.03.2025 तक कुल 116972 क्विंटल (पिछले साल 82977 क्विंटल) अलग-अलग तरह के बीजों का स्टॉक है, जो बीज उगाने वालों से मिला है और जिसकी ग्रेडिंग और प्रमाणिकरण की प्रक्रिया में था। निगम के इस मद में बीज उगाने वालों को 73,10,71,855/- रुपये (पिछले साल 47,81,49,722/- रुपये) का एडवांस दिया है। इस स्टॉक का मालिकाना हक निगम के पास नहीं है।

45. पूर्व अवधि की मदें :-

पिछले वर्ष के आधार पर, पिछले वर्ष की आय राशि रु. (49,46,131/-) (पिछले वर्ष रु. 49,20,157/-) एवं खर्च राशि रु. (4,73,972/-) (पिछले वर्ष रु. 23,91,372/-)।

46. सेंगमेन्ट रिपोर्टिंग :- सीड सेंगमेन्ट ही मुख्य गतिविधि है।



## 47. आयकर निर्धारण एवं मांग:-

## 1. कर निर्धारण वर्ष 2017-18 :-

(अ) निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निगम का आयकर आकलन दिनांक 23.12.2019 के आदेश के तहत किया गया है, जिसमें आयकर मांग 2,18,82,718/- रुपये की अतिरिक्त राशि शामिल की गई है। विभाग द्वारा इस तरह की अतिरिक्त राशि रु. आदेश दिनांक 23.12.2019 द्वारा 1,46,12,053/- रु. निगम ने परिवर्धन को स्वीकार नहीं किया है और सीआईटी (अपील) -I जयपुर में दिनांक 10.01.2020 को अपील दायर की है। आयकर विभाग द्वारा मांग राशि पिछले वर्षों के रिफंड से रोकी गई।

(ब) अतिरिक्त आदेश धारा 143(3) आर.डब्ल्यू.एस. निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए 263 (धारा 144बी के साथ पढ़ें) दिनांक 29.03.2023 के आदेश के तहत रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 53,70,873/- रुपये की अतिरिक्त आयकर मांग हुई। 18,58,751/- दिनांक 29.03.2023। निगम ने परिवर्धन स्वीकार नहीं किया है और सीआईटी (अपील) - 1, जयपुर दिनांक 21.04.2023 को अपील दायर की है।

## 2. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 :-

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर की मांग दिनांक 20.03.2023 के आदेश के तहत की गई है। गलत रिपोर्ट की गई आय की राशि रु. 6,81,211/- आयकर मांगू.त.ज. विभाग द्वारा ऐसी गलत रिपोर्ट की गई आय में रु. की वृद्धि की गई है। 2,27,416/- आदेश दिनांक 20.03.2023 द्वारा। निगम ने परिवर्धन और दायित्व को स्वीकार नहीं किया है और सीआईटी (अपील) -1, जयपुर दिनांक 17.04.2023 को अपील दायर की है।

## 3. कर निर्धारण वर्ष 2023-24 :-

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 143(1) के तहत 27.11.2024 के ऑर्डर से कर निर्धारण 2023-24 के लिए 2,45,800/- रुपये की इनकम टैक्स डिमांड की गई है। जिसे साल के दौरान जमा कर दिया गया है।

## 48. लेखांकन अनुपात

विवरण	अंश	मार्च 31,	मार्च 31,	प्रतिशत (%) में भिन्नता	अंतर का कारण (यदि 25% से अधिक है)
	हर	2025	2024		
स्टॉक टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/औसत स्टॉक	6.85	3.37	103.20	अनुपात में सुधार बेहतर सेल्स वॉल्यूम और एवरेज इन्वेंटरी लेवल में कमी के कारण हुआ है।
व्यापारिक देयतायें टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/औसत व्यापारिक देयतायें	9.51	8.62	10.33	-
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	EBITDA - Capex	5.83	8.52	-31.59	ब्याज लागत में बढ़ोतरी के कारण अनुपात में गिरावट आई है।
	Debt Service				
चालू अनुपात	चालू सम्पत्तियाँ	2.59	2.84	-8.86	
	चालू दायित्व				
ऋण अंश अनुपात	ऋण	-	-	-	NA
	अंश				

इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद लाभ औसत शेयरधारकों की इक्विटी	10.18	8.82	15.41	
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय से)	शुद्ध क्रेडिट बिक्री	3.77	3.86	-2.47	-
	औसत व्यापार प्राप्य				
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय से)	टर्नओवर	2.95	1.30	127.20	अनुपात में सुधार पिछले साल की तुलना में टर्नओवर में बढ़ोतरी के कारण हुआ है।
	कार्यशील पूंजी				
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद लाभ	5.52	6.98	-20.82	-
	कुल बिक्री				
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	परिचालन लाभ	0.16	0.13	22.19	-
	कुल नियोजित पूंजी				
निवेश पर प्रतिफल	कर के बाद लाभ निवेश का प्रारंभिक मूल्य	-	-	-	-

## 49. आयुवार पूंजी कार्य प्रगतिधीन

## 31.03.2025

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) योजना प्रगति में	-	-	-	-	-
(ii) योजना छोटे अवधि की	-	-	-	-	-

## 31.03.2024

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(I) योजना प्रगति में	-	-	76.96	-	76.96
(ii) योजना छोटे अवधि की	-	-	-	-	-





## 51. बिल न किए गए राजस्व की पुरानी अनुसूची

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए उत्कृष्ट				
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल तक	1 से 2 साल	2 से 3 साल	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2025 तक	लागू नहीं				
31 मार्च, 2024 तक	लागू नहीं				

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्यवाही

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

या

निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

संपत्ति का विवरण	खरीद का वर्ष	राशि (लाखों में)	लानार्थियों का विवरण	बैलेस शीट में आइटम का संदर्भ	यदि लेखों में नहीं है तो उसके कारण बताइये	चाहे कार्यवाही लेनदेन के दुष्प्रेरक के रूप में हो या अंतरणकर्ता के रूप में	कार्यवाही की प्रकृति, उसकी स्थिति और उस पर कंपनी का दृष्टिकोण
परिसंपत्तियां 1	लागू नहीं						
परिसंपत्तियां 2							
परिसंपत्तियां 3							
परिसंपत्तियां 4							
परिसंपत्तियां 5							

## 52 बैंकों से उधार

(I) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण समझौते में हैं। कंपनी के खाते की पुस्तकों के साथ।

तिमाही अवधि	लेखा पुस्तकों के अनुसार (लाखों में)	बैंक में भेजे गये विवरण अनुसार (लाखों में)	अन्तर (लाखों में)	कारण
30 जून 2024				
अन्तिम स्टॉक	3700.00	3595.36	104.64	
व्यापारिक देनदार	11500.00	11494.49	5.51	
व्यापारिक लेनदार	3870.00	3860.26	9.74	
30 सितम्बर 2024				
अन्तिम स्टॉक	6700.00	6633.81	66.19	
व्यापारिक देनदार	19750.00	19739.65	10.35	
व्यापारिक लेनदार	4340.00	4331.21	8.79	

30 दिसम्बर 2024					
अन्तिम स्टॉक		1500.00	1493.75	6.25	
व्यापारिक देनदार		20060.00	20055.49	4.51	
व्यापारिक लेनदार		4120.00	4111.31	8.69	
31 मार्च 2025					
अन्तिम स्टॉक *		3491.15	1155.54	2335.61	कॉलम में ऑडिट किए गए आकड़ों को फाइनेंशियल के अनुसार माना गया है, जो साल के आखिर में एडजस्टमेंट के बाद के हैं।
व्यापारिक देनदार		17097.09	17824.66	-727.57	
व्यापारिक लेनदार		3150.55	4137.83	-987.28	

\* बैंक रिटर्न उद्देश्य के लिए प्रमाणित बीजों और फाउंडेशन बीजों को लिया जाता है।

(ii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। या

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

बैंक, वित्तीय संस्थान और अन्य ऋणदाताओं का नाम	घोषणा की तिथि	डिफॉल्ट का विवरण	उस पर कंपनी का दृष्टिकोण या टिप्पणियाँ
बैंक 1			
वित्तीय संस्थान			डिफॉल्ट नहीं
अन्य ऋणदाता			

### 53. हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं था।

या

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ निम्नलिखित लेनदेन हैं।

हटाई गई कंपनी का नाम और लेनदेन की प्रकृति	बकाया राशि (लाखों में)	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
कंपनी 1		
प्रतिभूतियों में निवेश		
देनदार		लागू नहीं
लेनदार		
हटायी गयी कंपनी द्वारा दारित शेयर		
अन्य बकाया शेष (विशेष प्रकृति)		
हटाई गई कंपनी का नाम और लेनदेन की प्रकृति	बकाया राशि (लाखों में)	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,

### 54. कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है और तदनुसार, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन विचाराधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है।

या

कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन नहीं किया है और निर्दिष्ट परतों से परे कंपनियों का विवरण निम्नलिखित विवरण के अनुसार है।



कम्पनी का नाम	कम्पनी का CIN	सम्बन्ध	धारण की सीमा
कम्पनी 1			लागू नहीं
कम्पनी 2			

### व्यवस्था की योजना

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की कोई योजना नहीं है। लागू नहीं

या

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की एक योजना (यहां विवरण निर्दिष्ट करें) को मंजूरी दे दी गई है और ऐसी व्यवस्था की योजना के प्रभाव को खाते की किताबों में दर्ज किया गया है। कंपनी की योजना के अनुसार और भारतीय लेखा मानकों/व्हेखा मानकों के अनुसार (अनुचित रिपोर्टिंग ढांचे को हटा दें) लागू नहीं

### 55. मध्यस्थों को अग्रिम या ऋण या निवेश और मध्यस्थों से धन की प्राप्ति

कंपनी ने समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की है (चाहे वह हो) लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया कि मध्यस्थ (प) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या (पप) कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा या अंतिम लाभार्थियों को पसंद करें या उनकी ओर से। लागू नहीं

कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड नहीं मिला है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (प) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या (पप) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।

### 56. मध्यस्थों को अग्रिम या ऋण या निवेश और मध्यस्थों से धन की प्राप्ति

कंपनी ने समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की है (चाहे वह हो) लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया कि मध्यस्थ (प) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या (पप) कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा या अंतिम लाभार्थियों को पसंद करें या उनकी ओर से। लागू नहीं

### 57. अधोषित आय

कंपनी का कोई भी लेन-देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे किसी भी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो। लागू नहीं



## 58. क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए, इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते हैं।

या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश किया और संबंधित खुलासे इस प्रकार हैं

विवरण	राशि (लाखों में)
क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि	
रिपोर्टिंग तिथि पर धारित मुद्रा की राशि	
क्रिप्टो करेंसी/आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम	

ह.  
राकेश मामनानी  
कंपनी सचिव  
M-No. F8834

ह.  
हरि मोहन शर्मा  
वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)

ह.  
महेन्द्र कुमार शर्मा  
महा प्रबन्धक

ह.  
ओम सिंह राठौड़  
निदेशक  
DIN No. 10984439

ह.  
विन्मयी गोपाल  
प्रबन्धक निदेशक  
DIN No. 08411651

ह.  
मंजू राजपाल  
अध्यक्ष  
DIN No. 07825977

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन  
कृते धृत एम्ड एसोसियेट्स  
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स  
ERN No. 002145C

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 31.12.2025  
UDIN: 26400831TMLDMS1995



ह.  
सीए दीक्षांत सोगानी  
(भागीदार)  
M. No. 400831

**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

## Auditor's Report

### To The Members of **RAJASTHAN STATE SEED CORPORATION LIMITED** Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

#### Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **Rajasthan State Seed Corporation Limited (here in after referred as "the Corporation)**, which comprise the balance sheet as at 31st March 2025, and the statement of Profit and Loss and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effect of the matter(s) described in the Basis for Qualified Opinion section, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March, 2025, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

#### Basis for Qualified opinion

We draw attention to the matters described as under, the effect of the misstatements and possible effects of undetected misstatement on the standalone financial statement due to inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence which are material, but not pervasive either individually or in aggregate.

- (I) As detailed in Para 1 of Annexure I of this Audit Report Regarding not obtaining balance confirmation and not following procedure of reconciliation of trade receivables, trade payables, loans and advances and other liabilities etc.
- (ii) As detailed in Para 2 of Annexure I of this Audit Report regarding non-identification and disclosure of details as required by Section 22 of MSMED Act 2006.
- (iii) As detailed in Para 3 of Annexure I of this Audit Report regarding actuarial valuation of Liability of Gratuity and Group Leave Encashment Scheme for the year 2024-2025 as obtained from Life Insurance Corporation of India.

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing (SAs) specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the

**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

### **Emphasis of Matter**

We draw attention to following matters related with the financial statements:

1. Refer to Note No. 3 of Balance Sheet in respect of Other Long-term Liabilities which includes Revolving Fund for Drought Prone Area for Rs.260 Lakhs, the company has not maintained separate account for their utilization. Therefore, we are unable to comment on the utilization of the same as necessary documents were not available with the company.
2. The company has stated in Para No. 14 of Note No.-A of "Significant Accounting Policies & Notes on Accounts" that the management has reviewed as on balance sheet date about impairment of assets as per Accounting Standard – 28. However, in the absence of procedure and valuation adopted for impairment of Property, plant & equipment by the company, we are unable to comment whether any impairment loss has remained un-assessed or un-provided for in accordance with Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets".
3. Refer para no. 41 of Note No. - C of "Significant Accounting Policies & Notes on Accounts" in respect of Sundry Debtors, Creditors, Loans & Advances, Security Deposits, Current Liabilities, Outstanding Liabilities, Deposit with Agriculture Department and Revolving fund with seed banks are subject to confirmations and necessary adjustments upon reconciliation. The company has not complied with the requirements of SA 505 (Revised) – "External Confirmations", in absence of the same; we are unable to comment about the impact thereof on the financial statements.

Our Opinion is not modified in respect of these matters.

### **Other Matter**

1. Accounting Entries for transfer of Inventory from one unit to another (IUT) is being done for quantity only without taking into effect the monetary value for such transfers. This practice is being followed from previous years. Therefore profitability of the individual units could not be determined.

Our Opinion is not modified in respect of these other matters.

### **Information other than the financial statements and auditors' report thereon.**

The Corporation's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexure to Board's Report but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.



When we read the Board's Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and describe actions applicable in the applicable laws and regulations.

### **Responsibility of Management for Standalone Financial Statements**

The Corporation's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The board of directors is also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

### **Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Corporation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.


We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

#### **Report on other legal and regulatory requirements**

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.



**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

**As required by Section 143(3) of Act, we report that:**

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except for the matters as stated in the Basis for Qualified Opinion section of this audit report.
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books except for the matters stated in the paragraph (i) VI below on reporting under Rule 11(g).
- c) The balance sheet, the statement of profit and loss, and the cash flow statement dealt with by this report agree with the books of account.
- d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended., except for the effects and possible effects of the matter described in the basis for qualified opinion paragraph, for AS-10 (Property, Plant and Equipment), AS -15 (Employee Benefits) as detailed above & in Annexure I of this audit report.
- e) Being a Government Corporation, pursuant to the Notification NO. GSR 463 (E) dated 05.06.2015 issued by Government of India; provisions of section 164(2) of the Companies Act 2013 are not applicable to the corporation.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in 'Annexure D'.
- g) Being a Government Corporation, pursuant to the Notification NO. GSR 463 (E) dated 05.06.2015 issued by Government of India; provisions of section 197 of the Companies Act 2013 are not applicable to the corporation.
- h) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above. The modifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the paragraph (b) above on reporting under section 143(3)(b) of the Act and paragraph (f)VI below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.
- i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - a) The Corporation did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.
  - b) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation.
  - c) (i) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by



**Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

- the Corporation to or in any other person(s) or entity(es), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Corporation ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (ii) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Corporation from any person(s) or entity(es), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Corporation shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- (iii) Based on such audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- d) For the FY 2024-2025 Dividend of Rs. 75,92,975/- has been proposed by the Corporation.
- e) Based on our examination which included test checks and information given to us, the Corporation has maintained its books of accounts using accounting software which did not have the feature of recording audit trail (edit log) throughout the year for all transactions. Consequently, the corporation has not complied with the provisions related to audit trail and reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014.
- f) As required by Section 143(5) of the Act, we give in "Annexure-B & C", a statement on the matters specified in the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Company.

**For Dhoot & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN-002145C



sd/-  
**Dikshant Sogani**  
Partner  
Membership No-400831  
Place-Jaipur  
Date-31/12/2025  
UDIN-26400831TMLDMS1995

**Dhoot & Associates**  
 Chartered Accountants

 F-3 Ramesh Marg,  
 C-Scheme, Jaipur-302001  
 E-mail-dhootoffice@gmail.com

The Annexure-A referred to in our Independent Auditors Report to the members of the Corporation of the financial statement for the year ended March 31, 2025, we report that's:

**(i) In respect of Property, Plant & Equipment**

- (a) (A) The Corporation has not maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
- (B) The Corporation has not maintained proper records showing full Particulars of intangible assets.
- (b) The Property, Plant and Equipment's are physically verified by the management in a phased program designed to cover all the assets every years, which in our opinion, is reasonable having regards to the size of the Corporation and nature of its assets. However as per our opinion method followed by them is not reliable. As per the lists of Property, Plant and Equipment's received from various units- certain items of Property, Plant and Equipment's have been marked as "unserviceable", but the Corporation has neither made any disclosure nor made any adjustment in value in respect of such unserviceable fixed assets.
- c) The title deeds of all the immovable properties (other than properties where the Corporation is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the corporation except for Alwar & Durgapura Units for which documents are not held on records hence we are unable to comment regarding these . Further title deeds of the immovable properties being administrative building situated at Jaipur as reported in notes to accounts para no. (21 A) of Note No.-C of "Significant Accounting Policies & Notes to Accounts" are not held in the name of the corporation, details as under-

Relevant Line Item in the Balance Sheet	Description of item of Property	Gross Carrying Value	Title deeds held in the name of	whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property, Plant , Equipment	Land & Building - Administrative Building	Rs. 53.54 Lakhs	State Govt. - Agriculture Dept.	Agency of the Promoter - State Govt.	F.Y.1989-90	The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Company is still pending.

- d) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets during the year. Accordingly, the reporting under Clause 3(i)(d) of the Order is not applicable to the Corporation.
- e) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Corporation, there are no proceedings have been initiated or are pending against the Corporation for holding any benami property under the Benami

Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.

**(ii) In respect of Inventory:**

- (a) The Corporation is maintaining proper records of inventory; physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and in our opinion, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate and no discrepancies were observed.
- (b) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the

Corporation, the Corporation has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets & collateral security of Plant & Machinery. On test check basis as per the records made available to us for verification the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the Company.

**(iii) In respect of loan granted:**

According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not made investments in, nor provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties during the year. Accordingly, provisions of clause 3(iii)(a), 3(iii)(b), 3(iii)(c), 3(iii)(d), 3(iii)(e) and 3(iii)(f) of the Order are not applicable to the Corporation.

**(iv) In respect of compliance of section 185 and 186 of The Companies Act, 2013:**

According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records, in respect of loans, investments, guarantees, and security, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.

**(v) In respect of public deposits:**

The Corporation has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits covered under sections 73 to 76 of the Companies Act, 2013. Accordingly, clause 3(v) of the Order is not applicable.

**(vi) In respect of cost records:**

According to the information and explanations given to us The Central Government has not prescribed for maintenance of cost records under section 148 (1) of the Companies Act, 2013.

**(vii) In respect of statutory dues:**

- (a) Corporation is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory due to the appropriate authorities.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, there is no statutory dues referred to in sub-clause (a) that have not been deposited on account of any dispute except following:

S. No.	Name of the Statute	Nature of the disputed statutory dues	Period to which the amount relates	Forum where Dispute is Pending	Gross disputed amount (Rs. in Lacs)	Amount deposited under protest/ adjusted by Tax Authorities (Rs. In Lacs)	Amount not deposited (Rs In Lacs)
1	Income Tax	Income Tax	AY 2017-18	CIT Appeals -I Jaipur	146.12	146.12	NIL
2	Income Tax	Income Tax	AY 2017-18	CIT Appeals -I Jaipur & High Court of Rajasthan	18.59	NIL	18.58
3	Income Tax	Income Tax	AY 2020-21	CIT Appeals -I Jaipur	2.27	2.27	NIL

**(viii) In respect of undisclosed income :**

According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.

**(ix) In respect of repayment of loan :**

- (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
- (c) According to the information and explanations given to us by the management, the Corporation has not obtained term loans during the year.
- (d) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Corporation, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term purposes by the Corporation.
- (e) The Corporation does not hold any investment in any subsidiary, associate or joint venture (as defined under the Act) during the year ended 31 March 2025. Accordingly, clause 3(ix)(e) is not applicable.
- (f) The Corporation does not hold any investment in any subsidiary, associate or joint venture (as defined under the Act) during the year ended 31 March 2025 Accordingly, clause 3(ix)(f) is not applicable.

**(x) In respect of funds raised through IPO/ EPO/ Debt finance:**

- (a) The Corporation has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

**(xi) In respect of fraud reporting :**

- (a) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the corporation, no material fraud by the Corporation or on the Corporation by its officers or employees was noticed or reported during the year.
- (b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.
- (c) According to the information and explanations given to us by the management, no whistle-blower complaints had been received by the Corporation.

**(xii) In respect of Nidhi Company :**

The Corporation is not a Nidhi Company. Accordingly, clause 3(xii)(a), 3(xii)(b) and 3(xii)(c) of the Order is not applicable.

**(xiii) In respect of transactions with related parties :**

In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties



are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, where applicable and the details have been disclosed in the standalone financial statements, as required by the applicable accounting standards.

**(xiv) In respect of internal audit system :**

- (a) Based on information and explanations provided to us and our audit procedures, the Corporation has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- (b) We have considered the internal audit reports of the Corporation issued till date for the period under audit.

**(xv) In respect of non cash transactions:**

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Corporation has not entered any non-cash transactions with directors or persons connected with him and hence, provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Corporation.

**(xvi) In respect of compliance of section 451A of the RBI Act, 1934:**

- (a) In our Opinion and based on our examination, the Corporation is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934). Accordingly, clause 3(xvi)(a) of the Order is not applicable.
- (b) In our Opinion and based on our examination, the Corporation has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clause 3(xvi)(b) of the Order is not applicable.
- (c) In our Opinion and based on our examination, the Corporation is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.
- (d) According to the information and explanations given by the management, the Group does not have any CIC as part of the Group.

(xvii) Based on our examination, the Corporation has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.

**(xviii) In respect of resignation of statutory auditors:**

There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.



**(xix) In respect of any material uncertainty to meet liability:**

According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Corporation is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Corporation. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Corporation as and when they fall due.

Dhoot & Associates  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

**(xx) In respect of unspent amount under section 135(5) of The Companies Act, 2013**

Based on our examination, the provision of section 135 is applicable on the Corporation.

- (a) The Corporation has not fully provided for the CSR obligation for the year; however, the impact of the same is not material to the financial statements.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, in respect of other than ongoing projects, the Corporation has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act, except in respect of following;

Financial Year	Amount unspent on CSR activities "other than Ongoing Projects" Rs.	Amount Transferred to Fund specified in Sch. VII within 6 months from the end of the Financial Year	Amount Transferred after the due date (specify the date of deposit)
2022-2023	1,700	NIL	NIL
2023-2024	3,33,892/-	NIL	NIL
Total	3,35,592/-		

(\*For Current year and for the previous year/(s) for which the amount remains unspent)

- (a) The Corporation does not have ongoing projects under section 135 of the Companies Act. Accordingly, paragraphs 3(xx)(b) of the Order are not applicable.
- (b) The Corporation is not required to prepare Consolidate financial statement hence this clause is not applicable.

**For Dhoot & Associates**  
**Chartered Accountants**  
**FRN-002145C**



Sd/-  
**Dikshant Sogani**  
**Partner**  
**Membership No-400831**  
**Place-Jaipur**  
**Date-31/12/2025**  
**UDIN-26400831TMLDMS1995**

Dhoot & Associates  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

**DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF  
INDIA UNDER SECTION 143(5) OF COMPANIES ACT 2013**

**Annexure - B**

S. No.	General Directions	Remarks
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Books of Accounts are maintained in Tally Accounting Software however Stock Registers are maintained manually. Further as informed to us Back Up System for records is not in place.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc. made by lender to the company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case ,lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of the lender company)	There has been no restructuring and waiver /write off of debts by the lender.
3	Whether funds (Grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State Govt. or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	The corporation is maintaining separate ledger accounts for funds (Grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from State Govt. or its agencies. However the corporation had not made available/provided terms and conditions /scheme details except for Production & Marketing Subsidy hence we are unable to comment regarding proper accounting or utilization of funds (Grants/subsidy etc.)

**For Dhoot & Associates  
Chartered Accountants  
FRN-002145C**



**Sd/-  
Dikshant Sogani  
Partner  
Membership No-400831  
Place-Jaipur  
Date-31/12/2025  
UDIN-26400831TMLDMS1995**

Dhoot & Associates  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

**DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF  
INDIA UNDER SECTION 143(5) OF COMPANIES ACT 2013**

**Annexure - C**

S. No.	Company/Sector Specific Directions (Sub-directions)	Remarks
1	Whether physical verification and valuation of standing crops /trees was done at the end of the financial year in accordance with the standard industry practices?	The corporation does not had any standing crops /trees. As informed to us physical verification of crop under cultivation at Farms/Seed Growers is conducted for expected yields as per production plan. The corporation has no policy for valuation of the standing crops.
2	Whether the stock of seeds, packing/certification materials and other items on the basis of stock records after adjustment of shortage/excess found on physical verification and whether due consideration has been given for deterioration in the quality of old stocks which may result into overvaluation of stock?	The corporation is maintaining stock records manually. As informed the corporation has a practise of conducting physical verification of stocks and fit/unfit stocks are considered and valued for preparation of financial statements. As per this practise short/deteriorated stock, if any, gets adjusted in books of accounts.
3	Whether the company has an effective mechanism for disbursement of loans/subsidies /agro inputs and agriculture machineries to beneficiaries and recovery thereof (loans) along with interest, if any, from beneficiaries?	As informed to us subsidies related to Seeds have been disbursed in accordance with the policy issued by Government.

**For Dhoot & Associates  
Chartered Accountants  
FRN-002145C**



**Sd/-  
Dikshant Sogani  
Partner  
Membership No-400831  
Place-Jaipur  
Date-31/12/2025  
UDIN-26400831TMLDMS1995**

Dhoot & Associates  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

### **Annexure 'D'**

### **Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Rajasthan State Seed Corporation Limited ("the Corporation") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Corporation for the year ended on that date.


#### **Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

#### **Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.



Dhoot & Associates  
Chartered Accountants



F-3 Ramesh Marg,  
C-Scheme, Jaipur-302001  
E-mail-dhootoffice@gmail.com

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation's internal financial controls system over financial reporting except the matter(s) described in the Basis for Qualified Opinion section of our audit report.

**Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting**

A Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation.
2. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Corporation; and
3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, the Corporation has, in all material respects except the matter(s) described in the Basis for Qualified Opinion section, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31 ,2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. For Dhoot & Associates

For Dhoot & Associates  
Chartered Accountants  
FRN-002145C

Sd/-  
Dikshant Sogani  
Partner  
Membership No-400831  
Place-Jaipur  
Date-31/12/2025  
UDIN-26400831TMLDMS1995



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**  
**ANEXURE "A" TO DIRECTORS REPORT**  
**REPLY TO AUDITOR'S REPORT 2024-25**

**Audit Report (Basis for Qualified opinion)**

1. Para no 1 of Annexure 1- Balance confirmation is sought from the respected parties. It is worth mentioning here that parties are mostly government departments/ PSUs/co-operative societies, etc. Further, We are pursuing for balance confirmation/ Reconciliation with all Parties/ Vendor/Supplier etc.
2. Para no 2 of Annexure 1- Most of the MSMEs have not submitted the disclosure in this regard.
3. Para no 3 of Annexure 1 Statement of fact needs no comments.

**(Emphasis of Matter)**

1. Revolving fund of Rs. 2.60 Crore was made available to RSSC in the Year 1995 for the basic purpose of Seed Production Programme in DPAP area of the State. This amount has been shown in current liabilities at Note No.-3 and it is refundable to Government as and when demanded.
2. At present no impair able assets as on 31.03.2025 as per A.S. 28. In future if any assets exist impairable. We will follow norms as per A.S. 28.
3. These are continuous/running account we are trying for receiving conformation.

**Other Matters**

1. The company is following same practice since beginning. As per accounting policy & practices of the Corporation. Individual unit's Profit & Loss Accounts Statement is not prepared as a part of Annual Report / Financial Statement. Stock Transfers are therefore not recorded at monetary value. For internal reporting, individual profit & loss are/and /or may be calculated but the same is not part of accounts of the Corporation.

- In respect to the other matters Statement of fact needs no comments.

The Annexure referred to in Independent Auditors Report to the members of the Corporation of the financial statement for the year ended March 31, 2025

- (i) In respect of Property, Plant & Equipment-
    - (a) (A) The Corporation has maintained records of PPE in old Format mainly at HO and units. We are updating the same as per new format..
    - (b) As per PV report Unserviceable property and other items of the corporation have been marked and appropriate disclosure in the PV Report have been made. Adjustment in the value is subject to auction and sale of the property.
    - (c)(d) The Above mentioned property transferred by the state govt. to the company has been valued on Ad-hoc basis and land transferred by the State Govt. to co. is valued at NIL.
    - (e)(f) (i) Statement of fact needs no comments.
    - (ii) to (vi) Statement of fact needs no comments
    - (vii) (a) All the undisputed Statutory dues have been deposited an appropriate authority
    - (b) Disputed demand of Income tax have not been deposited for which corporation has filed in higher authority
    - (viii) to (xx) Statement of fact needs no comments.
- Annexure 1, B, C and D are statement of facts needs no comment.

## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2217514

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2025

(Amount in ₹ Lakhs)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period 2024-25	Figures as at the end of Previous reporting period 2023-24
<b>I. EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1 Shareholders' Funds</b>			
(a) Share Capital	1	759.30	759.29
(b) Reserves and Surplus	2	20,175.10	18,219.51
(c) Money Received Against Share Warrants		-	-
		<b>20,934.40</b>	<b>18,978.80</b>
<b>2 Share Application Money Pending Allotment</b>			
<b>3 Non-Current Liabilities</b>			
(a) Long-Term Borrowings		-	-
(b) Deferred Tax Liabilities (Net)		-	-
(c) Other Long-Term Liabilities	3	1,912.12	1,912.12
(d) Long-Term Provisions	4	-	0.35
		<b>1,912.12</b>	<b>1,912.47</b>
<b>4 Current Liabilities</b>			
(a) Short-Term Borrowings	5		
(b) Trade Payables			
(A) Total Outstanding Dues of Micro & Small Enterprises			
(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	6	3,150.55	1,658.51
(c) Other Current Liabilities	7	7,831.63	6,960.56
(d) Short-Term Provisions	8	1,487.28	996.28
		<b>12,469.46</b>	<b>9,615.35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35,315.98</b>	<b>30,596.62</b>
<b>II. ASSETS</b>			
<b>1 Non-Current Assets</b>			
(a) Property Plants & Equipments and Intangible Assets			
(i) Tangible Property, Plant and Equipment	9	2,659.43	2,809.11
(ii) Intangible assets			
(iii) Capital Work in Progress		-	76.96
(b) Non-Current Investments			
(c) Deferred Tax Assets (Net)	22	305.25	245.18
(d) Long-Term Loans and Advances			
(e) Other Non-Current Assets	23	19.63	19.85
		<b>2,984.31</b>	<b>3,151.10</b>
<b>2 Current Assets</b>			
(a) Current Investments			
(b) Inventories	10	3,491.15	7,243.82
(c) Trade Receivables	11	9,761.02	6,978.70
(d) Cash and Cash Equivalents	12	2,773.84	1,442.90
(e) Short-Term Loans and Advances	13	16,192.71	11,589.75
(f) Other Current Assets	14	112.95	120.35
		<b>32,331.67</b>	<b>27,355.52</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35,315.98</b>	<b>30,596.62</b>
Summary of significant accounting policies are as per Note No. 24. The accompanying notes are an integral part of the standalone financial statements	24		



Sd/-  
Rakesh Mamnani  
Company Secretary  
M.No. F8834

Sd/-  
Hari Mohan Sharma  
Sr. Manager (Fin.)

Sd/-  
Mahendra Kumar Sharma  
General Manager

Sd/-  
Om Singh Rathore  
Director  
DIN No. 10984439

Sd/-  
Chinmayee Gopal  
Managing Director  
DIN No. 08411651

Sd/-  
Manju Rajpal  
Chairman  
DIN No. 07825977

As per our separate report of even date annexed hereto,  
For Dhoot & Associates  
Chartered Accountants  
FRN No. 002145C

Place : Jaipur  
Date : 31.12.2025

UDIN :26400831TMLDMS1995

Sd/-  
CA Dikshant Sogani  
M.No. 400831

## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

STANDALONE PROFIT &amp; LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2025

(Amount in ₹ Lakhs)

	Particulars	Note No.	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
A I	Revenue From Operations (Net)	15	36,770.98	23,024.89
II	Other Income	16	324.73	380.12
III	<b>TOTAL INCOME (I+II)</b>		<b>37,095.69</b>	<b>23,405.01</b>
IV	<b>Expenses</b>			
	(a) Cost of Material Consumed		-	-
	(b) Purchase of Stock-in-Trade	17A	22,858.75	16,232.36
	(c) Changes in Inventories of Finish Goods, Work in progress and Stock-in-Trade	17B	3,871.02	-1,419.02
	(d) Employee Benefits Expenses	18	1,406.16	1,522.99
	(e) Finance Cost	19	608.69	316.71
	(f) CSR Expenses	20	40.01	34.51
	(g) Depreciation and Amortisation Expenses	9	190.40	210.26
	(h) Other Expenses	21	5,370.26	4,317.33
	<b>TOTAL EXPENSES</b>		<b>34,346.21</b>	<b>21,214.25</b>
V	<b>Earnings Before Exceptional &amp; Extraordinary Items, Tax (EBIT) (III - IV)</b>		<b>2,749.49</b>	<b>2,190.76</b>
VI	Exceptional Items		-	-
VII	<b>Profit / (Loss) Before Extraordinary Items and Tax (V - VI)</b>		<b>2,749.49</b>	<b>2,190.76</b>
VIII	Extraordinary items		-	-
IX	<b>Profit before Prior Period Items and Tax (VII - VIII)</b>		<b>2,749.49</b>	<b>2,190.76</b>
X	Prior Period Income/(Expense)	19 (II)	44.72	17.29
XI	<b>Profit / (Loss) before Tax (IX - X)</b>		<b>2,794.21</b>	<b>2,208.04</b>
XII	<b>Tax Expense:</b>			
	(a) Current Tax		820.00	585.00
	(b) Prior Period Income Tax		2.74	-
	(c) Deferred tax Liability/(Asset)	22	-80.07	16.55
XIII	<b>Profit / (Loss) for the period from continuing operations (XI - XII)</b>		<b>2,031.54</b>	<b>1,608.49</b>
B.XIV	<b>DISCONTINUING OPERATIONS</b>			
(i)	Profit / (Loss) from Discontinuing Operations (Before Tax)		-	-
(ii)	Gain / (Loss) on Disposal of Assets / Settlement of Liabilities Attributable to the Discontinuing Operations		-	-
(iii)	Add / (Less): Tax Expense of Discontinuing Operations		-	-
	(a) On Ordinary Activities Attributable to the Discontinuing Operations		-	-
	(b) On gain / (loss) on Disposal of Assets / Settlement of Liabilities		-	-
XV	<b>Profit / (Loss) from Discontinuing Operations (XIV(i) ± XIV(ii) ± XIV(iii))</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL OPERATIONS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
XVI	<b>Profit / (Loss) for the Year (XIII - XV)</b>		<b>2,031.54</b>	<b>1,608.49</b>
C.	<b>Earnings per share (in Rs.):</b>			
(a)	Basic			
	Continuing operations		267.32	211.39
	Total operations		267.32	211.39
(b)	Diluted			
	Continuing operations		267.32	211.39
	Total operations		267.32	211.39
XVII	<b>Earnings per share (excluding extraordinary items) (in Rs.):</b>			
(a)	Basic			
	Continuing operations		267.32	211.39
	Total operations		267.32	211.39
(b)	Diluted			
	Continuing operations		267.32	211.39
	Total operations		267.32	211.39
	Summary of significant accounting policies are as per Note No. 24	24		
	The accompanying notes are an integral part of the standalone financial statements			

Sd/-  
Rakesh Mamnani  
Company Secretary  
M.No. F8834

Sd/-  
Hari Mohan Sharma  
Sr. Manager (Fin.)

Sd/-  
Mahendra Kumar Sharma  
General Manager

Sd/-  
Om Singh Rathore  
Director  
DIN No. 10984439

Sd/-  
Chinmayee Gopal  
Managing Director  
DIN No. 08411651

Sd/-  
Manju Rajpal  
Chairman  
DIN No. 07825977

Place : Jaipur  
Date : 31.12.2025

UDIN :2640083ITMLDMS1995



As per our separate report of even date annexed hereto,  
For Dhoot & Associates  
Chartered Accountants  
FRN No. 002145C

Sd/-  
CA Dikshant Sogani  
M.No. 400831

## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Amount in ₹ Lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
<b>A. (A) CASH FLOW FROM(USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>		
Net Profit(Loss) before Tax	2,794.21	2,208.04
Adjustments for :		
Depreciation	190.40	210.28
Excess Income Tax Provision/Demand related to previous year	-	-
Depreciation/Amortization adjustments related to previous year	-	-
Interest Income	-2.04	-23.38
Interest & Finance Charges	608.69	316.71
Provision for Bad debts	235.37	60.57
Income relating to earlier years	-	-
<b>Operating Profit before working capital changes</b>	<b>3,826.63</b>	<b>3,779.21</b>
Movement in Working Capital:-		
(Increase)/ Decrease in Sundry Debtors	-3,060.60	-2,093.49
(Increase)/ Decrease in Inventories	3,752.67	-828.39
(Increase)/ Decrease in Loans & Advances	-4,572.65	-3,321.14
Increase/(Decrease) in Trade and Other Payables & Provisions	2,366.08	246.76
<b>Cash from/(used in) Operating Activities</b>	<b>2,312.11</b>	<b>-3,226.85</b>
Taxes Paid & Adjustment	334.73	-
<b>NET CASH FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>	<b>1,977.38</b>	<b>-3,226.85</b>
<b>B. (B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Acquisition of Property, Plant and Equipment	-40.71	-36.05
Increase/ (Decrease) in Non Current Assets	77.18	0.03
Increase/ (Decrease) in Non Current liabilities	-0.35	-53.39
Interest Received	2.04	23.39
<b>NET CASH FROM/ (USED IN) INVESTING ACTIVITIES</b>	<b>38.15</b>	<b>-64.82</b>
<b>C. (C) CASH FLOW FROM/ (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>		
Proceeds from Share Capital	0.01	-
Dividend paid	-75.90	-77.10
Interest paid	-608.69	-316.71
<b>NET CASH FROM/ (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>	<b>-684.58</b>	<b>-393.81</b>
<b>Net Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)</b>	<b>1,330.94</b>	<b>-3,683.89</b>
<b>Opening Cash and Cash equivalents</b>	<b>1,442.90</b>	<b>5,126.79</b>
<b>Closing Cash and Cash equivalents</b>	<b>2,773.84</b>	<b>1,442.90</b>

**Note:** Cash and Cash equivalents include Rs. 7.92 Lakhs (previous year Rs. 7.89 Lakhs) on account of unclaimed dividend, and Rs. 0.99 Lakhs (previous year Rs. 0.99 Lakhs) on account of collection a/c which are not available for use by the company.

**Notes to the Cash Flow Statement**

Particulars	(Amount in ₹ Lakhs) Current Year	(Amount in ₹ Lakhs) Previous Year
<b>I. Components of cash and cash equivalents</b>		
Cash on hand	0.10	0.34
Remittance in Transit	-	450.00
Balances with banks:		
In current and cash credit accounts	2,773.65	392.56
Fixed Deposits with banks	-	600.00
Personal Deposit Account	-	-
<b>As per the Balance Sheet</b>	<b>2,773.84</b>	<b>1,442.90</b>

2. Cash flows of continuing and discontinuing operations are:	Continuing Operations	Continuing Operations	Discontinuing Operations	
	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024
Net cash from / (used in) operating activities	1,977.38	(3,226.85)	-	-
Net cash from / (used in) investing activities	38.15	(64.82)	-	-
Net cash from / (used in) financing activities	-684.58	-393.81	-	-
<b>(Figures in brackets represents outflow)</b>	<b>1,330.94</b>	<b>(3,683.89)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Summary of significant accounting policies are as per Note No. 1

The accompanying notes are an integral part of the standalone financial statements

Sd/-  
Rakesh Mamnani  
Company Secretary  
M.No. F8834

Sd/-  
Hari Mohan Sharma  
Sr. Manager (Fin.)

Sd/-  
Mahendra Kumar Sharma  
General Manager

Sd/-  
Om Singh Rathore  
Director  
DIN No. 10984439

Sd/-  
Chinmayee Gopal  
Managing Director  
DIN No. 08411651

Sd/-  
Manju Rajpal  
Chairman  
DIN No. 07825977

Place : Jaipur  
Date : 31.12.2025

UDIN :2640083ITMLDMS1995



As per our separate report of even date annexed hereto,  
For Dhoot & Associates  
Chartered Accountants  
FRN No. 002145C

Sd/-  
CA Dikshant Sogani  
M.No. 400831

**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csraajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2025

## Note 1 Share capital

					₹ in Lakhs
	PARTICULARS	OPENING BALANCE	ADDITIONS	DEDUCTIONS	CLOSING BALANCE
	<b>AUTHORISED SHARE CAPITAL</b>				
	3900000 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	3900.00	-	-	3900.00
	100000 PREFERENCE SHARES OF RS. 100 EACH.	100.00	-	-	100.00
	<b>ISSUED SHARE CAPITAL</b>				
	849543 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	849.54	-	-	849.54
	<b>SUBSCRIBED AND FULLY PAID-UP CAPITAL</b>				
	759981 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	759.98	-	-	759.98
Less:	CALLS UNPAID*	0.00	-	0.01	0.00
Less:	FORFEITED SHARES	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>759.28</b>	<b>-</b>	<b>0.01</b>	<b>759.30</b>

\* Calls Unpaid on 882 (Previous Year 870) Equity Shares.

## A) Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period

TYPE OF SHARES	As on 31 March 2025		As on 31 March 2024	
	NO. OF SHARES	₹ in Lakhs	NO. OF SHARES	₹ in Lakhs
<b>Equity shares</b>				
Shares outstanding at the beginning of the period	7,59,976.00	759.98	7,59,976.00	759.98
Shares issued during the period	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the period	7,59,976.00	759.98	7,59,976.00	759.98
<b>Preference Shares</b>				
Shares outstanding at the beginning of the period	-	-	-	-
Shares redeemed during the period	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the period	-	-	-	-

## B) Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

The name of the shareholder's holding more than 5% shares as on the balance sheet date is given below:

Sr No.	Name of the shareholder	As at 31st March 2025		As at 31st March 2024	
		No. of shares held	% Of shares held	No. of shares held	% Of shares held
1	GOVERNOR OF RAJASTHAN STATE	6,33,900.00	83.37%	6,33,000.00	83.37%
2	NATIONAL SEEDS CORPORATION OF INDIA LIMITED	1,13,830.00	15.00%	1,13,830.00	15.00%
	<b>Total</b>	<b>7,46,730.00</b>	<b>98.37%</b>	<b>7,46,830.00</b>	<b>98.37%</b>

## (III) LISTS OF SHARES HELD BY PROMOTERS

Sr No.	Name of the Promoter	No. of shares held	% Of shares held	% of Change During the Year
1	GOVERNOR OF RAJASTHAN STATE	6,33,000.00	83.37%	-
2	NATIONAL SEEDS CORPORATION OF INDIA LIMITED	1,13,830.00	15.00%	-
	<b>Total</b>	<b>7,46,830.00</b>	<b>98.37%</b>	-

## (IV) RIGHT AND RESTRICTION ON EQUITY SHARES

Right and restriction on Equity Shares The Company has only one class of Equity Shares having a face value of ₹100/- per share which are issued and subscribed. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the share holders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of the winding up of the Company, the holder of equity shares will be entitled to receive the remaining assets of the Company in proportion to the number of equity shares held by the shareholders and the amount paid up thereon.



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2025

**Note 2 Reserves and Surplus**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
<b>(a) Capital Reserve</b>		
Opening Balance	0.45	0.45
Add: Additions During the Year	-	-
Less: Utilised / Transferred During The Year	-	-
Closing Balance	0.45	0.45
<b>(b) General Reserve</b>		
Opening Balance	0.17	0.17
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit and Loss	-	-
Less: Utilised / Transferred During the Year for:	-	-
Issuing Bonus Shares	-	-
Others	-	-
Closing Balance	0.17	0.17
<b>(c) Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss</b>		
Opening Balance	18,218.89	16,888.33
Add: Profit / (Loss) for the Year	2,031.54	1,606.49
Less: Income Tax Demand For Earlier Years	-	-
Add: Income Tax Refund/ Excess Provision Return Back For Earlier Years	-	-
Less : Dividends Proposed to be Distributed to Equity Shareholders	75.93	75.93
Closing Balance	20,174.48	18,218.89
<b>Total</b>	<b>20,175.10</b>	<b>18,219.51</b>

**Note 3 Other Long-Term Liabilities**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Deposit of Agriculture Department	18.14	18.14
(ii) Revolving Fund For Drought Prone Area	260.00	260.00
(iii) Revolving Fund for Seed Bank	8.62	8.62
(iv) Sundry Creditors for Goods (Under Litigation)	1,613.85	1,613.85
(v) Interest Payable Against AG para	10.97	10.97
(vi) Sundry Creditors for others	0.54	0.54
<b>Total</b>	<b>1,912.12</b>	<b>1,912.12</b>

**Note 4 Long-Term Provisions**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
<b>(a) Provision for Employee Benefits:</b>		
(i) Provision for Group Gratuity Scheme	-	0.35
(ii) Provision for Leave Encashment	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>0.35</b>



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

**Note 5 Short-Term Borrowings** Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2025

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Cash Credit	-	-
<b>Primary Security</b> :- Hypothecation of entire current assets, present and future comprising of Inventories & Receivables.		
<b>Collateral Security</b> :- Hypothecation of plant & Machinery of Rs. 3.69 crore.		
<b>Total</b>	-	-

**Note 6 Trade Payables**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(A) Total Outstanding Dues of Micro & Small Enterprises	-	-
(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	-	-
Payables for expenses/purchases O/s due to Micro, Small and Medium Enterprise		
<b>Other Trade Payable</b>		
Trade payables (Sundry Creditors)	3,150.55	1,658.51
<b>Total</b>	3,150.55	1,658.51

Refer Ageing at Note No. (41)B

**Note 7 Other Current Liabilities**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Unpaid Dividends	7.92	7.89
(ii) Other Payables		
(i) Sundry Creditors For Expenses	1,015.57	512.82
(ii) Sundry Creditors for Others	767.81	736.44
(iii) Sundry Creditors for Capital Goods	20.21	21.41
(iv) Outstanding Liabilities	570.89	696.80
(v) Subsidy Advance	249.67	249.67
(vi) Subsidy Refundable to Govt.	1,084.02	1,067.10
(vii) Subsidy under Central Sector Scheme	-	-
(viii) Advances from Customers Against Seed & Others	14.79	14.79
(ix) Seed Growers having Credit Balances	186.81	369.92
(x) Sundry Debtors having Credit Balance	1,181.24	754.58
(xi) Security Deposits Dealers, Suppliers, Contractors & Wholesellers	1,030.17	824.13
(xii) Provision for EMD & Security Deposit	-	-
(xiii) Infrastructure Development Subsidy (GOI)	1,694.25	1,694.25
(xiv) Advances to Employees	-	-
Unsecured, Considered Good	8.29	8.78
<b>Total</b>	7,831.63	6,960.58

**Note 8 Short-Term Provisions**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Provision :		
(i) Provision for Income Tax	1,405.00	917.00
(ii) Provision for Proposed Equity Dividend	75.93	75.93
(iii) Provision for CSR	6.35	3.36
<b>Total</b>	1,487.28	996.29



RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED  
 Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Jaanspath Jaipur-302005  
 CIN NO. U75132 RJ 1978 SCC 001781  
 www.rsjseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514  
**PROPERTY PLANTS AND EQUIPMENTS**

**Note 9**

Sr. No.	Particulars	GROSS BLOCK			DEPRECIATION / AMORTIZATION				NET BLOCK			
		As at April 1, 2024	Addition during the year	Dedu(Adj) during the year	As at March 31, 2025	Upto March 31, 2024	For the year	Dedu(Adj) during the year	Effect on Dep. as per Co. Act, 2013	Upto March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	<b>PROPERTY PLANTS &amp; EQUIPMENTS</b>											
1	FRESHOLD LAND	28.42	-	-	28.42	-	-	-	-	-	28.42	28.42
2	LEASEHOLD	269.14	-	-	269.14	-	-	-	-	-	269.14	269.14
3	PROCESSING BUILDINGS	1,485.70	-	-	1,485.70	828.86	61.01	-	-	887.87	507.83	658.84
4	PLANT AND EQUIPMENTS	1,403.64	6.38	-	1,410.02	1,180.98	30.29	-	-	1,211.28	198.74	222.85
5	FURNITURE & FIXTURES	171.45	8.07	-	179.52	141.94	0.29	-	-	148.22	31.30	29.51
6	OTHER VEHICLES	7.93	-	-	7.93	7.54	-	-	-	7.54	0.39	0.39
7	OFFICE EQUIPMENT	52.19	0.41	-	52.59	47.84	0.86	-	-	48.81	3.80	4.35
8	GOODOWN	2,031.26	-	-	2,031.26	894.85	50.27	-	-	950.12	1,081.14	1,136.41
9	STAFF QUARTER	82.33	-	-	82.33	58.21	1.17	-	-	59.38	22.96	24.12
10	STEEL CRATES	1,072.17	-	-	1,072.17	973.59	9.48	-	-	983.08	89.11	96.58
11	COMPUTER	78.62	14.42	-	93.04	67.53	7.80	-	-	75.33	17.71	11.09
12	MOTOR CAR	76.35	11.44	-	87.79	71.74	2.54	-	-	74.28	13.51	4.61
13	OFFICE BUILDING	537.72	-	-	537.72	226.08	15.16	-	-	241.24	288.48	311.84
14	ADMINISTRATIVE BUILDING	83.54	-	-	83.54	44.19	0.46	-	-	44.64	8.90	9.35
15	WELL AT FARM	2.26	-	-	2.26	2.26	-	-	-	2.26	0.00	0.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>7,352.72</b>	<b>48.71</b>	<b>-</b>	<b>7,383.43</b>	<b>4,543.66</b>	<b>190.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,734.02</b>	<b>2,889.43</b>	<b>2,809.11</b>
	<b>CWIP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.96</b>
	<b>PREVIOUS YEAR TOTAL</b>	<b>7,316.67</b>	<b>36.05</b>	<b>-</b>	<b>7,352.72</b>	<b>4,333.94</b>	<b>210.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,543.62</b>	<b>2,809.11</b>	<b>2,983.33</b>



RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED  
Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005  
CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

**Note 9 Property Plants & Equipments (contd.)**

Particulars			
Particulars	Figures As At 31.03.2025	Figures As At 31.03.2024	
<b>Depreciation and amortisation relating to continuing operations:</b>			
Depreciation and amortisation for the year on tangible assets as per Note 9	190.40	210.26	
<b>Depreciation and amortisation relating to continuing operations</b>	<b>190.40</b>	<b>210.26</b>	

**Note 10 Inventories**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Certified Seed	1,011.73	4,121.78
(b) Foundation & Breeder Seed	196.22	420.35
(c) Undersize & Rejected Seed	338.76	936.92
(d) Raw Seed and Graded Seed	73.61	11.65
(e) Processing, Chemical & Packing Material	1,870.83	1,751.58
(f) Stock in Transit	-	1.55
<b>Total</b>	<b>3,491.15</b>	<b>7,243.82</b>

**Note 11 Trade Receivables**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
<b>I. (a) Undisputed Trade Receivable</b>		
(i) Considered good	11,290.74	8,230.14
(ii) Which have significant increase in credit risk and considered doubtful		
(iii) Credit impaired		
<b>(b) Disputed Trade Receivable</b>		
(i) Considered good		
(ii) Which have significant increase in credit risk and considered doubtful		
(iii) Credit impaired		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>11,290.74</b>	<b>8,230.14</b>
<b>(II) Provision for doubtful receivables</b>	<b>1529.72</b>	<b>1,251.44</b>
<b>TOTAL (I-II)</b>	<b>9,761.02</b>	<b>6,978.70</b>

Refer Ageing at Note No. (41)C

**Note 12 Cash and Cash Equivalents**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Cash in Hand	0.19	0.34
(b) Balances with schedule Banks		
(i) In Current Accounts	1,796.46	141.20
(ii) In Cash Credit Limit Account	968.26	242.48
(iii) In Collection Account	0.99	0.99
(c) FDR maturing within 12 months	-	600.00
(d) In Earmarked Accounts		
- Unpaid Dividend Accounts	7.92	7.89
(e) Remittance in Transit	-	450.00
<b>Total</b>	<b>2,773.84</b>	<b>1,442.90</b>

(ii) Balances with banks-other earmarked accounts include Rs. 7.92 Lakhs (As at 31 March, 2024 Rs. 7.89 Lakhs) Which have restriction on repatriation.

**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2025

**Note 13 Short-Term Loans and Advances**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Advance to Seed Growers	7,310.72	4,781.50
Less: Provision for Advances	64.55	107.48
	<b>7,246.17</b>	<b>4,674.04</b>
(b) Prepaid Expenses - Unsecured, Considered Good	71.89	20.14
	<b>71.89</b>	<b>20.14</b>
(c) Balances with Government Authorities Unsecured, Considered Good		
(i) Subsidy Recoverable from Government	7,336.07	5,698.16
(ii) Advance Income Tax	1,136.81	793.98
(iii) T.D.S.	25.45	25.75
(iv) Deposit Under Litigation	8.12	8.87
(v) Income tax recoverable	139.00	135.45
	<b>8,646.45</b>	<b>6,662.20</b>
(d) Sundry Creditors having Debit Balances Unsecured, Considered Good	28.84	30.89
Less: Provision	6.82	6.82
	<b>22.02</b>	<b>24.07</b>
(e) Others Advances/ Recoverable Unsecured, Considered Good	206.18	189.30
<b>Total</b>	<b>16,192.71</b>	<b>11,569.75</b>

**Note 14 Other Current Assets**

Particulars	Figures as at March 31, 2025	Figures as at March 31, 2024
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Accrued But not Received On FDR	0.08	2.19
(b) Accrued Farm Income/Other Income	112.87	118.16
<b>Total</b>	<b>112.95</b>	<b>120.35</b>

**Note 15 Revenue from Operations**

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Sale of Products:		
(i) Certified Seeds	29,529.05	18,098.19
(ii) Foundation & Breeder Seed	1,862.72	1,349.17
(iii) Cotton Lint	0.00	-
(iv) Auction Sale	2,221.70	1,017.12
(v) Marketing & NFSM Subsidy	3,137.50	2,560.42
<b>Total</b>	<b>36,770.96</b>	<b>23,024.89</b>



## RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2025

## Note 16 Other Income

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Income (Refer Note (i) below)	2.04	25.38
(b) Other Non-Operating Income (Refer Note (ii) below)	322.68	354.73
<b>Total</b>	<b>324.73</b>	<b>380.12</b>

## Note (i) - Interest Income

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Interest Income Comprises:		
Interest from Banks on:		
Bank FDR's Accounts	1.35	21.68
Other Interest	0.69	3.80
<b>Total</b>	<b>2.04</b>	<b>25.38</b>

## Note (ii) - Other Non-Operating Income

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Other Non-Operating Income Comprises:		
Income From Farms	238.00	226.85
Recovery From Penalty	26.84	15.08
Enrollment Fees	0.86	0.34
Other Receipts	15.98	7.97
Reimbursement of Maintenance Seed Bank Subsidy	27.82	100.89
Auction of Processing Material	13.19	3.81
<b>Total</b>	<b>322.68</b>	<b>354.73</b>

## Note 17 A Purchase of Stock-in-Trade

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Certified Seed	24,534.60	17,847.27
Raw Seed	728.41	85.32
Foundation & Breeder Seed	2,712.53	1,767.70
Purchase Expenses	7.52	9.57
Less: Subsidy for Production	(5,124.31)	(3,477.50)
<b>Total</b>	<b>22,858.75</b>	<b>16,232.36</b>

## Note 17 B Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-Trade

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Inventories at the End of the Year:	1,620.32	5,492.24
Inventories at the Beginning of the Year:	5,492.24	4,073.22
<b>Net (Increase) / Decrease</b>	<b>3,871.92</b>	<b>(1,419.02)</b>



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2025

**Note 18 Employee Benefit Expenses**

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Salary & Allowances	1,224.94	1,255.57
Pension Contribution	24.61	33.80
Medical Expenses	0.01	0.01
Contribution to Medical Relief Fund	7.88	8.40
Liveries Expenses	0.08	0.25
LIC Goup Gratuity Plan	7.50	24.24
Employers Contribution to PF	100.86	105.10
Leave Encashment	13.20	79.43
EX Gratia to Staff	8.93	5.43
Staff Welfare	16.13	9.86
Incentive to Staff	2.01	-
<b>Total</b>	<b>1,406.16</b>	<b>1,522.09</b>

**Note 19 Finance Cost**

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Expense on:		
(i) Borrowings - CC Limit	608.69	316.71
<b>Total</b>	<b>608.69</b>	<b>316.71</b>

**Note 19 (ii) Prior Period (Income) / Expense**

Prior Period Expenses (A)		
(i) H&T	4.74	-
(ii) Advertisements	-	2.71
(iii) Payment to Labour Contract	-	16.14
(iv) Petrol/Diesel Exp.	-	0.40
(v) R&M of Vehicle	-	0.16
(vi) Printing & Stationary	-	4.49
<b>Total (A)</b>	<b>4.74</b>	<b>23.91</b>
Prior Period Income (B)		
(i) Excess Provision Written Back	49.46	41.20
<b>Total (B)</b>	<b>49.46</b>	<b>41.20</b>
<b>Net (A-B)</b>	<b>(44.72)</b>	<b>(17.29)</b>



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

www.rajsseeds.org, e-mail- csrajsseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2025

**Note 20 Other expenses**

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Contribution to CSR	40.01	34.51
<b>Total</b>	<b>40.01</b>	<b>34.51</b>
Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Payments/Provisions for Statutory Auditors		
Statutory Audit Fees	1.60	1.30
Tax Audit Fees	0.65	0.65
GST & T. A. to Statutory Auditors	0.40	1.06
<b>Total</b>	<b>2.65</b>	<b>3.01</b>

**Note 21 Other expenses**

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Wages to Labour & Labour Contractor	680.48	680.60
Processing & Ginning	89.67	94.18
Consumption of Packing & Processing Materials	1,493.82	1,867.49
Running & Maintenance of Plant	66.92	40.62
Testing & Certification charges	265.88	201.88
Power and Water	95.78	85.50
Farm Expenses	5.38	0.05
Travelling Expenses (Including Director Exp & Sitting Fees)	29.21	36.48
Postage Telegram & Telephones	6.35	10.89
Advertisement	93.72	46.19
Insurance	19.10	2.20
Books & Periodicals	0.56	0.82
Rent, Rates and taxes	30.87	30.23
Entertainment	10.98	6.49
Payment to Statutory Auditors (Reff Note Below)	2.65	3.01
Filing Fees	2.17	3.46
Printing and stationery	37.45	49.50
Electricity and Water	4.88	10.38
Repairs & Maintenance others	92.79	55.61
Repairs & Maintenance vehicles	70.59	72.61
A.G.M. & Other Meeting Expenses	6.27	7.85
Office Expenses	19.88	25.62
Contribution to State Renewal fund	15.19	15.19
Security Guard Expenses	311.71	277.61
Internal Audit fees	3.75	3.97
Legal and Professional	49.42	45.38
Payment to Contractor (operator/ Driver/Ast.)	125.75	102.41
Handling & Transportation of Seed	884.74	470.24
Storage Charges	130.32	122.29
Promotion & Publicity Expenses	30.11	83.01
Compensation	0.00	1.05
Bank Charges	1.08	4.00
Donation to CMRF		-
Provision for Doubtful Trade & Other Receivables, Loans & Advances (net)	235.37	60.57
Bad Debts Written Off	457.35	
<b>Total</b>	<b>5,370.28</b>	<b>4,317.33</b>



**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 901781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2217665, 2227514

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2025

**Note 22 Deferred Tax (Liability) / Asset**

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Net Deferred Tax (Liability) / Asset at the beginning of year	245.18	261.73
<b>Add/Less: deferred tax effect during the year</b>		
<b>Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability</b>		
On Difference Between Book Balance and Tax Balance of Fixed Assets	(43.92)	(47.48)
On Expenditure Deferred in the Books but Allowable for Tax Purposes		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability @29.12%	(12.79)	(13.82)
<b>Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Assets</b>		
Provision for Compensated Absences, Gratuity and Other Employee Benefits	14.83	(69.93)
Provision for Doubtful Debts / Advances	235.37	60.57
Disallowances under Section 40(a)(i), 43B of the Income Tax Act, 1961		
On Difference Between Book Balance and Tax Balance of Fixed Assets		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Assets	72.86	(2.72)
<b>Net Deferred Tax (Liability) / Asset at the end of Year</b>	<b>305.25</b>	<b>245.18</b>
<b>Total Reversal of Deferred Tax Assets</b>	<b>60.07</b>	<b>(16.55)</b>

**Note 23 Other Non-Current Assets**

Particulars	Figures for the current reporting period 2024-25	Figures for the Previous reporting period 2023-24
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Subsidy Recoverable From Government	2.17	2.17
Security Deposits with Government	17.46	17.67
<b>Total</b>	<b>19.63</b>	<b>19.85</b>



**Note "24" Significant Accounting Policies & Notes on Accounts**

**FY-2024-2025**

**A. COMPANY INFORMATION:-**

Government of India with the aim of increasing the agricultural production incorporated National Seed Corporation Ltd with the help of World Bank's International Development Agency and under its second phase "Rajasthan State Seeds Corporation Limited was incorporated on dated 28th March, 1978 under The Companies Act, 1956 as a Public Limited Company with the joint holding of Central Government, Government of Rajasthan and Local Farmers. After receiving the Commencement of Business Certificate, the Company started its business operation with effect from 26th May, 1978. The Corporate Identification Number of our Company is U75132RJ1978SGC001781. The Central Government, Govt. of Rajasthan and the Local Farmers are the initial subscribers of the company.

**B. ACCOUNTING POLICIES:-**

- (1) **Basis of Preparation of Financial Statements:** -The financial statements of the Corporation have been prepared under the historical cost convention on accrual basis of accounting in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 including Accounting Standards notified there under.
- (2) **Use of Estimates:-**The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles which requires the management to make estimates and assumptions that affect the income and expenditure during the reporting period and the assets and liabilities including contingent liabilities at the date of financial statements. The differences between actual results and estimates are recognized in the period in which results are known.
- (3) **Property Plant & Equipment:** - Property, Plant and Equipment (other than land acquired free from State Government) are carried at the cost of acquisition or construction or book value less accumulated depreciation and impairment, if any.
- (4) **Borrowing Costs:** -Corporations availing working capital limit from bank. Borrowing Costs are recognized as expense in the period in which these are incurred.
- (5) **Inventories:-**
  - (a) **Seeds:-**



- 1) Certified and Foundation Seeds are valued on the basis of status report (fit/ unfit) determined on 30<sup>th</sup> June of next financial year at prime cost or market price whichever is lower.

**Calculation of Prime Cost –**

- a) **In case of Own Production of Seeds** - Prime Cost comprises of purchase price plus processing overheads fixed by the Board of Directors of the Corporation once in every 3 years.

- b) **In case of Purchase of Seeds from Direct/Private Suppliers-** Prime Cost comprises purchase price and packing material plus 3% as purchase expenses.
- c) **In cases where segregation of stock in Own Production & Direct Purchase is not possible** - Prime Cost is arrived on average of both above (a) and (b)
- (ii) Breeder seeds have been valued at Purchase Cost reduced by subsidy if any or market price whichever is lower. As per Production Policy of the Corporation Breeder Seed is not to be sold in open market, therefore Market Price for this valuation is determined as per policy of the Corporation?
- (iii) Raw seeds have been valued at their procurement price.
- (iii) Rejected Seeds are valued at estimated realisable value which is arrived at 85% of Mandi Rates of Grain of respective Mandias decided by the management
- (iv) Undersized seeds are valued at estimated realisable value which is arrived at 60% of Mandi Rates of Grain of respective Mandias decided by the management
- (v) Cotton seeds including certified, foundation and raw seeds are valued at cost or at net realisable value, whichever is lower and in case of cotton lint (a by- product) are valued at estimated cost.
- (b) Packing & Processing Material are valued at cost except for used/rejected material which is not valued as its realisable value/cost will be known only at the time of its disposal.
- (c) The units are in a practice of maintaining stock records in a manual register only
- (d) Due to peculiar nature of the business Net Realizable Value cannot be determined hence Market Price as per policy of the corporation has been considered for Stock valuation purposes.
- (e) Stock/Inventories remained uninsured at the date of balance sheet.
- (6) **Depreciation:-**
- a) Depreciation has been charged on Property Plant & Equipment as per the provisions of Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013 based on useful life and residual value on Single shift basis.
- b) During the year few processing plants have operated in double shifts for few number of days. This is done for grading of seeds as per time bound production programme. However, the Corporation has charged depreciation on these processing plants at the rate applicable to single shift basis only.
- c) Depreciation on the assets added/disposed of during the year is provided on pro-rata basis with reference to the actual date of installation and being put to use/disposal during the year. Date put to use means the day on which assets is acquired and put to use.
- d) Assets having value of less than Rs 5000/- individually have been depreciated fully in the year of purchase. This policy is being followed from various last previous years.
- (7) **Revenue Recognition:-**
- a) Sale of all kinds of Seeds have been accounted for after deducting/netting there from the amount of GST, Mandi Tax, Trade Discount, etc.



- b) Centrally Sponsored Scheme (CSS) Subsidy: - Subsidy on Sale of Certified Seed is recoverable in the ratio of 60%: 40% from Central Government & State Government respectively. This subsidy has been included as a part of Sale of Certified Seed.
- c) Marketing and NFSM subsidy receivable from the Department of Agriculture has been considered as a part of sale/revenue.
- d) Subsidy on Production receivable from the Department of Agriculture has been reduced from Purchases.

**(8) Purchase:-**

- a) Production of Seed undertaken as per production plan is accounted when certified germination reports from Seed testing Laboratories (STL) has been received and other related formalities in respect thereof are completed. Cost of Purchase is accounted for as per the approved Purchase Policy of the Corporation.
- b) Advances given to seed Growers/Producers against seeds delivered at plant are adjusted after purchases is recognized/accounted for.
- c) Direct purchases of seeds is accounted on receipt of seeds by the Company.
- d) A raw seed (seasonal procurement) is accounted for receipts by the Corporation as decided by the Board of Directors for respective Seasons. Dhencha, Til and Maize Seeds are purchased on Raw Basis.

**(9) Consumption of the Packing and Processing Materials:-**

- (a) Consumption of the packing and processing materials is booked on the basis of actual consumption as per Stock Registers.
- (b) Stores & Spares are treated as consumed & charged in Profit & Loss Account in the year in which they are purchased.

(10) The adjustment of disputes, if any, in respect of sales/purchases prices are accounted for in the year in which they are settled.

**(11) Employee Benefit:-****(a) Gratuity:-**

The Corporation has created a Trust to Administer the Gratuity Payment. The Trust in turn has taken Group Gratuity Cash Accumulation Scheme Policy in the year 2008-09 in place of Group Gratuity cum Assurance Policy covering the eligible employees with the Life Insurance Corporation of India. Premium paid by the Corporation to Life Insurance Corporation of India is recognised as Expenditure. Gratuity Payment to respective employee is managed by Trust.

**(b) Leave Encashment:-**

The Corporation has taken Leave Encashment -cum- Assurance Policy covering the eligible employees with the Life Insurance Corporation of India. Premium paid by the Corporation to Life Insurance Corporation of India is recognised as Expenditure.

**(12) Grants in Aid:-**

- (a) Capital Grant-in-Aid received for the purpose of acquiring the specific fixed assets has been



deducted from the original cost of such fixed assets.

- (b) Production subsidy received/receivable from The Director of Agriculture is accounted for as per the actual production obtained from the seed growers during the year.
- (c) Marketing subsidy received /receivable from The Director of Agriculture is accounted for on the basis of actual sales of certified seeds as considered eligible for subsidy after verification done by the concerned Deputy Director (Agriculture), Govt. of Rajasthan.
- (d) Reimbursement of maintenance cost received from Government of India under the Seed Bank Scheme is accounted for in the year of its sanction by The Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- (e) Subsidy received from Director of Agriculture for the purpose of treatment of seeds is accounted for in the year of its receipt.

**(13) Deferred Tax Assets/Liabilities:**

Deferred tax being the difference between tax profit and book profit is accounted for using the tax rates and laws for the time being in force or subsequent enacted law as on the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized to the extent there is a reasonable certainty that those assets shall be realized in future.

**(14) Impairment of Assets: -**

The brought forward amount of assets is reviewed as on each Balance Sheet date. If there is any indication of their impairment based on internal/external factors, such asset is considered as impaired and accounted for accordingly. An impairment loss is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which such asset is identified as impaired.

**(15) Earnings per share:-**

S.No	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Earnings attributable to the equity share holder	Rs.20,31,52,536/-	Rs. 16,06,48,984/-
2	Number of Shares	759976	759976
3	Earnings Per Share	267.32	211.39

**C. Notes on Accounts:**

**(16) Contingent Liabilities as on 31.03.2025 not provided for:**(i) Provision has not been made in respect of below mentioned disputed demands: -

(i) Provision has not been made in respect of below mentioned disputed demands: -



	Particulars	Current Year	Previous year
(a)	Legal cases and others mainly related to dispute raised by daily workers working at different locations, seed growers etc., as pending before appropriate courts/forums	Rs25,56,62,171 /-	Rs. 25,80,59,771/-
(b)	Income Tax (various Assessment Years)	Rs. 1,66,98,220/-	Rs 1,69,44,020/-

- (ii) Litigation of M/s P.R. Enterprises, M/s Dwarka Prasad, M/s J.K. Agrigenetics and M/S GouriShankar Jute Mills Ltd is pending before Hon'ble court and arbitrator respectively. Interest cannot be ascertained at this point of time hence only original demand amount have been taken as contingent liability.
- (iii) Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Accounts as on 31.03.2025 against various grants/subsidy or otherwise are Rs. Nil (Previous year Rs. 76.96 Lakhs.)

**(17) Taxation:-**

In respect of various revenue taxation laws such as VAT, Income Tax, GST the liabilities which are under dispute are disclosed under contingent liability, the same shall be accounted/recognised in books of accounts in the year of their finalization and settlement.

- (18) Truthful Label Seeds and Seeds produced at farm owned by the Corporation and given on lease to farmers on contract basis is also included in Purchase, sale & closing stock of all kinds of certified seeds.
- (19) Income from farms includes Leased Rent and sale of miscellaneous farm produce so obtained.
- (20) Plant & Machinery & Buildings transferred by the State Govt. to the Corporation have been valued on ad-hoc estimated basis. Notional Value and shown in the books of account accordingly. The depreciation on the same has been charged on such cost. The land transferred by the State Government to the Corporation is valued at Nil.
- (21) A sum of Rs. 53.26 lakh has been transferred from Capital Works in Progress to Fixed Assets (Administrative Building) in the year 1989 - 1990, acquisition of such building and the possession of the same has been taken over by the Company. The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Corporation is still pending.

**(21 A) Disclosure with respect to the Title Deed of immovable property not held in the name of the Company:**

Relevant Line Item in the Balance Sheet	Description of item of Property	Gross Carrying Value	Title deeds held in the name of	whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property plant equipment	Land & Building - Administrative Building	Rs. 53.54 Lakhs	State Govt. - Agriculture Dept.	Agency of the Promoter - State Govt.	F.Y. 1989-90	The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Corporation is still pending.

**(22) Related party disclosure:-**

The name of the related parties of the corporation is as under-.



<b>I</b>	<b>Individuals and Key Management personal having substantial interest in the Corporation</b>
<b>A</b>	Sh. Vaibhav Galriya, Chairman (01.04.2024 to 30.09.2024)
<b>B</b>	Sh. Rajan Vishal, chairman (01.10.2024 to 31.03.2025)
<b>C</b>	Smt. Nimisha Gupta, Managing Director (01.04.2024 to 31.03.2025)
<b>D</b>	Sh. Ram Lal Meena, General Manager (01.04.2024 to 31.03.2025)
<b>E</b>	Sh. Man Mohan Meena, Senior Manager (Finance) (01.04.2024 to 20.01.2025)
<b>F</b>	Sh. Hari Mohan Sharma, Senior Manager (Finance) (20.01.2025 To 31.03.2025)
<b>G</b>	Sh. Rakesh Mamnani, Company Secretary (01.04.2024 to 31.03.2025)
<b>I</b>	<b>Relative of Such individual and Key Management personal Key ***</b>
<b>II</b>	<b>Enterprises in which any person described above have substantial interest **</b>

**\*\* No disclosure is required, regarding related party relationship with other state controlled enterprises and transactions with such enterprises as per Para no. 9 of Accounting Standard 18 issued by the ICAI.**

**(23) The details of Transaction with related parties are as follows:-**

Particulars	Individuals and Key Management personal having substantial interest in the Corporation**	Relative of Such individual and Key Management personal Key **	Enterprises in which any person described above have substantial interest **	Total as at 31.03.2025 (Rs.)	Total as at 31.03.2024 (Rs.)
<b>Managerial Remuneration / Salary Including TA</b>					
Chairman	Sh. Dheeraj Gurjar			NIL	15,93,032/-
Chairman	Sh. Vaibhav Galriya			NIL	NIL
Chairman	Sh. Rajan Vishal			NIL	NIL
Managing Director	Sh. Jaswant Singh			NIL	27,61,980/-
Managing Director	Sh. Lalit Kumar			NIL	1,03,405/-
Managing Director	Smt. Nimisha Gupta			30,35,533/-	2,80,881/-
General Manager	Sh.K.C. Meena			NIL	25,11,530/-
General Manager	Sh. Ramlal Meena			31,15,963/-	2,40,736/-
Senior Manager (Finance)	Sh. Man Mohan Meena			17,97,805/-	20,20,789/-
Senior Manager (Finance)	Sh. Hari Mohan Sharma			2,78,749/-	NIL
Company Secretary	Sh. Rakesh Mamnani			16,98,276/-	15,39,608/-
<b>Total</b>				<b>99,26,326/-</b>	<b>1,10,51,961/-</b>



**\*\* No transaction has taken place with key management personal or their relatives other than payment of salary and other dues under contractual obligations.**

**(24) Detail of payments of Remuneration to the Auditors during the year:**

		31.03.2025 (Rs.)	31.03.2024 (Rs.)
1.	Statutory Audit Fee	1,60,000/-	1,30,000/-
2.	Tax Audit Fee	65,000/-	65,000/-
3.	GST and Reimbursement of Expenses	40,500/-	1,05,728/-
	<b>Total</b>	<b>2,65,500/-</b>	<b>3,00,728/-</b>

(25) IDBI has wrongly issued T.D.S. Certificate twice at Rs.53,630/- in the year 1999-2000 which was taken in to accounts, has been shown as Sundry Creditors (others) under the head Current Liabilities.

(26) During the period of financial year 2003-04 to 2008-09 the Corporation did not contribute any fund towards State Renewal Fund as no such demand being raised by Bureau of Public Enterprises. From the Financial Year 2009-2010 BPE has raised demand of 2% of Share Capital or 20.00 Lakh whichever is lower. Hence the Corporation in this respect has made a provision of Rs.15,18,595/- during the year. (Previous Year Rs.15,18,578/-)

(27)(a) The Corporation has taken Leave Encashment-cum-Assurance Policy in the year 2007-08 in respect of leave encashment as retirement benefit covering the eligible employees with Life Insurance Corporation of India. The liability up to year ended 31.03.2025 is Determination by the Life Insurance Corporation details as under -

Leave Encashment			
Particulars	Amount ( Rs.)	Amount ( Rs.)	Amount ( Rs.)
Policy No.	333442	104005517	104003019
<b>Assumptions</b>			
Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%
Salary Escalation	7.00%	7.00%	7.00%
<b>Table Showing changes in present value of obligation as on 31.03.2025</b>			
Present value of obligations as at beginning of year	22201327.00	758127.00	12279348
interest Cost	1609596.00	54964.00	890253
Current Service Cost	250392.00	39305.00	725462
Benefit Paid	(4669572.00)	0.00	(4736)



Actuarial (Gain)/Loss on Obligations	1039648.00	46940.00	1304968
<b>Present value of obligatios as at end of year</b>	20431391.00	899336.00	15195295
<b>Table showing changes in fair value of plan assets as on 31.03.2025</b>	-	-	-
Fair value of plan assets as at beginning of year	21368634.00	712971.00	13286362.41
Expended on plan assets	1619237.03	65156.24	1094706.85
Contribution	2943090.30	133838.28	2379468.97
Benefit Paid	(4669572)	0.00	(4736)
Actuarial (Gain)/Loss on Plan assets	-	-	-
<b>Fair Value of plan assets as at and of year</b>	21261389.68	911965.52	16755802.23
Funded Status	-	-	-
<b>The Amounts to be recognized I the Balance Sheet</b>	-	-	-
Present value of obligations as at end of year	20431391.00	899336.00	15195295.00
Fair Value of Plan Assets as at end of Year	21261389.68	911965.52	16755802.23
Net asset/(liability) Recognized in Balance Sheet	829998.68	12629.52	1560507.23
<b>Expenses Recognized in statement of Profit and Loss</b>	-	-	-
Current Service Cost	250392.00	39305.00	725462.00
Interest Cost	1609596.00	54964.00	890253.00
Return on Plan Assets	(1619237.38)	(65156.24)	(1094706.85)
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the Year	1039648.00	46940.00	1304968.00
Expenses Recognized in Profit and Loss account	1280399.00	76053.00	1825976.00



<b>Leave Encashment 31.03.2024</b>			
<b>Particulars</b>	<b>Amount (Rs.)</b>	<b>Amount (Rs.)</b>	<b>Amount (Rs.)</b>
<b>Policy No.</b>	<b>333442</b>	<b>104005517</b>	<b>104003019</b>
<b>Assumptions</b>			
Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%
Salary Escalation	7.00%	7.00%	7.00%
<b>Table showing changes in present value of obligation as on 31/03/2024</b>			
Present value of obligations as at beginning of year	25,840,585.00	627,293.00	10,544,863.00
Interest Cost	1,873,442.00	45,479.00	764,503.00
Current Service Cost	258,604.00	36,037.00	706,029.00
Benefit Paid	(8,433,379.00)	(58.72)	(313,199.00)
Actuarial (Gain)/Loss on obligations	2,662,075.00	49,377.00	577,152.00
<b>Present value of obligations as at end of year</b>	<b>22,201,327.00</b>	<b>758,127.28</b>	<b>12,279,348.00</b>
<b>Table showing changes in fair value of plan assets as on 31/03/2024</b>			
Fair value of plan assets as at beginning of year	24,105,109.00	545,506.00	8,651,892.78
Expended on plan assets	1,860,005.08	49,435.32	799,234.34
Contribution	3,836,898.92	118,088.40	4,148,434.29
Benefit Paid	(8,433,379.00)	(58.72)	(313,199.00)
Actuarial (Gain)/Loss on plan assets	-	-	-
<b>Fair Value of Plan Assets as at end of year</b>	<b>21,368,634.00</b>	<b>712,971.00</b>	<b>13,286,362.41</b>
Funded status			
<b>The amounts to be recognized in the Balance Sheet</b>			
Present value of obligations as at end of year	22,201,327.00	758,127.00	12,279,348.00
Fair Value of Plan Assets as at end of year	21,368,634.00	712,971.00	13,286,362.41
Net asset/(liability) recognized in Balance Sheet	(832,693.00)	(45,156.00)	1,007,014.41
<b>Expenses Recognized in statement of Profit and Loss</b>			
Current Service Cost	258,604.00	36,037.00	706,029.00
Interest Cost	1,873,442.00	45,479.00	764,503.00
Return on plan assets	(1,860,005.08)	(49,435.32)	(799,234.34)
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	2,662,075.00	49,377.00	577,152.00
Expenses recognized in Profit and Loss account	2,934,116.00	81,458.00	1,248,450.00

- (b) The Corporation has taken Group Gratuity Cash Accumulation Scheme Policy in the year 2008-09 in place of Group Gratuity cum Assurance Policy in respect of Gratuity as retirement benefit covering the eligible employees with Life Insurance Corporation of India. The Liability up to 31.03.2025 as determined by the Life Insurance Corporation as under-

<b>Group Gratuity</b>			
<b>Particulars</b>	<b>Amount ( Rs.)</b>	<b>Amount ( Rs.)</b>	<b>Amount ( Rs.)</b>
<b>Policy No.</b>	<b>104005514</b>	<b>63080</b>	<b>104003020</b>
<b>Assumptions</b>			
Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%
Salary Escalation	7.00%	7.00%	7.00%
<b>Table Showing changes in present value of obligation as on 31.03.2025</b>			
present value of obligations as at beginning of year	695277.00	32295657.00	16624499.00
interest Cost	50408.00	2341435.00	1205276.00
Current Service Cost	64560.00	663539.00	1198678.00
Benefit Paid	0.00	(8419013.00)	(4195)
Actuarial (Gain)/Loss on Obligations	(7959)	(2006869)	353482.00
<b>Present value of obligations as at end of year</b>	<b>802286.00</b>	<b>24874749.00</b>	<b>19377740.00</b>
<b>Table showing changes in fair value of plan assets as on 31.03.2025</b>	-		
Fair value of plan assets as at beginning of year	815725.01	30227046.65	18537326.06
Expended on plan assets	65300.60	1913509.58	1465343.49
Contribution	54819.26	3569164.60	1571427.46
Benefit Paid	0.00	(8419013.00)	(4195.00)
Actuarial (Gain)/Loss on Plan assets	-		
<b>Fair Value of plan assets as at end of year</b>	<b>935844.90</b>	<b>27290707.83</b>	<b>21569902.01</b>
Funded Status	-		
<b>The Amounts to be recognized I the Balance Sheet</b>	-		
Present value of obligations as at end of year	802286.00	24874749.00	19377740.00
Fair Value of Plan Assets as at end of Year	935844.90	27290707.83	21569902.01
Net asset/(liability) Recognized in Balance Sheet	133558.90	2415958.83	2192162.01
<b>Expenses Recognized in statement of Profit and Loss</b>	-		
Current Service Cost	64560.00	663539.00	1198678.00
Interest Cost	50408.00	2341435.00	1205276.00
Return on Plan Assets	(65300.63)	(1913509.58)	(1465343.49)
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the Year	(7959)	(2006869)	353482.00
Expenses Recognized in Profit and Loss account	41708.00	-915405.00	1292093.00

## Group Gratuity 31.03.2024

Particulars	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<b>Policy No.</b>	<b>104005514</b>	<b>63080</b>	<b>104003020</b>
<b>Assumptions</b>			
Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%
Salary Escalation	7.00%	7.00%	7.00%
<b>Table showing changes in present value of obligation as on 31/03/2024</b>			
Present value of obligations as at beginning of year	617,636.00	44,635,680.00	15,318,753.00
Interest Cost	44,779.00	3,236,087.00	1,110,610.00
Current Service Cost	48,507.00	1,060,689.00	1,318,590.00
Benefit Paid	-	(15,985,866.00)	(148,931.00)
Actuarial (Gain)/Loss on obligations	(15,645.00)	(650,933.00)	(974,523.00)
<b>Present value of obligations as at end of year</b>	<b>695,277.00</b>	<b>32,295,657.00</b>	<b>16,624,499.00</b>
<b>Table showing changes in fair value of plan assets as on 31/03/2024</b>			
Fair value of plan assets as at beginning of year	687,125.05	43,404,216.60	13,571,247.24
Expended on plan assets	55,887.21	2,808,696.05	1,154,524.43
Contribution	72,712.75	-	3,960,485.39
Benefit Paid	-	(15,985,866.00)	(148,931.00)
Actuarial (Gain)/Loss on plan assets	-	-	-
<b>Fair Value of Plan Assets as at end of year</b>	<b>815,725.01</b>	<b>30,227,046.65</b>	<b>18,537,326.06</b>
Funded status	120,448.01	30,227,046.65	1,912,827.06
<b>The amounts to be recognized in the Balance Sheet</b>			
Present value of obligations as at end of year	695,270.00	32,295,657.00	16,624,499.00
Fair Value of Plan Assets as at end of year	815,725.01	30,227,046.65	18,537,326.06
Net asset/(liability) recognized in Balance Sheet	120,448.01	(2,068,610.35)	1,912,827.06
<b>Expenses Recognized in statement of Profit and Loss</b>			
Current Service Cost	48,507.00	1,060,689.00	1,318,590.00
Interest Cost	44,779.00	3,236,087.00	1,110,610.00
Return on plan assets	(55,887.21)	(2,808,696.05)	(1,154,524.43)
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	(15,645.00)	(650,933.00)	(974,530.00)
Expenses recognized in Profit and Loss account	21,754.00	837,147.00	300,153.00

- (28) Subsidy received against Farm Development under OPP Scheme and funds received under UNDP Scheme are managed by the Corporation as Nodal agency.
- (29) **Dividend:-**  
Provision for Dividend have been made in the book of account at Rs. 75,92,975/-(Previous Year Rs. 75,92,891/-)
- (30) **Cash and Cash Equivalents:-**
- a) A Sum of Rs. 99,000/-(previous year Rs. 99,000/-) shown under the head "Cash & Bank Balances (Current assets)" which is in respect of the amount transferred by a unit of the Corporation to its Head Office through Bank M.T. (Money Transfers) and Collection Account during the year 1982-83 to 1986-87 has not been acknowledged by the Transferee Branches of such banks till March 31, 2025. In the year 2000-01 the Corporation filed a civil suit against the State Bank of Bikaner & Jaipur for the purpose of recovery of the amount but claim was rejected by the Hon'ble Civil Court, Jaipur in the year 2003-2004 for which second appeal has been filed before to Hon'ble High Court. The decision is awaited.
- b) The Corporation transfers amount of expired cheques (which are not lodged/claimed by parties) to Dead Cheque ledger account.
- (31) **Farm on lease:-**
- (a) Agriculture farms land was allotted by Government of Rajasthan in earlier year on leasehold basis. In the absence of determination of amount of lease rent by Government of Rajasthan, the Corporation has not provided any such lease rent liability in its books of account.
- (b) Expenses incurred by the Corporation for the purpose of their development of Farms taken on lease, have been charged to Statement of Profit & Loss being considered as revenue expenditure.
- (32) The Corporation has made a provision for doubtful receivables amounting to Rs. 2,78,27,979/-(PY Rs. 57,92,776/-) and write back Rs. 42,91,104/- which has been Recovered (PY Rs. Rs. 2,64,356/- from advances to Seed Grower. Net provision for doubtful receivables of Rs. 2,35,36,875/- [Rs. 27827979 - 4291104] (PY Rs. 60,57,132/-) has been recognized in note no 21 other expenses for the current year.
- (33) The Corporation is making provision for debtors and Seeds Growers aged more than 3 years treating as doubtful. The Corporation is following this practice for making provision of doubtful debts for past years on regular basis. Further Debtors that are not realisable have been write off in the year when recognized by the management.
- (34) In accordance with the Accounting Standard 22 (AS-22) regarding "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, which become mandatory from 01.04.2002, the cumulative tax effects of significant timing differences, that resulted in Deferred Tax Assets & Liabilities are as under :-



(Amount in Rs.)

Particulars		Def. Tax Assets/ (Liabilities) As on 31.3.2024	Current year (Charge)/ Credit	Def. Tax Assets/ (Liabilities) As on 31.3.2025
A.	Deferred Tax Assets			
	-Leave Encashment	(3,06,942)	----	(3,06,942)
	- Bad-Debts	3,97,69,622	6853938	4,66,23,560
	- Provision for Gratuity	(1,46,894)	(10,290)	(1,57,184)
Total (A)		3,93,15,786	68,43,648	4,61,59,434
B.	Deferred Tax (Liability)/ Assets			
	- Depreciation	(1,34,61,364)	(12,78,831)	(1,47,40,195)
	- State Renewal Fund	(13,35,939)	4,42,210	(8,93,729)
Total (B)		(1,47,97,303)	(8,36,621)	(1,56,33,924)
Net Deferred Tax Assets/ (Liability) (A+B)		2,45,18,483	60,07,027	3,05,25,510

**(35) A. DAG Lift Irrigation:-**

Vide sanction letter no.F.4(2), Budget/Plan/ 89-90/22 dated 6.04.1989, an amount of Rs.6.06 lakh received on 7.06.1989 for lift irrigation. The amount of Rs. 5.93 lakh is yet to be utilized.

**B. Bajra Seed Production Subsidy:-**

Vide sanction no. F.(24)(277)/DA/RKVY/2010-11/15569-578 dt. 28.03.2011, an amount of Rs. 307.35Lakhs received for hybrid Bajra Seed Production through private seed producers. The amount of Rs. 307.35 Lakhs is not utilized. Hence this amount has been shown as subsidy refundable to govt. under current liabilities.

- (36) In the year 2006-07 an amount of Rs. 6.26 lakh paid to various farmers as Compensation due to supply of poor quality of seeds, which was supplied to RSSCL by M/s Real Marketing, Jalna and M/s Sai Seeds Corporation, Andhra Pradesh. Corporation has filed suits before the appropriate court and lodged a claim of Rs. 27.33 lakh on dated 21.05.07 against the above suppliers. Necessary accounting treatment will be passed when any award is pronounced by the court.
- (37) There is no mechanism to identified Micro and Small Enterprises to whom the Corporation owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at 31st March 2025. This Information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of the information available with the Company.
- (38) Unpaid dividend amount for the financial year 2016-17 amounting to Rs. 1,19,739.70 has been transferred to Investor Education and Protection fund during the year.(Previous Year Rs. 2,49,994/-).
- (39) As per Sec 135 (5) of Companies Act, 2013,theCorporationhas made the provision for CSR of Rs. 40,00,882/- during the year.(Previous Year Rs. 34,51,409/-)

**Corporate Social Responsibility (CSR)**

Where the Corporation covered under section 135 of the companies act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities:-

		2024-2025	2023-2024
(a)	Amount required to be spent by the Corporation during the year in accordance with Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014	40,00,882/-	34,51,409/-
	Amount unspent/ (excess spent) carried forward from earlier years	3,35,592/-	44,70,102/-
(b)	Amount of expenditure incurred,	37,01,000/-	75,86,219/-
(c)	Shortfall at the end of the year,	6,35,474/-	3,35,592/-
(e)	Reason for shortfall,	Amount Received back due to non utilisation.	Amount Received back due to non utilisation.
(f)	Nature of CSR activities,	Social Welfare	Social Welfare
(g)	Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	N/A	N/A
(h)	Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately.	-	-

(40) The figures for the previous year have been regrouped/re-arranged where ever necessary to make them comparable with those of the current year.

(41) Sundry Debtors, Creditors, Loans & Advances, Security Deposits, Current Liabilities, Outstanding Liabilities, Deposit with Agriculture Department and Revolving fund with seed banks have been taken at their book value irrespective of the fact that confirmation/ reconciliation of such accounts is still awaited.

A. A sum of Rs. 1613 Lacks is shown under the head Other Long Term liabilities as Sundry Creditors for goods under litigation, which is related to JK Agri Genetics Limited. A legal case in respect of this issue is ongoing and status of which is still pending in the Commercial Court, Jaipur.



**B. Trade Payables ageing Summary****31.03.2025**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	1736.01	802.41	344.60	267.53	3150.55
(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

**31.03.2024**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	802.41	344.60	267.53	243.97	1658.51
(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

**C. Trade Receivable Ageing Summary**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment (Rs. in Lakhs)					Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
<b>31.03.2025</b>						
(i) Undisputed Trade Receivable – considered good	8149.54	822.14	360.66	428.68	-	9761.02
(ii) Undisputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	1529.72	1529.72
(iii) Disputed Trade Receivable – considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
<b>31.03.2024</b>						
(i) Undisputed Trade Receivable – considered good	4924.83	1105.06	428.68	520.12	-	6978.69



(ii) Undisputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	1251.44	1251.44
(iii) Disputed Trade Receivable – considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	-	-

**(42) Details of Grant utilization.**

(Amount in Rs.)

		31.03.2025 (Rs.)	31.03.2024(Rs.)
<b>A</b>	<b>Capital Subsidy</b>		
1	Infrastructure Subsidy (Godown)		-
2.	Seed Bank Subsidy (Godown)		-
<b>B</b>	<b>Revenue Subsidy</b>		
1.	Production Subsidy	51,24,31,375/-	34,77,49,815/-
2.	Marketing Subsidy (NFSM+RKVY)	31,37,49,600/-	25,60,42,770/-
3.	CSS (GOI + State Govt.)	18,29,96,972/-	8,88,56,392/-
5.	Maintenance of seed bank	27,81,560/-	1,00,68,619/-

**(43)** The figures have been rounded off to a nearest rupee lakhs.**(44)** The Corporation is holding stock of seeds in Total 116972 Qtls of various types as on 31.03.2025 (PY 82977 Qtls) is supplied by seeds growers and is in process of grading and Certification. The Corporation had made advance against seeds of Rs.73,10,71,855/- (PY 47,81,49,722/-)to the seed growers on this account. The ownership of this stock is not of the corporation.**(45) Prior period items:-**

As per past practice, prior period income amounting to Rs. (4946131/-) (PY Rs. 41,20,157/-) and expenses amounting to Rs. (4,73,972/-) (PYRs. 23,91,372/-)

**(46)** Segment Reporting: The main activity is only Seed Segment.**(47)** Income Tax Assessments and Demands**1. Assessment Year: 2017-18**

- a. The Income Tax Assessment of the corporation for the AY 2017-18 is made vide order dated 23.12.2019 making additions of Rs. 2,18,82,718/-. Income tax demand w.r.t. such addition has been raised by the department amounting to Rs. 1,46,12,053/- vide order dated 23.12.2019. The Corporation has not accepted

the additions and has filed an appeal with the CIT (Appeals) – I, Jaipur dated 10.01.2020. The demand amount with held by the Income Tax department from Refund of earlier years.

- b. Additional order u/s 143(3) r.w.s. 263 (read with section 144B) for the AY 2017-18 is made vide order dated 29.03.2023 making additions of Rs. 53,70,873/- resulting in additional Income tax demand amounting to Rs. 18,58,751/- dated 29.03.2023. The Corporation has not accepted the additions and has filed an appeal with the CIT (Appeals) – I, Jaipur dated 21.04.2023.

## 2. Assessment Year 2020-21

The Income Tax demand for the AY 2020-21 is made vide order dated 20.03.2023 w.r.t. the Mis-reported Income amounting to Rs. 6,81,211/-. Income tax demand w.r.t. such mis reported income has been raised by the department amounting to Rs. 2,27,416/- vide order dated 20.03.2023. The Corporation has not accepted the additions and the liability and has filed an appeal with the CIT (Appeals) – I, Jaipur dated 17.04.2023.

## 3. Assessment Year 2023-24

The Income Tax Demand of Rs. 2, 45,800/- for the AY 2023-24 is made vide order date 27.11.2024 u/s 143(1) of income tax act, 1961. Which has been deposited during the year.

### (48) Accounting Ratios

S. No.	Particular	Numerator	March 31,2025	March 31, 2024	Variance in Percentage (%)	Reason for Variance (If More than 25%)
		Denominator				
(a)	Inventory Turnover Ratio	Turnover/Average Inventory	6.85	3.37	103.20	Improvement in Ratio is due to improved sales volumes and reduction in average inventory levels.
(b)	Trade Payable Turnover Ratio	Net Credit Purchase/Avg. Trade Payables	9.51	8.62	10.33	-
(c)	Debt Service Coverage Ratio	EBITDA - Capcx	5.83	8.52	-31.59	Decline is Ratio due to increase in interest cost.
		Debt Service				
(d)	Current Ratio	Current Assets	2.59	2.84	-8.86	-
		Current Liabilities				
(e)	Debt-Equity Ratio	Debt	-	-	-	NA
		Equity				
(f)	Return on Equity Ratio	Profit After Tax	10.18	8.82	15.41	-
		Average Shareholders' Equity				
(g)	Trade Receivables turnover ratio (in times)	Net Credit Sales	3.77	3.86	-2.47	
		Average Trade Receivables				

(h)	Net capital turnover ratio (in times)	Turnover	2.95	1.30	127.20	Improvement in Ratio is due to increase in turnover as compare to previous year.
		Working Capital				
(I)	Net profit ratio	Profit After Tax	5.52	6.98	-20.82	-
		Total Sales				
(j)	Return on Capital employed	Operating Profit	0.16	0.13	22.19	-
		Total Capital Employed				
(k)	Return on investment.	Profit After Tax/Initial Value of Investment	-	-	-	-

**49. Ageing Summary of Capital Work in Progress:****31.03.2025**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Project in Progress	-	-	-	-	-
(ii) Project temporarily Suspended	-	-	-	-	-

**31.03.2024**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Project in Progress		-	76.96	-	76.96
(ii) Project temporarily Suspended	--	-	-	-	-



**50. Movement of Stock -**

	CERTIFIED SEEDS		F/s & B/s Seeds		COTTON LINT		REJECTED & U/SIZE		RAW/GRADED SEED	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
<b>Opening Stock</b>										
Qty.(Qtls.)	55436	47082	8202	7531	-	-	22324	37887		
Value(Rs.)	412178218	260191192	42034650	42629800	-	-	93691983	102139617	1164695	2361698
<b>Stock in Transit</b>										
Qty (Qtls)	50									
Value (Rs.)	154600									
<b>Purchases /added during the year:</b>										
Qty.(Qtls)	369407	283276	43424	34810			29561	15129		
Value(Rs.)	2019450213	1446466670	266425158	176769611						
Conversion.(Qtls)	7103	3618	2643	2480						
<b>Sales:</b>										
Qty.(Qtls)	387991	266099	42897	30011	-	-	42316	30541		
Value(Rs.)	3266654654	2065860750	188271602	134917125	-	-	222169514	101711570		
Conversion.(Qtls)	7003	2702	2743	3396						
Rejected (Qtls)	20039	9819	4251	3129						
<b>Closing Stock</b>										
Qty(Qtls.)	16329	55436	4250	8202	-	-	9142	22324		
Value(Rs.)	101173281	412178218	19622307	42034650	-	-	33875532	93691983	7360634	1164695
<b>Stock in Transit:</b>										
Qty.(Qtls.)	0	50	0							
Value(Rs.)		154600								
<b>Shortage (Qtls)</b>	634	130	128	83	-	-	427	151		

**Note:-**

1. Nil Raw Cotton purchased during the year(Previous year Nil), out of this Lint Nil, Seed Nil and Undersized etc.Nil(Previous year Lint Nil, Seed Nil and Undersized etc. Nil) products have been manufactured. Value has been included in certified seed of above Raw Cotton and other varieties of Raw /Graded Seed.
2. Quantities mentioned above are taken as on 31st March, whereas the valuation of the same has been done as per the status report (fit/unfit) as on 30th June every year. Quantity has been rounded off in Qtls.
3. Purchases value of certified seed includes purchases expenses and after deducting production subsidy.
4. Sales value of certified seed includes marketing subsidy & after deduction of trade discount.

Sd/-  
Rakesh Mamnani  
Company Secretary  
M.No. F8834

Sd/-  
Hari Mohan Sharma  
Sr. Manager (Fin.)

Sd/-  
Mahendra Kumar Sharma  
General Manager

Sd/-  
Om Singh Rathore  
Director  
DIN No. 10984439

Sd/-  
Chinmayee Gopal  
Managing Director  
DIN No. 08411651

Sd/-  
Manju Rajpal  
Chairman  
DIN No. 07825977

Place : Jaipur  
Date : 31.12.2025

UDIN :2640083ITMLDMS1995



As per our separate report of even date annexed hereto,  
For Dhoot & Associates  
Chartered Accountants  
FRN No. 002145C

Sd/-  
CA Dikshant Sogani  
M.No. 400831

## 51 Ageing Schedule of Unbilled Revenue

Particulars	Outstanding for following periods				
	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
As at March 31, 2025	NOT APPLICABLE				
As at March 31, 2024	NOT APPLICABLE				

**Proceedings under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder** There are no proceedings initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder

OR

There are proceedings initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder in respect of the following properties

Details of the property	Year of acquisition	Amount (Rs.in Lakhs)	Details of beneficiaries	Reference to item in the Balance Sheet	If not in books, reasons for the same	Whether proceedings as an abettor of the transaction or as the transferor	Nature of proceedings, status of same and company's view on same
Property1							NOT APPLICABLE
Property2							
Property3							
Property4							
Property5							

## 52. Borrowings from banks

(i) The Company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the Company.

Quarter ended		As per financials (Rs.Lakhs)	As per returns filed with banks (Rs.Lakhs)	Difference (Rs.Lakhs)	Reason
<b>30-Jun-24</b>					
Inventories		3700.00	3595.36	104.64	
Trade Receivables		11500.00	11494.49	5.51	
Trade Payables		3870.00	3860.26	9.74	
<b>30-Sep-24</b>					
Inventories		6700.00	6633.81	66.19	
Trade Receivables		19750.00	19739.65	10.35	
Trade Payables		4340.00	4331.21	8.79	
<b>31-Dec-24</b>					
Inventories		1500.00	1493.75	6.25	
Trade Receivables		20060.00	20055.49	4.51	
Trade Payables		4120.00	4111.31	8.69	
<b>31-Mar-25</b>					
Inventories *		3491.15	1155.54	2335.61	Audited Figures have been considered in column as per financials which are post year end adjustments.
Trade Receivables		17097.09	17824.66	-727.57	
Trade Payables		3150.55	4137.83	-987.28	

\* Inventory of Certified seeds and & Foundation Seed taken for Bank return purpose



(ii) The Company is not declared as wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lenders.

OR

(ii) The Company is declared as wilful defaulter by the following banks, financial Institution and other lenders:

Name of the bank, financial institution and other lenders	Date of declaration	Details of default	Company's view or remarks thereon
Bank 1			
Financial Institution 1			No Default
Other lender 1			

#### 53. Relationship with Struck off Companies

The Company did not have any transactions with Companies struck off under Section 248 of Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 considering the information available with the Company.

OR

The Company have the following transactions with Companies struck off under Section 248 of Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 based on the information available with the Company.

Name of struck off Company and nature of transaction	Balance outstanding (Rs. In Lakhs)	Relationship with the Struck off company, if any,
Company 1		NOT APPLICABLE
Investments in securities		
Receivables		
Payables		
Shares held by struck off company		
Other outstanding balances (to specify nature)		

#### 54. Compliance with number of layers of companies

The Company do not have any parent company and accordingly, compliance with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable for the year under consideration.

OR

The Company has not complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 and the details of companies beyond the specified layers are as per the following details

Name of the company	CIN of the company	Relationship	Extent of holding
Company 1			NA
Company 2			

#### Scheme of arrangements

There are no Scheme of Arrangements approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 during the year.

NOT APPLICABLE

OR

During the year, a scheme of arrangements (here specify details) has been approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 and the effect of such Scheme of Arrangements have been accounted for in the books of account of the Company in accordance with the Scheme and in accordance with the Indian accounting standards/ accounting standards (strike off the inapplicable reporting framework)

NOT APPLICABLE

#### 55. Advance or loan or investment to intermediaries and receipt of funds from intermediaries

The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

NOT APPLICABLE

**56. Advance or loan or investment to intermediaries and receipt of funds from intermediaries**

The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

**NOT APPLICABLE****57. Undisclosed Income**

The Company do not have any transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years.

**NOT APPLICABLE****58. Details of Crypto Currency or Virtual Currency**

The Company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence, disclosures relating to it are not applicable.

The Company traded or invested in Crypto Currency or virtual currency during the financial year and the related disclosures as follows

Particulars	Amount (Rs. in Lakhs)
Profit or loss on transactions involving Crypto currency or Virtual Currency	-
Amount of currency held as at the reporting date	-
Deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in Crypto Currency/ virtual currency	-

Sd/-  
Rakesh Mamnani  
Company Secretary  
M.No. F8834

Sd/-  
Hari Mohan Sharma  
Sr. Manager (Fin.)

Sd/-  
Mahendra Kumar Sharma  
General Manager

Sd/-  
Om Singh Rathore  
Director  
DIN No. 10984439

Sd/-  
Chinmayee Gopal  
Managing Director  
DIN No. 08411651

Sd/-  
Manju Rajpal  
Chairman  
DIN No. 07825977

As per our separate report of even date annexed hereto,

For Dhoot & Associates  
Chartered Accountants  
FRN No. 002145C

Place : Jaipur  
Date : 31.12.2025

UDIN :2640083ITMLDMS1995



Sd/-  
CA Dikshant Sogani  
M.No. 400831

## **ATTENDANCE SLIP**

**Forty Seventh Annual General Meeting on Tuesday,  
10th Day of February, 2026 at 12:15 P.M.**

Registered Folio No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Shareholder/ Proxy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. of Shares Held

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I Certify that I am a member/proxy for the member of the company.

I hereby record my presence at Forty Seventh Annual General Meeting of the Company at Auditorium, State Institute of Agriculture Management (SIAM), Durgapura, Jaipur -302 018 (Rajasthan), on Tuesday, 10th Day of February, 2026 at 12:15 P.M.

\_\_\_\_\_  
Signature of Member/ Proxy

**NOTES:** Please fill up this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall.

**Form No. MGT-11****Proxy form**

**[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]**

CIN:	U75132RJ1978SGC001781
Name of the Company:	Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.
Registered office:	3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur 302005

Name of the member(s):

Registered address:

Email Id:

Folio No./Client Id:

DP ID:

I/We, being the member (s) of ..... shares of the above named company, hereby appoint

1.Name:

Address:

E-mail Id:

Signature: ..... or failing him

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Forty Seventh Annual General Meeting of the Company, to be held on the Tuesday, 10th Day of February, 2026 at 12:15 P.M. at Auditorium, State Institute of Agriculture Management (SIAM), Durgapura, Jaipur - 302 018 (Rajasthan), and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.	Particulars
1.	
2.	
3.	

Signed this ..... day of ..... 2026


Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix  
Revenue  
Stamp

**Note:-** This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

**ROUTE MAP OF 47<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING:**











if Undelivered please return to

**RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.**

3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005

CIN-U75132RJ1978SGC001781

Tel-0141-2227317, 2227514

[www.rajseeds.rajasthan.gov.in](http://www.rajseeds.rajasthan.gov.in)

राजसीड्स/वा.प्र./2024-25/जनवरी 2026/ 4500